Thursday, 10 December, 1964

लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

(दसवां सत्र
Tenth Session)

Chamber Fumigated.

सत्यमेव जयते

Conservation Unit
27-5-92
Fumigated
On 14.12.83
Parliament Library

[खंड 36 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXVI contains Nos. 11—]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI.

मुल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

1—7 Lok Sabha/65

विषय-सूचि

अंक 19, गुरुवार, 10 दिसम्बर, 1964/19 अग्रहायण, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
443	आयात हुए उपहार पार्सल . .	1721–23
445	कम्पनियों द्वारा देय आय-कर .	1723
447	निवृत्ति वेतन पाने वालों को राहत देना	1724–26
448	केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्	1726–30
450	बर्मा में रहने वाले भारतीयों की जीवन बीमा निगम की बीमा पालिसियां	1730–32
451	रोचे प्रौडक्ट्स लिमिटेड, बम्बई	1732–33
452	एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में काश्मीर का मानचित्र . . .	1733–38
453	राष्ट्रीय रक्षा कोष	1738–39
454	एकक प्रन्यास की युनिटों द्वारा विनियोजन . . .	1739–41
455	डिपार्टमेंट आफ कम्पनी अफेयर्स (समवाय कार्य विभाग) . .	1741–42
456	दिल्ली में पीने के पानी का दूषित हो जाना . . .	1742

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
444	अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निवास-स्थानों में निर्माण संबंधी परिवर्तन	1743
446	कलकत्ता में एक व्यापारी के घर की तलाशी . . .	1743
449	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार . . .	1744
457	इनामी बांड योजना	1744
458	विदेशी मुद्रा अधिनियम के उल्लंघन के मामले . .	1744–45
459	जीवन बीमा निगम की "अपना घर बनाओ" योजना . .	1745
460	औद्योगिक लाइसेंस	1745–46
461	कोलम्बो योजना	1746
462	राज्यों के लिये आयकर की राशि	1746–47
463	छिपे हुए धन की सूचना देने वालों को इनाम . . .	1747
464	दिल्ली के हाउस सर्जनों की मांगें . .	1747–48

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को लोक सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 19, *Thursday, December* 10, 1964/*Agrahayana* 19, 1886 (*Saka*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—

Starred Question No.	*Subject*	*Pages*
443	Imported Gift Parcels	1721–23
445	Income-tax payable by Companies	1723
447	Relief to Pensioners	1724–26
448	Central Council of Health	1726–30
450	L.I.C. Policies of Indians living in Burma	1730–32
451	Roche Products, Limited, Bombay	1732–33
452	Map of Kashmir in Encyclopaedia Britannica	1733–38
453	National Defence Fund	1738–39
454	Investments from Unit Trust units	1739–41
455	Department of Company Affairs	1741–42
456	Water Pollution in Delhi	1742

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—

Starred Question No.		
444	Alterations in V.I.P.'s Houses	1743
446	Search of a Businessman's House in Calcutta	1743
449	Corruption in C.P.W.D.	1744
457	Prize Bonds Scheme	1744
458	Foreign Exchange Violation	1744–45
459	L. I. C. "Own Your Home Scheme"	1745
460	Industrial Licences	1745–46
461	Colombo Plan	1746
462	Bulk of Income-tax for States	1746–47
463	Reward to Informants of Hidden Wealth	1747
464	Demands of House Surgeons in Delhi	1747–48

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश :

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1207	बिहार का औद्योगिक विकास	1748
1208	विदेशों से ऋण	1748
1209	आय-कर	1749
1210	तवा परियोजना	1749
1211	देव नगर, नई दिल्ली, में सरकारी क्वार्टर	1749–50
1212	देव नगर, नई दिल्ली, में सरकारी क्वार्टर	1750
1213	देव नगर, नई दिल्ली, में सरकारी क्वार्टर	1750
1214	राज्यों के लिये तीसरी योजना का परिव्यय	1750–51
1215	उत्पादन शुल्कों से प्राप्त राजस्व	1751
1216	केरल में सरकारी सहायता से किराये के मकान बनाने की योजना	1751–52
1217	यमुना मध्यम सिंचाई परियोजना	1752
1218	हैमरैजिक ज्वर (रक्तस्राव ज्वर)	1752
1219	नकली कोका कोला	1753
1220	दिल्ली के अस्पतालों का विस्तार	1753
1221	केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना	1753–54
1222	पंजाब में छापे	1554
1223	गण्डक परियोजना	1754–55
1224	कपड़े पर उत्पादन शुल्क	1755
1225	प्राकृतिक दृश्य समिति का प्रतिवेदन	1755
1226	पानी का जमा हो जाना	1756
1227	विदेशों में भारतीय पर्यटकों द्वारा विदेशी मुद्रा का व्यय	1756–57
1228	कलकत्ता में अभ्रक निर्यातकों की गिरफ्तारी	1757
1229	करनाटक में परियोजनाओं के लिये जल	1757
1230	उत्पादन शुल्क की वसूली	1757–58
1231	मादक वस्तु विभाग में नियुक्तियां	1758
1232	मादक वस्तु विभाग में अनुसूचित जाति के कर्मचारी	1758
1233	तीसरी योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था करने के लिये पश्चिम जर्मनी के साथ करार	1758–59
1234	देवरिया जिले में आय-कर की बकाया राशि	1760
1235	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से राजस्व	1760
1236	चोरी छिपे लाई गयी घड़ियां	1760–61
1237	बरौनी तापीय बिजली घर	1761
1238	धनुः रोग	1761–62
1239	अपमिश्रण	1762
1240	महात्मा गांधी के चित्र वाले सिक्के	1762

Unstarred Question No.	*Subject*	*Pages*
1207	Industrial Development of Bihar	1748
1208	Loans from Abroad	1748
1209	Income Tax	1749
1210	Tawa Project	1749
1211	Government Quarters in Devnagar, New Delhi	1749-50
1212	Government Quarters in Devnagar, New Delhi	1750
1213	Government Quarters in Devnagar, New Delhi	1750
1214	Third Plan Outlay for States	1750-51
1215	Revenue realised from Excise Duties	1751
1216	Subsidised Rental Housing Scheme in Kerala	1751-52
1217	Jamuna Medium Irrigation Project	1752
1218	Haemorrhagic fever	1752
1219	Spurious Coca-Cola	1753
1220	Expansion of Delhi Hospitals	1753
1221	Central Government Health Scheme	1753-54
1222	Raids in Punjab	1754
1223	Gandak Project	1754-55
1224	Excise Duty on Cloth	1755
1225	Landscape Committee Report	1755
1226	Water-Logging	1756
1227	Foreign Exchange Spent by Indian Tourists Abroad	1756-57
1228	Arrest of Mica Exports in Calcutta	1757
1229	Water for Projects in Karnatak	1757
1230	Collection of Excise Duty	1757-58
1231	Appointments in Narcotics Department	1758
1232	S.Cs. in Narcotics Department	1758
1233	Agreement with West Germany for financing Third Plan	1758-59
1234	I. T. Arrears in Deoria Distt.	1760
1235	Revenue from Central Excise	1760
1236	Seizure of Smuggled Watches	1760-61
1237	Barauni Thermal Power Station	1761
1238	Tetanus Infection	1761-62
1239	Adulteration	1762
1240	Coins with Mahatma Gandhi's Profile	1762

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश:

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1241	औषधियों की चोरी	1763
1242	मंत्रियों द्वारा जल और विद्युत का प्रयोग	1763
1243	मलेरिया उन्मूलन	1763–64
1245	स्टेट बैंक आफ इंडिया	1764–65
1246	लेडी हैल्थ विजिटर	1765
1247	सुवर्णरेखा नदी पर बांध	1766
1248	आयुर्वेद का विकास	1766–67
1249	संयुक्त अरब गणराज्य के मंत्री का दौरा	1767
1250	दिल्ली के अस्पताल	1767
1251	भरतपुर के लिये नहर	1768
1252	केरल में जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	1768
1253	सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये ऋण	1768–69

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

जम्मू तथा काश्मीर में जनमत संग्रह मोर्चे द्वारा पाकिस्तानी झण्डे से मिलते जुलते हरे झण्डों का फहराया जाना

श्री हुकम चन्द कछवाय 1769–70

श्री हाथी 1769

सभा पटल पर रखे गये पत्र 1770-72

राज्य सभा से संदेश 1772

पूर्वोत्तर रेलवे पर छपरा के निकट हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य—

श्री स० का० पाटिल 1772–74

केरल विनियोग विधेयक, 1964—पारित 1774-75

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् संबंधी प्रश्न के उत्तर के बारे में स्पष्टीकरण . 1775

वर्ष 1961-62 तथा 1962-63 के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—

श्री फ्रैंक एन्थनी 1775–76

श्री हेम बरुआ 1776–78

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा 1778

श्री कृ० चं० पन्त 1778–80

श्री उ० मू० त्रिवेदी 1780–81

श्री दी० चं० शर्मा 1781–82

श्री मलाईछामी 1782

श्री नम्बियार 1782–83

डा० सरोजिनी महिषी 1783–84

Unstarred Question No.	*Subject*	*Pages*
1241	Theft of Drugs	1763
1242	Consumption of Water and Electricity by Ministers	1763
1243	Malaria Eradication	1763–64
1245	State Bank of India	1764–65
1246	Lady Health Visitors	1765
1247	Dam on Subarnarekha River	1766
1248	Development of Ayurveda	1766-67
1249	Visit of U.A.R. Minister	1767
1250	Delhi Hospitals	1767
1251	Canal for Bharatpur	1768
1252	Water Pollution Control Board in Kerala	1768
1253	House-building Loan to Government	1768–69

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—

Hoisting of green flags akin to Pakistani flag by Plebiscite Front in Jammu and Kashmir

Shri Hukum Chand Kachhavaiya . . . 1769-~~70~~

Shri Hathi 1769

PAPERS LAID ON THE TABLE 1770–72

MESSAGE FROM RAJYA SABHA 1772

STATEMENT RE: RAILWAY ACCIDENT NEAR CHAPRA ON NORTH-EASTERN RAILWAY—

Shri S. K. Patil 1772–74

KERALA APPROPRIATION BILL, 1964—*Passed* . . . 1774–75

CLARIFICATION RE: ANSWER TO QUESTION RELATING TO CENTRAL COUNCIL OF HEALTH 1775

MOTION RE: ANNUAL REPORTS OF UNIVERSITY GRANTS COMMISSION FOR THE YEARS 1961-62 AND 1962-63—

Shri Frank Anthony 1775–76

Shri Hem Barua 1776–78

Shrimati Lakshmikanthamma 1778

Shri K. C. Pant 1778–80

Shri U. M. Trivedi 1780–81

Shri D. C. Sharma 1781–82

Shri M. Malaichami 1782

Shri Nambiar 1782–83

Dr. Sarojini Mahishi 1783–84

वर्ष 1961-62 तथा 1962-63 के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—क्रमशः

विषय	पृष्ठ
श्री महेश दत्त मिश्र	1784
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	1785–86
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद	1786–87
श्री रवीन्द्र वर्मा	1787–88
श्रीमती जयाबेन शाह	1789
श्री मौर्य	1790–91
श्री च० का० भट्टाचार्य	1791–92
श्री बासप्पा	1792–93
डा० मा० श्री० अणे	1793
श्री रघुनाथ सिंह	1794
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी	1794
श्री मुथिया	1794–95
श्री मु० क० चागला	1796
कार्य मंत्रणा समिति—	
तेंतीसवां प्रतिवेदन	1795

MOTION RE: ANNUAL REPORTS OF UNIVERSITY GRANTS COMMISSION FOR THE YEARS 1961-62 AND 1962-63.—*Contd.*

Subjects	*Pages*
Shri Mahesh Dutta Mishra	1784
Shri Prakash Vir Shastri	1785-86
Shri Sidheshwar Prasad	1716-87
Shri Ravindra Varma	1787-88
Shrimati Jayaben Shah	1789
Shri B. P. Maurya	1790-91
Shri C. K. Bhattacharya	1791-92
Shri Basappa	1792-93
Dr. M. S. Aney	1793
Shri Raghunath Singh	1794
Shri J. P. Jyotishi	1794
Shri Muthiah	1794-95
Shri M. C. Chagla	1796

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE—

Thirty-third Report	1795

लोक-सभा
LOK-SABHA

गुरुवार, 10 दिसम्बर, 1964/19 अग्रहायण, 1886 (शक)
Thursday, December 10, 1964/*Agrahayana* 19, 1886 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
[The Lok Sabha met at Eleven of the clock]

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
[Mr. Speaker in the chair.]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

आयात हुए उपहार पार्सल

*443. **श्री यशपाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक द्वारा आयात किये गये वास्तविक उपहार पार्सलों को कुछ शर्तों के अधीन सीमा शुल्क से मुक्त करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वे शर्तें क्या हैं ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं कि इस छूट का दुरुपयोग न हो ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) जी, हां।

(ख) वास्तविक उपहार पार्सल, उन पर लगने वाली समस्त सीमा-शुल्क के भुगतान से मुक्त होते हैं बशर्ते कि --

(i) जहां डाक पार्सल में खाद्य वस्तुयें, जिनमें रसद तथा मिठाइयां भी शामिल हैं (लेकिन शराब और मद्यसारीय पेय नहीं) और औषधियां हों, तो वस्तुओं का मूल्य पच्चीस रुपये से अधिक न हों ; और

(ii) किसी अन्य मामले में, सामानों का मूल्य दस रुपये से अधिक न होता हो।

(ग) स्वयं छूट लक्षण में सीमित है। इसके अतिरिक्त सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को, उन मामलों में जहां वे इस बात से संतुष्ट नहीं होते कि ये वास्तविक उपहार हैं, यह रिआयत न देने का अधिकार प्राप्त हैं।

Shri Yashpal Singh : Is it justified that Government should incur loss on account of exemption from customs duty on the gift parcels for such big persons, when lakhs of people are starving?

Mr. Speaker : Is there any question of justice in thi case? Customs duty is levied on all such gift parcels where the value of the articles contained therein exceeds by Rs. 10.

Shri Yashpal Singh : Gifts come in thousands. May I know the loss incurred thereon ?

Mr. Speaker : The hon. member is indulging in arguments.

Shri Yashpal Singh : How many gifts have come and the loss of custom duty incurred thereon?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : About 4 lakhs parcels come every year out of which 90,000 parcels are exempted from customs duty. The custom duty is exempted on those parcels the value of which does not exceed Rs. 3/- while on others the duty is levied. The total amount of customs duty levied in a year is not available.

Shri M. L. Dwivedi : May I know to what extent the samples, which are either imported or are sent as gifts for promotion of industries are exempted from customs duty?

Shri B. R. Bhagat : These samples are governed by the general exemption and nothing more.

Mr. Speaker : This question relates to gift parcels only.

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या छूट पार्सलों के मूल्य के अनुसार दी जाती है अथवा उनमें भेजी गई वस्तु की उपयोगिता के आधार पर दी जाती है ?

श्री ब० रा० भगत : कुछ पार्सलों को, जैसे कि खाद्य वस्तुओं के पार्सल, छूट दी जाती है परन्तु अन्य मामलों में पार्सलों के मूल्य को ध्यान में रखा जाता है।

श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रत्येक उपाहार के लिये कोई मूल्य निर्धारित किया गया है ?

श्री ब० रा० भगत : 10 रुपये।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सरकार को विदेशों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उपहार पार्सलों पर सीमा शुल्क सम्बन्धी अधिक प्रतिबन्ध हैं और कि इनमें कुछ ढील देनी चाहिये ?

श्री ब० रा० भगत : अभ्यावेदनों के फलस्वरूप तो नहीं परन्तु जैसे मैंने कहा, 3 रुपये प्रारम्भिक छूट को 3 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया है।

Shri Bhagwat Zha Azad : Are the Government aware that customs duty was leived on parcels imported by members two months back and the same has not so far been refunded despite of the request to this effect.

Shri B. R. Bhagat : I would look into this matter if information is furnished.

श्री शिंकरे : क्या सरकार ने उपहार पार्सलों के लिये एक उचित रजिस्टर रखा हुआ है ताकि इन्हें चोरी से आयात करने का साधन बनने से रोका जा सके।

Shri B. R. Bhagat : A list of all these gift parcels which are imported, is kept.

Income-tax payable by Companies

\+

*445. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :
Shri Bagri :
Shri Vishram Prasad :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether he stated in the last session of the Rajya Sabha that Government proposed to publish the names of all such firms as pay income-tax amounting to more than Rs. 2 lakhs per annum; and

(b) If so, when Government would publish their names?

The Deputy Minister of Finance (Shri Rameshwar Sahu) : (a) It was stated that the Government were thinking of publishing the names of individuals having income of Rs. 2 lakhs and above and the names of firms having an income of Rs. 10 lakhs and above.

(b) As soon as the information is collected.

Shri Bibhuti Mishra : Since much time has been taken to collect the information, is it due to the fact that the Government have no enough machinery to do so?

Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : Where is delay? It was only on 1-10-64 when we were asked to collect this information and the same is being done.

Shri Bibhuti Mishra : Are Government considering to publish the names of those who are paying less than Rs. 2 lakhs, so that the people come to know whether they are paying income-tax or not and this will help Government also?

Shri Rameshwar Sahu : The names of those having the income of Rs. 1 lakh would also the published.

Shri K. N. Tiwary : How many firms having an income of Rs. 2 lakhs have not so far paid the income Tax?

Shri B. R. Bhagat : Everything will be known after the information is collected.

Shri Dinkar Lal Berwa : May I know the arrears of income-tax from such firms ?

Shri B. R. Bhagat : It is a separate question.

निवृत्ति वेतन पाने वालों को राहत देना

\+
*447. श्रीमति सावित्री निगम :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निवृत्ति वेतन पाने वालों को कुछ राहत देने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो किस रूप में ; और

(ग) क्या 600 रुपये प्रति मास तक निवृत्ति वेतन पाने वाले समस्त पेन्शनरों को महंगाई भत्ता दिया जा रहा है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 1963 से छोटी पेंशनों में तदर्थ वृद्धि की मंजूरी दे दी है।

(ग) जी, नहीं। दो सौ रुपये तक की मासिक पेंशन पाने वाले पेंशनभोगियों की पेंशनों में हो तदर्थ वृद्धि को मंजूरी दी गयी है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संस्था ने हाल ही में सरकार की आलोचना की है कि मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए तदर्थ वृद्धि बहुत कम है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णम्माचारी) : ऐसा हो सकता है, श्रीमन् ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मुफ्त इलाज के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की सुविधाएं देने पर विचार कर रही है क्योंकि वे ऐसा अनुभव करते हैं कि यह उनके लिये लाभप्रद होगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : दिल्ली और नई दिल्ली में रहने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कुछ शर्तों पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा की सुविधाएं दी गई हैं।

Shri M. L. Dwivedi : The Retired Government Servants, who had worked in the various States before the integration of States, not to speak of relief are not even granted pension and dearness allowance. Will Government think ever so that similar facilities could be given to those people?

Shri B. R. Bhagat : The pensioners registered by Government of India and who are covered by certain rules shall be granted relief regardless of the State in which they had worked and not others.

Shri M. L. Dwivedi : At the time of integration an agreement had been concluded with the Government of India. But those employees are not getting dearness allowance even by now?

Mr. Speaker : The hon. Minister says that whose names appear in the register shall be granted relief.

श्री सुबोध हंसदा : क्या सरकार को सेवानिवृत्त कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ कि रुपये पैसों में भुगतान की बजाये उन्हें वस्तुओं में भुगतान किया जाये ?

श्री ब० रा० भगत : वस्तुओं में भुगतान करना संभव नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : सरकार तदर्थ सहायता किस आधार पर निर्धारित कर रही है और इस पर क्या खर्च होगा ?

श्री ब० रा० भगत : तदर्थ तो तदर्थ है.......... (अन्तर्बाधाएं)। मूल कारण बढ़ी हुई लागत के होने की वजह से अधिक से अधिक सहायता देना है, परन्तु इसको इस प्रकार बांटा गया है : 30 रु० प्रति मास के पेंशनरों में 5 रु० दिये गये हैं ; 30 रु० और 75 रु० के बीच उनको $7\frac{1}{2}$ रु० प्रति मास दिये गये हैं और 75 रु० और 200 रु० के बीच 10 रु० प्रति मास दिये गये हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : आप कितनी राशि व्यय करेंगे।

श्री ब० रा० भगत : प्रति वर्ष $4\frac{1}{2}$ करोड़ रु०।

Shri Radhey Lal Vyas : Is it a fact that some of the army personnel that were retrenched after the integration of the States are getting only Rs. 5-7 per month? If so, whether Government realise that so small a pension can do no good to them and that more relief should be given such cases?

Mr. Speaker : Shri Kachhavaiya.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The Health Minister just now told that medical facilities will be given in Delhi to some persons on certain conditions. Do Govt. purpose to introduce this scheme throughout India, if so, when and whether the families of the pensioners will be covered by this scheme?

Shri Radhey Lal Vyas : My question has not been answered.

Dr. Sushila Nayar : In Delhi now facilities are being given to the pensioners and their families.

Mr. Speaker : Some questions are such as confusing their answers. You have given the suggestion and Government will think over it.

डा० सुशीला नायर : केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना का अभी समूचे देश में लागू नहीं किया गया है। जहां तक पेंशनर्स का संबंध है, हम इसे पहले केवल दिल्ली में लागू कर रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि अखिल भारतीय पेंशनर्स एसोसियेशन ने भारत सरकार को विचार करने के लिये एक अभ्यावेदन दिया था और उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उस पर विचार किया जायेगा ? वे मांगें क्या थीं और सरकार ने कहां तक उनको मांगा है ?

श्री ब० रा० भगत : वित्त मंत्री कहते हैं कि उन्होंने इसे नहीं देखा है। मैंने भी नहीं देखा है।

श्री स० मो० बनर्जी : उन्होंने ज्ञापन पत्र नहीं देखा है।

अध्यक्ष महोदय : जब वे ऐसा कहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं नहीं जानता इस सरकार को क्या हो गया है।

Shri K. N. Tiwary : Is it a fact that the State Governments have stressed the point that if Central Government increases the D.A. of the pensionerns they will also have to do so, if so, whether this is the reason why the Central Government is delaying the matter or that thing is causing hinderance?

Shri B. R. Bhagat : There is no question of delay. This has already been introduced. The pension has been increased.

Shri Bibhuti Mishra : Have Government tried to ascertain that many pensioners own big immovable property? Will Government increase their pension also?

Mr. Speaker Next question.

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद

+

*448. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमति सावित्री निगम :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रविन्द्र वर्मा :
श्रीमति रेणुका बड़कटकी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1964 में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् का कोई सम्मेलन हुआ था;

(ख) सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा हुई और कौन से मुख्य संकल्प स्वीकार किये गये तथा सरकार द्वारा उन पर क्या निर्णय दिये गये;

(ग) क्या सरकार का विचार एक ऐसा विधेयक पुरस्थापित करने का है जो शिक्षा का समान स्तर लागू करने के लिये समस्त चिकित्सा संस्थाओं पर लागू किया जा सके; और

(घ) क्या सरकार का विचार लोक स्वास्थ्य विधेयक भी पुरस्थापित करने का है ताकि समस्त देश में एक जैसे लोक स्वास्थ्य प्रशासन की व्यवस्था की जा सके।

डा० सुशीला नायर (स्वास्थ्य मंत्री) : (क) जी हां।

(ख) मलेरिया उन्मूलन, चेचक, अन्य संक्रामक रोगों का नियंत्रण, परिवार नियोजन, चिकित्सा शिक्षा, जल प्रदाय आदि जैसे स्वास्थ्य योजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श हुआ। पारित संकल्प सभा-पटल पर रखे विवरण में दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखीये संख्या एल० टी० 3590/64**] ये संकल्प विचाराधीन हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी हां।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि कुछ राज्य विधान मंडलों ने पहले ही ऐसे संकल्प पारित किये हैं जिनमें संसद् को लोक-स्वास्थ्य पर विधेयक लाने के लिये कहा गया है और क्या सरकार इसको शीघ्र ही लाने का प्रयत्न कर रही है ?

डा० सुशीला नायर : जहां तक लोक स्वास्थ्य विधेयक का सम्बन्ध है, असम, मैसूर, मद्रास और केरल की राज्य सरकारों ने ऐसे संकल्प पारित किये हैं जिनमें केन्द्रीय सरकार को ऐसा विधेयक लाने के लिये प्राधिकृत किया गया है। निकट भविष्य में इसको संसद में पुरःस्थापित करने का विचार है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार का विचार होम्योपैथी में प्रशिक्षण के लिये समान प्रमाप लागू करने और इसके लिये अनुसंधान केन्द्र खोलने का है ?

डा० सुशीला नायर : एक होम्योपैथिक मंत्रणा समिति है जो इस विषय में जांच कर रही है। वास्तव में एक समिति नियुक्त की गई थी जिसने अपना प्रतिवेदन तैयार कर लिया है; यह प्रतिवेदन राज्य सरकारों को उनके विचार तथा टिप्पणी के लिये भेज दिया गया है।

श्रीमति सावित्री निगम : इस तथ्य को देखते हुए कि लोक स्वास्थ्य इंजीनियरों की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जल संभरण की स्वीकृत योजनायें भी पूरी नहीं हो रही हैं, क्या मैं जान सकती हूं कि माननीय मंत्री ने अधिक से अधिक लोक स्वास्थ्य इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने के लिये क्या कार्यवाही की है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल संभरण की योजनायें पूरी की जा सकें ?

डा० सुशीला नायर : मेरी माननीय सदस्या से प्रार्थना है कि वह विवरण और सम्बन्धित संकल्पों को पढ़ें।

Shri Yashpal Singh : Was it discussed in the conference or whether the Hon. Health Minister has ever thought about it that brave progeny is needed for the defence of the country, therefore, family planning scheme should be enforced on people with poor health and the brave people should be rewarded for producing brave sons.

Mr. Speaker : Mr. Sharma.

Shri Yashpal Singh : There is no reply.

Mr. Speaker : He is asking whether the bravery can be assessed simply by seeing?

Shri Yashpal Singh : It can be tested on Ladakh front.

श्री दी० चं० शर्मा : स्वास्थ्य की केन्द्रीय परिषद् में पारित किये गये संकल्प संयुक्त राष्ट्र संगठन में पारित किये गये संकल्पों की तुलना में काफी अच्छे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इन संकल्पों को कार्यान्वित करने के लिये स्वास्थ्य मंत्री ने क्या उपाय किये हैं, विशेषतया हैजा के मामले में जो उस समय देश के प्रत्येक भाग में फैला हुआ है जिसकी ओर स्वास्थ्य मंत्रालय पूर्णतया एलर्जिक लगता है ?

डा० सुशीला नायर : यह अजीब प्रकार का प्रश्न है। माननीय सदस्य को, शायद संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों के बारे में मुझसे अधिक ज्ञान है। मैं संयुक्त राष्ट्र दल की सदस्य नहीं थी। दूसरे, स्वास्थ्य की केन्द्रीय परिषद के संकल्प परामर्शदायी हैं। कुछ मामलों में राज्य सरकारें उनको कार्यान्वित करती हैं और कुछ मामलों में केन्द्रीय सरकार। जहां तक हैजा का सम्बन्ध है यह सच नहीं है कि यह देश के प्रत्येक कोने में फैला हुआ है। कुछ ऐसे जिले हैं जहां हैजा फैला हुआ है। दुर्भाग्यवश, बिहार का नाम इस सूची में प्रमुख है। संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) को देख कर मुझे बिहार का स्मरण हो गया।

2—7 Lok Sabha/65.

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : आप मेरा संबंध हैजा से स्थापित करती हैं ?

डा० सुशीला नायर : हैजा की रोक के लिये निश्चित कार्यक्रम है और राज्य सरकारों को वह कार्यान्वित करना है। चौथी योजना में उन सभी 48 जिलों में, जहां हैजा महा-मारी है, जल सप्लाई की योजनाओं को पूरी निष्ठा के साथ पूरा किया जायेगा।

Shri Prakash Vir Shastri : Ayurved is an old medical system and a successful one also. Whether some resolutions were passed in the meeting of the Central Health Council to encourage this system, if so, what is the opinion of the Ministry in this connection?

Dr. Sushila Nayar : The resolutions about Ayurved which were passed are also included in this list, and state governments are working on it in their own way and the Central Government in its own way.

Shri Prakash Vir Shastri : What is it doing?

श्री विश्वनाथ राव : प्रश्न के भाग (ख) के बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा बनाने का विचार कर रही है ?

डा० सुशीला नायर : इस सम्बन्ध में सभा ने एक संकल्प पारित किया है। अखिल भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा बनाने पर गृह-मंत्रालय कार्य कर रहा है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : It has just now been told that regarding Ayurved State governments are working in their own way and we are working in our own way. I want to know the way in which the Central Government is working?

Dr. Sushila Nayar : There are many reports and many pamphlets on it. Hon. Member can study them.

Shri Prakash Vir Shastri: This is no reply that there are many pamphlets and many reports and we may study them. It should be told that what is being done?

अध्यक्ष महोदय : यह अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। जो सूचना सुगमता से पुस्तकों से प्राप्त की जा सकती है उस पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते।

श्री शिव मूर्ति स्वामी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को आयुर्वेदिक निदेशालय को सामान्य डाक्टरी सेवा से पृथक करने की मंत्रणा दी है ?

डा० सुशीला नायर : जी नहीं। उन्हें हमारी सिफारिशों की आवश्यकता नहीं है।

Shri A. S. Saigal : The Hon. Minister has just said that the incidence of Cholera is more in Bihar. What is the reason for that ? Whether the Central Govt. do not attend to this or whether the State Govt. is not attending to the causes of this incidence ?

Dr. Sushila Nayar : This subject pertains to the State Government and they are taking action on this matter. The reason for incidence of cholera are : unsatisfactory sanitation and water pollution and such other factors.

श्री कपूर सिंह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्रीमती सावित्री निगम : जी मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : दोनों ओर से दो व्यवस्था के प्रश्न हैं।

श्री भगवत झा आजाद : महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप बहादुर हैं और कहते हैं कि महिलाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिये।

श्रीमती सावित्री निगम : जी नहीं। उत्तर देते हुये उन्होंने कहा था कि उत्तर विवरण में दिया गया है परन्तु विवरण में तो यह कहीं नहीं मिलता। मेरा प्रश्न यह था कि लोक स्वास्थ्य इंजीनियरों की कमी दूर करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं, इस पर उन्होंने कहा था कि इसका, उल्लेख विवरण में किया गया है। परन्तु विवरण में इसका कोई उल्लेख नहीं है। श्रीमन्, मैं आपकी रक्षा चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय : यहां नियम यह है कि यदि मंत्री का उत्तर ठीक न हो और सदस्य को यह ज्ञात हो जाय कि उत्तर ठीक नहीं है तो सदस्य तुरन्त मुझे लिख सकता है और मैं मंत्री जी से इसका स्पष्टीकरण करने को कहता हूं।

श्री हेम बरूआ : जब दो महिलाओं में मतभेद हो तो पुरुष को बीच बचाव करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह शूरता का एक और उदाहरण है।

श्री कपूर सिंह : श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। एक सदय महोदय ने स्वास्थ्य मंत्री जी को 'मंत्राणी' कहा है। यदि मेरा भाषा का ज्ञान ठीक है तो मंत्राणी "श्रीमती मंत्री" को कहेंगे और स्वयं मंत्री को महिला मंत्री कहना ही उचित होगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री . . . .

श्री दी० चं० शर्मा : श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि सदस्य महोदय "महिला मंत्री" और "मंत्राणी" के भेद की व्याख्या करें।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बता दिया है कि "मंत्राणी" मंत्री की पत्नी होती है और "महिला मंत्री" स्वयं मंत्री होती है।

श्री दी० चं० शर्मा : हे भगवान।

Shri M. L. Dwivedi : The first resolution in this statement states that the Malaria Eradication work is very satisfactory. In the pre-independence days, there used to be no mosquito in and around M.P.'s Bungalows, but even in this season there are mosquitoes. May I know the reason for this and whether Malaria Eradication Scheme is not working properly ?

Dr. Sushila Nayar : There is difference between mosquito and malaria. In the first stage of malaria eradication, the mosquitoes are exterminated so the disease does not pass on by mosquito bite. In the second stage, when the incidence of malaria is considerably reduced, efforts are made to eradicate human reservoir of malaria. There are no arrangements for eradication of mosquitoes after the malaria cases have been treated. Arrangements exist for eradication of malaria.

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने इस महत्वपूर्ण बात पर विचार किया है कि हमारे लाखों लोग इसलिये कमजोर हैं कि उनको पूरा पोषाहार नहीं मिलता तथा क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि विटामिन उत्पन्न किये जायें ताकि अपने लोगों को सबल और स्वास्थ्य बनाने के लिये उपलब्ध किये जा सकें ?

डा० सुशीला नायर : गर्भवती स्त्रियों, शिशुओं की माताओं तथा छोटे बच्चों को पोषाहार देने की आवश्यकता के सम्बन्ध में कुछ संकल्प पास किये गये हैं। पूरे राष्ट्र के पोषाहार की जिम्मेदारी लोग स्वास्थ्य मंत्रालय के लिये बहुत कठिन होगा।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने विश्व स्वास्थ्य संघटन की 1963 की इस रिपोर्ट को, कि पिछले छः सात वर्षों में भारत में हैजे का प्रकोप सब से अधिक था, देखा है ; यदि हां, तो इस प्रत्यक्ष खतरे से बचने के क्या उपाय किये गये हैं ?

डा० सुशीला नायर : यह सच है कि इस उपमहाद्वीप में भारत तथा पाकिस्तान में छूत की बीमारियां, जो अन्य देशों में समाप्त कर दी गई हैं अभी भी बहुत मात्रा तक हैं। हैजा वैसी ही एक बीमारी है। जैसा मैंने पहले कहा हम हैजे का व्यापक रूप से उन्मूलन चाहते हैं।

बर्मा में रहने वाले भारतीयों की जीवन बीमा निगम की बीमा पालिसियां

\+

*450. **श्री कपूर सिंह :**
श्री सोलंकी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री गुलशन :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री प्र० के० देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जीवन बीमा निगम उन बीमाधारियों को, जो भारतीय नागरिक हैं और बर्मा छोड़ कर भारत चले आये हैं, उनकी उन जीवन बीमा पालिसियों की धनराशि का भुगतान नहीं कर रहा है, जो मेच्योर हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय जीवन बीमा निगम अथवा इसके एककों द्वारा जारी की गई बीमा पालिसियों पर बर्मा में दिये गये बीमा प्रीमियम की समस्त राशि को वापस लेने के लिये भारत सरकार का बर्मा सरकार से बातचीत करने का विचार है ; और

(ग) बीमाधारियों को भुगतान करने के लिये इस बीच क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) बर्मा में भारतीय नागरिकों को जारी की गई कुछ पालिसियों के दावों का जो सदा के लिये बर्मा छोड़ गये हैं, जिनकी संख्या 100 से कम है, अभी तक भुगतान नहीं किया गया है।

(ख) अभी भारत को धन लौटाने के लिये आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि बर्मा में कारपोरेशन के व्यापार के सम्बन्ध में उसके दायित्व उस देश में उसकी आस्तियों से अधिक है।

(ग) चूंकि यह कठिनाई यूनियन बैंक आफ बर्मा द्वारा दिये गये इस निदेश के कारण पैदा हुई है कि बर्मा रजिस्टर में जो पालिसियां दर्ज हैं उनके सम्बन्ध में सब भुगतान पालिसीधारियों के बर्मा में गर-निवासियों के लेखे में किये जाने चाहियें, इस बारे में इस बैंक को अभ्यावेदन किये गये हैं। इसके फलस्वरूप यूनियन बैंक आफ बर्मा में इस बीच कारपोरेशन को सूचित किया है कि वे प्रत्येक व्यक्ति के मामले पर उसके गुण दोष के आधार पर पालिसियों को भारतीय रजिस्टर में हस्तान्तरित करने के लिये प्रार्थना-पत्रों पर विचार करने के लिये तैयार है। तदनुसार प्रार्थना-पत्र दिये जा रहे हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या प्रत्यावर्तित लोगों की भुगतान की हुई प्रीमियम की राशि का पता लगाने तथा उस सूचना के आधार पर उनको भुगतान करने में कोई विशेष कठिनाई है ?

श्री ब० रा० भगत : इस समय जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उस पर चलना ही अच्छा है बजाय इसके कि जीवन बीमा निगम उन दायित्वों को अपने हाथ में ले, जिनकी आस्तियां यहां स्थानान्तरित नहीं हुई हैं। यदि कोई आपत्ति होगी तो फिर वह ढंग अपनाया जायेगा।

Shri Yashpal Singh : Has Government carried out any survey on individual basis to ascertain the loss sustained by people who were residing there ? As our LIC is carrying on its business and maintaining its office there, has any effort been made to know the individual losses suffered and by what time its payments would be made ?

Shri B. R. Bhagat : This question relates to the payment of matured policies. As I have stated the number of such policies is less than 100. The Burmese Government have agreed to decide these cases on their individual merits.

श्री उ० मू० त्रिवेदी : बर्मा सरकार का भुगतान करने के प्रश्न से क्या संबंध है जब कि उन भारतीयों की ये पालिसियां देय हो चुकी हैं, जो पहले ही से यहां हैं ? बर्मा सरकार का उस भुगतान से क्या संबंध है जो जीवन बीमा निगम को करना है ?

श्री ब० रा० भगत : यह बर्मा रजिस्टर में है, क्योंकि भारतीय वहां बसे हुए थे। इसलिये उस देश के विनिमय नियंत्रण विनियम इसमें बाधक होते हैं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : यह कोई उत्तर नहीं है। भुगतान जीवन बीमा निगम को करना है क्योंकि उनके लिये दायित्व पैदा किया जा चुका है। इस दायित्व का जीवन बीमा निगम को भुगतान करना है। लोग भारत में हैं और जीवन बीमा निगम भी भारत में है। बर्मा सरकार का इस मामले से क्या सम्बन्ध है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : क्यों कि ये सभी संविदा बर्मा में हुए थे और वे कुछ शर्तों के अधीन हैं जोकि बर्मा सरकार ने बर्मा में आस्तियों को रखने के संबंधों में लगाई हैं, चाहे वह बर्मा के नागरिक हैं अथवा और किसी देश के राष्ट्रजन। इसलिये वह उसी सरकार को निबटाना है। संविदा बर्मा में हुआ था न कि भारत में।

Shri Gulshan : It is a fact that the Minister of External Affairs Shri Swaran Singh visited Burma recently ? If so, was it not decided that there should be discussion on insurance policies?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरे विचार में जब मेरे सहयोगी ने उस देश की यात्रा की तो इस प्रकार के मामलों पर कोई निर्णय नहीं हुआ था। निस्संदेह भारतीयों की आस्तियों के प्रश्न का उल्लेख हुआ था परन्तु कोई निश्चित निर्णय नहीं किया गया था।

श्री नारायण दांडेकर : यद्यपि मैं वित्त मंत्री के साथ इस बात से सहमत हूं कि संविदा संबंधी स्थिति ऐसी है जैसी कि उन्होंने बताई है, क्या जीवन बीमा निगम इन व्यक्तियों को उनकी पालिसियों की कुछ उचित सीमा तक ऋण देने के संबंध में विचार करेगी, अर्थात् 70 से 75 प्रतिशत तक, ताकि जब तक दूसरी बातों पर समझौता वार्ता हो, इन व्यक्तियों को कोई कठिनाई न उठानी पड़े ?

अध्यक्ष महोदय : यह सुझाव है।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : सुझाव लिख कर भेज दिया जाये।

श्री अ० प्र० जैन : साधारणतया संविदा पर अमल उसके शब्दों के अनुसार होता है न कि उस स्थान के अनुसार जहां वह हुआ हो। क्या बर्मा सरकार का कोई ऐसा कानून है अथवा संविदा का कोई निबन्धन है जो बीमा धारी व्यक्तियों को भुगतान करने के मार्ग में बाधा डालता है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं ऐसी कल्पना भी नहीं करता कि मेरे विद्वान मित्र को कानून बताने की आवश्यकता है। वास्तव में स्थिति ऐसी है कि संविदा बर्मा में हुआ अतः बर्मा का ही कानून लागू होगा और वे अस्तियों को उस स्थान पर रखेंगे। इसलिये जब तक हमें अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं होती कि हम आस्तियों को निकलवा सकते हैं और साथ ही संविदा की शर्तों को भी पूरा कर सकते हैं, हम इस प्रकार का कोई काम नहीं करेंगे। जहां तक अंतरिम सहायता के सुझाव का सम्बन्ध है जैसा कि दूसरी ओर से सुझाव दिया गया है, यह सुझाव जीवन बीमा निगम को भेजना होगा।

श्री भागवत झा आजाद : यदि संविदा पर हस्ताक्षर करना ही भुगतान की राह में एक रुकावट है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बर्मा सरकार ने सिद्धान्त रूप में यह मान लिया है कि ऐसी पालिसियों को बर्मा-रजिस्टर से भारत रजिस्टर में स्थानान्तरित कर दें अथवा भेजे जाने वाला हर एक आवेदन पत्र पर अन्य कारणों से विचार होगा ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरे सहयोगी मित्र ने जो उत्तर दिया है वह स्पष्ट है अर्थात् यह कि यूनियन बैंक आफ बर्मा ने इन पर विचार करने का वचन दिया है। यह कहना कठिन है कि वह एक ऐसे सिद्धान्त के आधार पर यह काम करेंगे जो सब मामलों पर लागू हो सकेगा अथवा वे हर एक मामले पर अलग अलग ध्यान देंगे।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The Hon. Minister has stated that there are about 100 policies. I want to know the amount of these policies and whether there are some policy holders who want to realise their amount by remaining there ?

Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : Full amount is not known. We are in correspondence with them.

श्री विश्वनाथ राय : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को बीमा पालिसियों की राशि का पता है जो भारतीय नागरिकों ने बर्मा में करवाई हैं ?

श्री ब० रा० भगत : हमारे पास सूचना नहीं है।

रोचे प्रौडक्टस लिमिटेड, बम्बई

+
*451. { **श्री किशन पटनायक :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय के प्रवर्तन निदेशालय ने कम मूल्य का बीजक बनाने तथा विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघनों के लिये मई, 1964 में 28, तारदेव रोड, बम्बई-34 स्थित मेसर्स रोचे प्रोडक्ट्स लि० की तलाशी ली थी ;

(ख) क्या कोई अपराधारोपक प्रमाण मिला था ; और

(ग) लगभग 6 महीने हो जाने पर भी और आगे कुछ कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) विदेशी मुद्रा नियमों के संदिग्ध उल्लंघनों के लिये प्रवर्तन निदेशालय ने 8 मई, 1964 को 28, तारदेव रोड, बम्बई स्थित मैसर्स रोचे प्रोडक्ट्स लि० के स्थान की तलाशी ली थी।

(ख) उनके कागजात पकड़े गये हैं।

(ग) पकड़े गये कागजातों की, जो बहुत अधिक हैं, छानबीन हो रही है।

Shri Kishen Pattanayak : Is it a fact that this Company is importing a chemical chloride proxide to manufacture librium at the rate of Rs. 5,000 per kilo from its own company in Switzerland whereas other companies are importing it at the rate of Rs. 300 to Rs. 400 per kilo, and thereby smuggling foreign exchange ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : यह एक ऐसा विषय है जिस पर छानबीन होनी है। छानबीन जारी है।

Shri Kishen Pattanayak : Whether Government's attention has been drawn to the news published in a section of the press in Maharashtra stating that the manager of this company, who is a great smuggler of foreign exchange, calls bad names to Indians by calling them mean and idiots ?

श्री राम सहाय पाण्डेय : माननीय सदस्य किस अखबार की चर्चा कर रहे हैं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

"एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका" में काश्मीर का मान चित्र

\+

***452.** **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या वित्त मंत्री 1 अक्तूबर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 516-क के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका" 1964 (लाल-रायलटैक्स जिल्द) के खंड 24 के पृष्ठ संख्या 1, 4, 60, 65, 66 और 67 पर दिये गये उस मानचित्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली गई है जिसमें काश्मीर को भारत के एक भाग के रूप में नहीं दिखाया गया है परन्तु उसे काले रंग से इतना रंग दिया गया है कि संसार की एटलस में काश्मीर का पूरा मानचित्र दिखाई ही नहीं देता ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) इस बात का पता लगा लिया गया है कि ऐन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, 1964 (रैड-रायलटैक्स जिल्द) की कुछ प्रतियों का भारत में आयात किया गया है। आयात के समय यह देखा गया था कि खंड 24 में दिए गए भारत के मानचित्र के काश्मीर वाले भाग में प्रकाशकों ने काला रंग भर रखा था।

(ख) जम्मू तथा काश्मीर को मानचित्र में ठीक से दिखाने का मामला प्रकाशकों के साथ उठाया गया है।

Shri Vishram Prasad : The minister has just now stated that talks are going on with the publishers. I want to know as to what extent they have been successful ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : यह तो नये आयात पर पता चलेगा कि क्या उन्होंने सरकार की अपेक्षाओं के अनुसार काम किया है। अभी तक जो प्रतियां प्राप्त हुई हैं उनमें वे विशेष भाग काले कर दिये गये हैं।

Shri Vishram Prasad : Have Government tried to know the reason for showing Kashmir in black colour in the Encyclopaedia Britannica ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरे विचार में यह कार्यवाही प्रकाशकों ने की है। सरकार इन पुस्तकों का कोई भाग काला नहीं कर सकती क्योंकि ये उनके पास हैं ही नहीं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। वह तो यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने उन व्यक्तियों से, जो इसके लिये उत्तरदायी हैं, यह जानने का प्रयास किया है कि उनका आशय क्या है।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : उनके आशय के बारे में कहना तो बहुत कठिन है। इन सब मामलों में वे तो गलती होने का बहाना लगाते हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : इस बात का ध्यान रखते हुए कि यह एक बहुत गम्भीर मामला है और हमारे देश का एक भाग पाकिस्तान में दिखाया गया है, सरकार ने इन पुस्तकों की बिक्री तथा वितरण पर रोक लगाने में क्या कार्यवाही की है और क्या मैं जान सकती हूं कि क्या ब्रिटिश सरकार को एक विरोध पत्र भेजने पर विचार करना आवश्यक समझा गया है अथवा नहीं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : ऐनसाइक्लोपेडिया ब्रिटेनिका का उन लोगों के लिए जो इन्हें प्रयोग में लाते हैं बड़ा लाभ है। मेरे विचार से हमारा उद्देश्य सिद्ध हो जाता है जब हम इन व्यक्तियों का ध्यान दिलाते हैं कि वे जम्मू-काश्मीर का इस प्रकार से चित्रण न करें। इस मामले में उन्होंने उसे काला रंगने का प्रयत्न किया है जिससे कि किसी को भूल का पता न चल सके। इसका अभिप्राय यह है कि उन्हें इस प्रश्न पर भारत के लोगों की भावनाओं का पता है।

Shri M. L. Dwivedi : I want to know whether the Government of India have written to the Government of the U.K. to give information as to whether the portion of Kashmir was shown in black colour by the publishers intentionally or it was done due to some mistake ? By what time will this information be available ?

Mr. Speaker : I have already asked this.

Shri Bhagwat Jha Azad : What answer was given to that ?

Shri Vishram Prasad : Is the Government in a position to tell as to what was the motive for doing so ? Was it done deliberately or it happended due to mistake ?

Mr. Speaker : What can he say about it ?

Shri Sarjoo Pandey : May I know whether the two countries *viz.*, America & Britain, generally bring out maps and books which show Kashmir quite separate from India......

Mr. Speaker : Please do not enter into other matters. Confine yourself to encyclopaedia only.

Shri Sarjoo Pandey : What firm action is being taken by the Govt. in this matter ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : सरकार का आदेश भारतवर्ष की सीमा में ही चलता है, बाहर नहीं।

डा० सरोजिनी महिषी : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार छापने वाले और प्रकाशकों से उनकी इस भूल की कम से कम अभिस्वीकृति प्राप्त करने का प्रयत्न करेगी ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : ऐसा ही प्रतीत होता है। यह तथ्य, कि इसे काला कर दिया गया है, उनकी भूल को दर्शाता है।

श्री वी० चं० शर्मा : भारत में अधिकांश विश्वविद्यालय, अधिकांश पुस्तकालय तथा कुछ दूसरे व्यक्ति ऐनसाइक्लोपेडिया ब्रिटेनिका खरीदते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री ने एक परिपत्र विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में परिचालित किया है जिसमें कहा गया है कि ग्रन्थ-खंड संख्या 24 काश्मीर पर भारत की प्रभुसत्ता के बारे में बहुत गलत सूचना देता है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरे विचार से यह एक सुझाव है और मैं इसे विदेश मन्त्रालय को भेज दूंगा।

श्री नाथ पाई : क्या वित्त मन्त्री ने यह अनुभव किया है कि विदेशी प्रकाशनों में इस प्रकार का हस्तक्षेप दण्डाभाव के कारण चलता रहता है क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार कोई कठोर कार्यवाही उनके विरुद्ध नहीं करती और वे निर्विघ्न बच निकलते हैं जैसा कि "वाइल्ड लाइफ इन इंडिया" नाम की पुस्तक से सिद्ध होता है जिसमें कि लेखक कहता है .....

अध्यक्ष महोदय : वह कृपया अपने आप को अनुपूरक प्रश्न तक ही सीमित रखे। अब वह जंगली जीवन पर चले गये हैं।

श्री नाथ पाई : अध्यक्ष महोदय मेरे साथ ऐसा नहीं बर्ताव होना चाहिये कि जैसे मैं कठघरे में खड़ा हूं। मैं यह अवश्य कहूंगा क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने उस पुस्तक की भूमिका लिखी है जिसमें काश्मीर को "भारत द्वारा कब्जा किया काश्मीर लिखा है"। ऐसा तो रवैया है। इसलिये लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। मैं इसका एक शब्द में कैसे वर्णन करूं। अध्यक्ष महोदय मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब तक वह इस विषय में बहुत गंभीरता नहीं अपनाते और काश्मीर के बारे में जब कभी इस प्रकार का वर्णन हो तभी वे क्रोध प्रदर्शित नहीं करेंगे, लोग ऐसा ही समझते रहेंगे। मैं संकेत कर रहा था कि इस पुस्तक को यह श्रेय प्राप्त है कि इसकी भूमिका किसी छोटे आदमी ने नहीं अपितु भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने लिखी है जिसमें लेखक ने तथा कथित "भारत और काश्मीर" का वर्णन किया है। हम इस प्रकार के रवैये के कारण अपमानित किये जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह इस बारे में पर्याप्त गम्भीरता अपनायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं सब माननीय सदस्यों से फिर यह निवेदन करूंगा जिन में कि श्री नाथ पाई भी सम्मिलित हैं, क्योंकि वह बहस करते हैं और वह भी बहुत जोर से, कि ऐसी बातें आवश्यक नहीं होतीं जिनसे कि प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ सके। उन्होंने कुछ दूसरी बातों का उल्लेख किया है जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मैंने संकेत किया था कि वह सीधे अनुपूरक प्रश्न पर आते परन्तु वह ऐसा करने पर अड़े रहे। मैं सब माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा......

श्री नाथ पाई : मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह और आप इस पुस्तक के बारे में जानते थे जिसका मैंने जिक्र किया है ?

अध्यक्ष महोदय : शायद मैं इसे नहीं जानता। इसका जानना मेरे लिए आवश्यक नहीं है।

श्री नाथ पाई : मुझे आपका निर्णय स्वीकार है। परन्तु मैं यह निवेदन कर दूं कि मैंने "हाउस आफ कामन्स" में भी एक एक पृष्ठ के प्रश्न देखे हैं। मेरा प्रश्न तो बिल्कुल संगत था, जब मैंने एक दृष्टान्त दिया।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसे अनुपूरक प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा जो कि एक पृष्ठ में आये। अब उत्तर मिलना चाहिये।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : वास्तव में प्रश्न तो केवल एक पैरा का है परन्तु मेरे लिये तो यह जानना ही कठिन हो गया है कि प्रश्न क्या है।

श्री नाथ पाई : क्या मैं दोहरा दूं ? क्या वह ऐसा नहीं अनुभव करते कि संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और बरतानिया के जो प्रकाशन इस देश में आते हैं अथवा उनके अभिकरणों के द्वारा छपते हैं, वे काश्मीर को भारत से भिन्न भाग दर्शाते हैं, क्योंकि उनके विचार में यहां की सरकार इन को गम्भीरता से नहीं देखती और उन्हें विश्वास है कि वह बिना दण्ड के छूट जायेंगे। क्या वह इस पर विचार करेंगे और इस मामले में कठोर होने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : बात यह है कि जब कोई काश्मीर को भारत से भिन्न भाग के रूप प्रस्तुत करते हैं तो मैं भी अपने मित्र महोदय से कम परेशान नहीं होता। परन्तु मेरा कार्यक्षेत्र तो केवल सीशशुल्क प्राधिकार तक ही सीमित है, जिस से मैं ऐसी पुस्तकों को, जो कि अवांछनीय हैं, भारत में प्रविष्ट न होने दूं।

श्री अ० प्र० जैन : सरकार का संयुक्त उत्तरदायित्व है।

श्री रघुनाथ सिंह : और सांझा नेतृत्व।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यहां हम ऐसा प्रयास करते हैं कि ऐसी पुस्तकें भारत में न आयें, जो काश्मीर को भारत से अलग दिखाती हों, और इस मामले में प्रकाशक भी यह समझ गये हैं और उन्होंने इसे स्याही से पोत दिया है। हमें इस बारे में सतर्क रहना चाहिये। यदि हम उन देशों की सरकारों को विरोध पत्र भेजें तो वे कह देंगी कि वे अपने देश के प्रकाशकों के लिये उत्तरदायी नहीं हैं।

श्री तिरुमल राव : इस बात का ध्यान रखते हुए कि यह पुस्तक न केवल भारत में अपितु अंग्रेजी बोलने वाले सारे देशों में प्रामाणिक मानी जाती है, क्या सरकार इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने का तथा इसकी अब तक भारत में जितनी प्रतियां आ गई हैं उन्हें जब्त करने का विचार रखती है ?

श्री रघुनाथ सिंह : केवल यही एक पुस्तक नहीं अपितु जितनी भी इस प्रकार की पुस्तकें हैं।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इससे तो उल्टी हानि ही होगी।

श्री के० दे० मालवीय : सरकार ने जो उत्तर अभी दिया है क्या उस से यह प्रभाव नहीं पड़ता कि सरकार इस गम्भीर मामले को कोई महत्व नहीं देती ?

अध्यक्ष महोदय : फिर इस प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिये ?

श्री के० दे० मालवीय : मेरे विचार से सरकार इसे कम महत्व दे रही है।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या "ऐनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका" ने सब विवादग्रस्त क्षेत्रों के बारे में चाहे वे दुनिया में कहीं भी हों, ऐसा ही ढंग अपनाया गया है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैंने ऐसी कोई पड़ताल नहीं की है।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार ऐसा नहीं सोचती कि काश्मीर के बारे में ये असंगतियां समय समय पर इसलिये उत्पन्न होती हैं कि सरकार ने काश्मीर को हमेशा संविधानिक अनिर्णय में लटका रखा है ? मेरे विचार में वित्त मंत्री इस प्रश्न का उत्तर देंगे क्योंकि हमारे यहां सांझा नेतृत्व है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही विनिर्णय दे रखा है कि प्रश्न काल में जिस मंत्री का जो विषय है उसके लिये वही उत्तरदायी है और उसी से वह प्रश्न पूछने चाहियें, दूसरों से नहीं।

श्री हेम बरुआ : इसके लिये तो वही उत्तरदायी हैं।

अध्यक्ष महोदय : सामूहिक उत्तरदायित्व इस प्रश्न पर लागू नहीं होता।

श्री हेम बरुआ : मैं इसे तो यहां छोड़ दूंगा परन्तु अपने प्रश्न को अवश्य पूछूंगा।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं फिर नहीं जानता; क्या मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना है? प्रश्न इस मामले में सरकार की राय का था और काश्मीर को भारत का अभिन्न अंग करार देने में सरकार की सफलता का। दूसरी ओर मैं समझता हूं कि सरकार इस बात का अनुभव करती है और कई बार सरकार ने यह कहा है कि काश्मीर भारत का अंग है।

श्री भागवत झा आजाद : क्योंकि सरकार यह कहती है कि वह भी हमारे देश के एक भाग की प्रभुता के संबंध में उतनी ही गंभीर है जितने कि हम, सरकार ने प्रकाशक को लिखने की बजाये जिसने कि इसको स्वीकार करने की भी परवाह नहीं की, संबंधित सरकार से विरोध प्रकट क्यों नहीं किया?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं नहीं समझता कि हमने प्रकाशक को लिखा है और उसने स्वीकार नहीं किया है। परन्तु, वास्तव में यह एक व्यक्तिगत प्रकाशन है जो भारत में आता है और जिस पर हमें कार्यवाही करनी है। यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर हम सरकार से लिखा पढ़ी करते हैं।

श्री भागवत झा आजाद : मेरा प्रश्न यह था कि सरकार ने अन्य संबंधित सरकार को इस मामले की सूचना क्यों नहीं दी?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर उन्होंने दे दिया है। शायद उस सरकार को इस मामले में कुछ नहीं करना है। यह ही माननीय मंत्री पहले बता चुके हैं।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार ने उनको लिखा है अथवा यह केवल एक धारणा है?

अध्यक्ष महोदय : यह शायद एक धारणा है।

श्री भागवत झा आजाद : जब देश की प्रभुता का प्रश्न हो तब भी वह धारणा करते हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या इस प्रकार की आशंका में कोई औचित्य है कि जहां तक प्रभावी शिकायत का संबंध है हम काश्मीर को लगभग खो चुके हैं?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं इस प्रकार के कथन से सहमत नहीं हूं।

Shri K. D. Malaviya : Mr. Speaker, Sir, I would request to transfer this question to the External Affairs Ministry so that we may be able to ask appropriate questions.

Mr. Speaker : The question has already been asked.

श्री श्यामलाल सर्राफ : जैसा कि माननीय सदस्य पहले ही बता चुके हैं, यह कोई पहली बार नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, अमरीका तथा ब्रिटेन जैसे जिम्मेवार देशों के साथ ऐसी घटना हुई है। ये ज्ञात संगठन हैं जो कि जान बूझकर या अन्यथा इस बड़ी गलती को बार बार करता है। क्या सरकार ने इस मामले को वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में गंभीररूप से लिया है यह सुनिश्चित करने के लिये कि इन कार्यालयों से बातचीत की जाये और उनको मन का चाहे कि वे ऐसी गलतियों को दोबारा नहीं होने दगे?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि मैं प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं। इस मामले का संबंध सीमा शुल्क द्वारा निर्यात की वस्तुओं से है। इस मामले में हम केवल दो ही बात कर सकते हैं, या तो इस पुस्तक के आने पर पूर्ण रोक लगा दे या इस पुस्तक के भिन्न तरीके से भेजने के लिये कहें। इस मामले के संबंध में प्रकाशकों को बता दिया गया है।

श्री शिकरे : क्या सरकार इस से अवगत है कि गोआ, दमन और दीव की स्वतन्त्रता 2 वर्ष के बाद तक भी ये प्रदेश संयुक्त राष्ट्र के प्रकाशनों में पुर्तगाली बस्तियों के रूप में दिये जाते रहे थे....

अध्यक्ष महोदय : इस समय गोआ का प्रश्न नहीं है।

श्री शिकरे : ......क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि सोये रहते थे, और यदि हां, तो क्या सरकार कम से कम उन लोगों को अब जागृत करने पर विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न से इसका संबंध नहीं है।

National Defence Fund

***453 Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) when Government expect the melting operation of the gold ornaments and other articles of jewellery so far received by the National Defence Fund to be completed ; and

(b) the procedure followed in this behalf ?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) Gold ornaments and jewellery not selected for sale for their artistic value have already been melted.

(b) The melted gold is refined to a fineness of 0·995 fine and over and cast into bars of uniform weight of 400 ounces each.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the quantity of gold so far melted as also the quantity of base metal left behind after this process and whether copper was mixed in gold in this process ?

Shri B. R. Bhagat : So far 23,74,242 grams of gold has been melted and according to the fineness told by me, *i.e.*, ·995 the quantity of refined gold comes to 19,05,157 grams.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Are Government aware that some of the states have not so far given the gold in the Defence Fund committed by them, if so, the action being taken by Government in this regard ?

Mr. Speaker : The question pertains only to the received quantity of gold and not to the outstanding quantity.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the officers that were present when the gold was melted and whether some Members of Parliament will also be taken to see the melting of the gold in future ?

Mr. Speaker : This point cannot be raised here.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The names of the persons in whose presence the gold was melted may at least be told as there is a scandal about it.

Mr. Speaker : We cannot go into those details. We must have faith in the Government. Then he will ask as to the quantity of the coal burnt.

Shri S. M. Banerjee : To what use the melted gold and the gold received by Government will be put ? At that time slogans of 'ornaments for armaments'

were raised. May I know whether armaments will be purchased or will be put to some other use ?

Shri B. R. Bhagat : The melted gold has been sent to the Reserve Bank. The ornaments are purchased with the money of the whole of the country.

Shri Kashi Ram Gupta : That gold be converted into 14 carat or 22 carat ?

Shri B. R. Bhagat : I have already told the fineness.

Shri Kashi Ram Gupta : We have not understood fineness. Tell us the carat.

Mr. Speaker : Where do the carats come when he has already told the fineness ·995·

श्री मानसिंह पृ० पटेल : यह देखते हुए कि सरकार ने अब तक केवल 23 लाख ग्राम सोना गलाया है, सरकार को सारा सोना गलाने में कितने वर्ष लगेंगे ?

श्री ब० रा० भगत : कुल 24,32,257 ग्राम सोना प्राप्त हुआ था, जिसमें से 23 लाख ग्राम से कुछ अधिक सोना गलाया जा चुका है। अतः काफी सारा गलाया जा चुका है ।

एकक प्रन्यास की यूनिटों द्वारा विनियोजन

***454. श्री अल्वारेस :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकक प्रन्यास की यूनिटों की बिक्री से प्राप्त धन में से अब तक कितने धन का विनियोजन किया जा चुका है ;

(ख) इस धन का किस प्रकार विनियोजन किया गया है ;

(ग) इस प्रकार के विनियोजन की पूर्ववर्तितायें क्या हैं ; और

(घ) सट्टा शेयर बाजार की ओर से किस सीमा तक प्रतियोगिता का मुकाबला किया गया ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) 30 नवम्बर, 1964 तक कुल 18.21 करोड़ रुपये के यूनिट सर्टिफिकेट बेचे गये । कुछ काम चलाऊ अवशिष्ट रकमों को छोड़ कर, जो ट्रस्ट के लिए एजेंट का काम करने वाले बैंकों के पास रहती हैं, यह रकम शेयर बाजारों में सूचित की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों, साधारण और तरजीही शेयरों और बन्धपत्रों (बांड) तथा ऋण पत्रों (डिबेंचर) में लगा दी गयी है।

(ग) उद्देश्य यह है कि प्राप्त धन का निवेश ट्रस्ट द्वारा अपने विवेकानुसार, यूनिट खरीदने वाले लोगों के हित में किया जाय। ट्रस्ट द्वारा प्राथमिकता का न कोई खास क्रम निर्धारित किया गया है और न उसका अनुसरण किया जाता है।

(घ) यह समझने का कोई कारण नहीं है कि शेयर बाजारों में होने वाले सट्टे का ट्रस्ट के कामों पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ा है।

श्री अल्वारेस : क्या यह सच नहीं है कि सट्टा बाजार अधिक नेक वाली रसीदों में पैसा लगाता है और एकक प्रन्यास अलाभप्रद रसीदों में पैसा लगा रहा है ?

श्री ब० रा० भगत : जी, नहीं।

श्री कपूर सिंह : क्या यह सच है कि नियोजकों द्वारा जुलाई के मास में जो राशियां दी गई थीं उन्हें जारी किये गये एकक प्रमाणपत्रों में प्रमाणपत्रों के जारी किये जाने की तिथि में दिया गया बताया गया है, जो प्रक्रिया अभी भी जारी है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री ब० रा० भगत : मेरे सामने प्रत्येक मास के ब्योरे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रमाणपत्रों के जारी किये जाने की तारीख क्या है? क्या यह पैसे की रसीद के जारी किये जाने की तारीख से मिलती है?

श्री ब० रा० भगत : मैं नहीं जानता। मैं पता करूंगा।

श्री कपूर सिंह : मैं ने जुलाई में पैसा दिया था और जारी किये गये प्रमाणपत्र की तारीख नवम्बर है। चार महीने तक उन्होंने मेरे पैसे को बिना ब्याज दिये रखे रखा है।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता।

श्री रामनारायण चेट्टियार : माननीय मंत्री ने 18.21 करोड़ रु० बताये, जिसमें से कुछ अंशों में नियोजित किये गये हैं, कुछ सरकारी प्रतिभूतियों में। इस में से कितना पैसा साम्य अंशों में लगाया गया है?

श्री ब० रा० भगत : शेयर और स्टाक का मेरे पास अलग अलग हिसाब नहीं है। मैंने मुख्य श्रेणियां बता दी हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री राम सहाय पाण्डेय। वह प्रश्न काल में भी अपना स्थान बदलता रहे हैं।

श्री राम सहाय पाण्डेय : मुझे खेद है। एकक किन मूल्यों पर बेचे गये थे और उन्हें किन मूल्यों पर पुनः खरीदा जा रहा है?

श्री ब० रा० भगत : इसकी घोषणा प्रत्येक दिन की जाती है। क्रय मूल्य 10 रु० है।

Shri Raghunath Singh : May I know whether the hopes of the Government, that Unit Trust will fetch so much of money, have been fulfilled, whether the income has been to the expectations ?

Shri B. R. Bhagat : Income is to the expectation.

Shri Raghunath Singh : 18 crores of rupees is a very little amount.

Shri B. R. Bhagat : It is still going on.

श्री रंगा : क्या हम माननीय मंत्री से मांगी गई जानकारी को बाद में देने के लिये अनुरोध कर सकते हैं, यदि आवश्यक हो तो इन नियोजनों की अलग अलग राशियों के बारे में साम्य अंशों में कितनी, सरकारी प्रतिभूतियों में कितनी आदि आदि? यह कैसे हो सकता है कि उनके पास अब जानकारी नहीं है?

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें जानकारी देने के लिये कहूंगा।

श्री रंगा : दूसरी जानकारी जो पूछी गई है, वह भी उनके पास नहीं है। यह एक असाधारण बात है। अब, इसकी क्या दर बताई जाती है?

श्री ब० रा० भगत : प्रत्येक दिन इसे घोषित किया जाता है।

श्री रंगा : परन्तु, है कितनी?

श्री ब० रा० भगत : 10.5 रु० प्रति यूनिट।

डा० पं० शा० देशमुख : क्या सरकार इससे अवगत है कि सरकारी प्रतिभूतियों में नियोजन से अंशधारियों को जो ब्याज दिया जायेगा वह उसे अपनी आमदनी से दे सकेगी ?

श्री ब० रा० भगत : यही कारण है कि वे सब सरकारी प्रतिभूतियों में नहीं हैं। केवल एक छोटा सा भाग है। यह आम तौर पर वार्षिक प्रतिवेदन में आ जायेगा, परन्तु, यदि सभा को किसी विशेष प्रश्न पर जानकारी चाहिये तो मैं दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसे सभा पटल पर रखा जा सकता है।

श्री अ० प्र० जैन : इन 18 करोड़ रुपये में से सरकार ने सरकारी प्रतिभूतियों में कितना रुपया लगाया है, और ऐसा सरकार ने किन विचारों को दृष्टिगत रख कर किया है ?

श्री ब० रा० भगत : प्रन्यास से खरीदने वालों को पर्याप्त लाभ होना चाहिये, और यही कसौटी है जिसका विभिन्न विनियोजनों में खयाल रखा जाता है। इसीलिये निधियों को सरकारी प्रतिभूतियों और ऊंची आय देने वाले विभिन्न बंधों में विनियोजित किया जाता है जिससे कि औसत आय इतनी हो कि वह विनियोजक के लिये आकर्षक हो।

श्री शामलाल सर्राफ : जहां तक मैं समझता हूं यह योजना ग्रामीण जनता को विनियोजन के अवसर देने के लिये है। ग्रामीण क्षेत्रों से हमें कितना रुपया प्राप्त हुआ है, और ग्रामीण क्षेत्रों के विनियोजन का शहरी क्षेत्रों के विनियोजन से क्या अनुपात है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : अभी केवल 6 महीने ही हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार के लिये योजना अभी आरम्भ की जाती है। कुछ केन्द्रों पर कार्यालय स्थापित किये जा रहे हैं, और रुपया इकट्ठा करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में अभी प्रचार नहीं किया गया है।

समवाय कार्य विभाग

*455. **श्री मानसिंह पृ० पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक पृथक डिपार्टमेंट आफ कम्पनी अफेयर्स बनाने पर विचार कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा इसमें किस तारीख से काम आरम्भ हो जायेगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) राष्ट्रपति के दिनांक 18–11–1964 के आदेशानुसार समवाय-कार्य तथा बीमा विभाग पहले ही बनाया जा चुका है।

(ख) नया समवाय-कार्य तथा बीमा विभाग बनाने का निश्चय करने से पूर्व सरकार ने प्राक्कलन समिति के 53 वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट उन सुझावों पर विचार किया जिन के अनुसार समवाय विधि प्रशासन को राजस्व विभाग में समामेलन संबंधी पूर्व के निश्चय पर पुनर्विलोकन होना अपेक्षित था। विशेष रूप से सरकार ने प्राक्कलन समिति के उक्त सुझाव की ओर ध्यान दिया जिस में समवाय विधि प्रशासन का आर्थिक कार्य विभाग के साथ निकटतर सोद्देश्य माना गया था। क्योंकि समवाय विधि प्रभाग का आर्थिक कार्य विभाग के साथ विलयन पश्चादुक्त के विभागीय कार्य-भार की सीमा से अत्यधिक बढ़ जाने के फलस्वरूप संभव नहीं था, इसलिये सरकार ने कुछ वे विषय जो पहले आर्थिक कार्य विभाग द्वारा संव्यवहरित होते थे, नए बनाए गए समवाय कार्य तथा बीमा विभाग को सौंप दिए गए हैं।

श्री मानसिंह पृ० पटेल : यह नया विभाग विभिन्न कम्पनियों द्वारा लोकनिधियों के दुरुपयोग की किस प्रकार रोकथाम करेगा ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : वास्तव में, विभाग वही कार्य करेगा जो पहले कर रहा था। अब कुछ अधिक कार्य दिया जा रहा है।

श्री मान सिंह पृ० पटेल : इस विभाग के निर्माण द्वारा कितना अतिरिक्त व्यय किया जायेगा।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : वही व्यय होगा। आर्थिक-कार्य विभाग में बीमे का काम करने वाले बहुत से अधिकारियों की इस विभाग में बदली कर दी जायेगी।

दिल्ली में पीने के पानी का दूषित हो जाना

*456. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री हरि विष्णु कामत : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या जल संभरण समिति दिल्ली ने सरकार से अनुरोध किया है कि क्योंकि दिल्ली प्रशासन तथा पंजाब उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं ; इसलिये पीने के पानी के हाल में दूषित हो जाने के कारणों का पता लगाने के लिये सरकार जांच का आदेश दे ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) दिल्ली नगर निगम की जल प्रदाय तथा मल निष्कासन समिति ने 20 नवम्बर, 1964 को एक प्रस्ताव पास किया जिसमें भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह नदी के जल दूषण के कारणों के बारे में जांच पड़ताल करे और उसकी जिम्मेदारी निर्धारित करे तथा ऐसा संकट फिर न पैदा हो इसके लिये भी आवश्यक सभी उपाय ढूंढे।

(ख) एक समिति नियुक्त की जा रही है।

श्री दी० चं० शर्मा : जांच समिति में कौन कौन सदस्य होंगे और वह अपना प्रतिवेदन कब देगी ?

श्री पं० शे० तास्कर : स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री की अध्यक्षता में समिति नियुक्त करने का विचार है ; दो या तीन संसद् सदस्य होंगे, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के इंजीनियर होंगे और 1 या 2 अन्य सदस्य होंगे।

श्री दी० चं० शर्मा : इस समिति के विशिष्ट निर्देशपद क्या होंगे और इसका प्रतिवेदन किस समय तक उपलब्ध होगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : निर्देशपद तैयार किये जा रहे हैं, उनमें सभी संबंधित बातों को लिया जायेगा। मैं इस समय यह बताने की स्थिति में नहीं हूँ कि इसमें कितना समय लगेगा। ज्यों ही हम बताने की स्थिति में होंगे हम बता देंगे। परन्तु इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। तथापि, मैं निश्चित तारीख नहीं बता सकती।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : जल की दूषितता कितने प्रतिशत है. . . . (**अन्तर्बाधाएं**) मेरा अर्थ है बैक्टेरिया, कीड़े आदि कितने प्रतिशत हैं।

डा० सुशीला नायर : मेरे लिये यह बताना संभव नहीं है। जहां पर भी नदी में छोटी मोटी नदियां या नाले आकर मिलते हैं उस स्थान पर दूषितता का स्तर नदी में आने वाले पानी की मात्रा के अनुसार होता है। स्वास्थ्य मंत्रालय केवल पानी को साफ करने से संबंध रखता है जिससे कि इसमें जो भी रोगाणु तत्व हों उसके परिणामस्वरूप कोई रोग न फैल सके और सौभाग्य से हमें अब तक इसमें सफलता मिली है।

—— ——

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निवास-स्थानों में निर्माण सम्बन्धी परिवर्तन

*444. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका ने संघ सरकार को नोटिस भेजे थे कि वह स्पष्टीकरण दे कि उसकी पूर्व अनुमति के बिना उप-राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री सहित कुछ अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निवासस्थानों में निर्माण संबंधी परिवर्तन तथा परिवर्द्धन क्यों किये गये ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि परिवर्तन करने से पहिले कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी ; और

(घ) क्या मंत्रालय की इस भूल के लिये सरकार ने नई दिल्ली नगरपालिका से खेद प्रगट किया है ?

निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (घ) नई दिल्ली नगर पालिका ने, उप-राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और गृह-मंत्री के आवासों में किय जा रहे कुछ परिवतनों और संवर्द्धनों पर आपत्ति की थी, उसके मुख्य आधार ये हैं :—

(i) कि उनकी पहले मंजूरी नहीं ली गयी थी ; और

(ii) म्युनिसिपल बाई लॉज के मुताबिक इमारत में जितनी जगह छोड़ी जानी चाहिये थी उतनी जगह नहीं छोड़ी गयी है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को हिदायत दी जा चुकी है कि कमेटी की पहले मंज़ूरी लिए बग़ैर ऐसे किसी किस्म के काम न किये जायें।

कलकत्ता में एक व्यापारी के घर की तलाशी

*446. { **श्री अ० प्र० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री केप्पन : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों ने अक्तूबर, 1964 में एक बड़े व्यापारी के केनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता स्थित एक कमरे की तलाशी ली थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां से अपराधरोपक कागजात बरामद हुए थे जिनसे यह पता चला कि आय-कर तथा सीमा-शुल्क की 1 करोड़ रुपये की राशि की अदायगी नहीं की गई है ;

(ग) उस व्यापारी का नाम क्या है ; और

(घ) उसके विरुद्ध किस प्रकार के अभियोग लगाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहु): (क) से (घ) 7 अक्तूबर और 9 अक्तूबर के बीच में सीमाशुल्क तथा आयकर प्राधिकारियों द्वारा कलकत्ता की हैरिंगटन और कैनिंग सड़कों पर स्थित कुछ स्थानों की तलाशी ली गयी थी और कुछ कागजात पकड़े गये थे। इस समय कर की चोरी की सही सीमा का पता नहीं है। सीमा शुल्क तथा आयकर प्राधिकारियों द्वारा मामले की अभी जांच-पड़ताल की जा रही है।

3—7 Lok Sabha/65.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार

*449. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये एक दस सूत्री योजना तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कई कदम उठाये गये हैं। इसका विवरण सभा पटल पर रखा है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3591/64**]।

Prize Bonds Scheme

*457. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri D. C. Sharma :
Shri Rameshwar Tantia :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Prize Bonds Scheme is likely to be discontinued with effect from January, 1965 ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the total number of Prize Bonds sold in various series during 1964 and the amount fetched under this scheme so far ?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) Yes, Sir.

(b) The sales have not been encouraging.

(c) The number of Bonds sold from January to October, 1964 was 20·93 lakh pieces of Rs. 5 denomination and 1·75 lakh pieces of Rs. 100 denomination, the amount fetched being Rs. 2·80 crores in all.

विदेशी मुद्रा अधिनियम के उल्लंघन के मामले

*458. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बाजी :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय के प्रवर्तन निदेशालय ने बम्बई और केरल की कुछ ऐसी फर्मों के एक षड़यन्त्र का पता लगाया है जिन्होंने विदेशी मुद्रा अधिनियम का उल्लंघन करके 30 लाख रुपये का गोलमाल किया है तथा $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये का आय कर नहीं दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो जो जांच की गई है उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा वह फर्म कौन कौन सी हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहु) : (क) और (ख) 21 नवम्बर, 1964 को प्रवर्तन निदेशालय ने बम्बई की 6 पार्टियों तथा क्विलन् की 19 पार्टियों के स्थानों की एक ही साथ तलाशी ली और भारतीय तथा विदेशी मुद्रा की कुछ राशि, जवाहिरात, इत्यादि सहित कागज़ात पकड़े। पकड़े गये कागजातों की जांच हो रही है और इसके पूरे होने तक अब तक की गई जांच पड़ताल के ब्यौरे देना अथवा पार्टियों के नाम बताना वांछनीय न होगा।

जीवन बीमा निगम की "अपना घर बनाओ" योजना

*459. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हेडा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्रीमती लक्ष्मी बाई :
श्री कोल्ला वेंकेय्या :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम की "अपना घर बनाओ" योजना कुछ और केन्द्रों में भी लागू कर दी गई है ;

(ख) इस वर्ष जनवरी से बड़े बड़े शहरों और कस्बों में चालू इस योजना के प्रति जनता ने कितना उत्साह दिखाया है ; और

(ग) मुनाफाखोरों के मुकाबले जो कि अपना घर बनाने के लिये जमीनें नहीं खरीदते हैं, बीमाधारियों तथा गैर-सरकारी समवायों के कर्मचारियों को जमीनें खरीदने में कहां तक सहायता प्रदान की गई है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) 31 अक्टूबर 1964 तक 5.44 करोड़ रुपये के लिए 2,146 प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए।

(ग) 1.17 करोड़ रुपये की रकम के लिए 467 ऋणों की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। जमीन का सट्टा करने वाले इस योजना से लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि ऋण, मुख्यतः ऋण लेनेवाले की रिहाइश के लिये, नया मकान बनाने या खरीदने के लिए ही दिये जाते हैं।

औद्योगिक लाइसेंस

*460. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजी निर्गम सम्बन्धी सलाहकार समिति ने यह विचार व्यक्त किया है कि औद्योगिक लाइसेंस के हस्तांतरण के लिये "प्रोमोटर" को किसी प्रकार की अदायगी करने की अनुमति देना उचित नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) जी हां। सलाहकार समिति को, एक कम्पनी के प्रवर्तक द्वारा किये गये प्रवर्तन-सम्बन्धी व्यय की अधिक बारीकी से जांच करने की एक प्रणाली पर विचार करने का अवसर मिला था, जिसे प्रवर्तक ने, कम्पनी द्वारा अपनी पूंजी इकट्ठी किये जाने के बाद, उससे पाने का दावा किया था। इस मामले पर विचार करते हुए समिति ने सरकार के इस विचार से सहमति प्रकट की कि यदि कोई प्रवर्तक, अपने नाम मिले औद्योगिक लाइसेंस को कम्पनी को देने के लिये राजी हो जाय तो कम्पनी को इस बात की इजाजत देना उचित न होगा कि वह उस प्रवर्तक को किसी रकम की अदायगी करे।

कोलम्बो योजना

*461. { **श्री यशपाल सिंह :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलम्बो योजना की परामर्शदात्री समिति की बैठक हाल में ही लन्दन में हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय किये गये थे ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) परामर्शदात्री समिति का मुख्य काम इस क्षेत्र के देशों के सामान्य आर्थिक हित के विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान करना तथा जो काम किये जाने हैं उनके स्वरूप का निर्धारण करना है। इन मामलों में समिति कोई निर्णय नहीं करती, पर बैठक समाप्त होने पर समिति के निष्कर्ष एक "प्रेस विज्ञप्ति" में प्रकाशित कर दिये जाते हैं। विज्ञप्ति की एक प्रति सभा की मेज पर रख दी गयी है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 3592/64]**।

राज्यों के लिये आयकर की राशि

*462. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री पें० वेंकटासुबय्या :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री यु० सिं० चौधरी :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की हाल की बैठक में कुछ राज्यों के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया था कि आयकर की अधिकांश राशि राज्यों को दी जानी चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दिएं गएं सुझावों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

छिपे हुए धन की सूचना देने वालों को इनाम

*463. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रा० बरुआ :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डये :
श्री यु० सिं० चौधरी :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छिपे हुए धन का पता लगाने के लिये विशेष गुप्तचर सेवा स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को इनाम देने का निर्णय किया है जो ऐसी सूचना देंगे जिसके आधार पर काले-धन का पता लगे तथा यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहु) : (क) और (ख) कर की चोरी के बड़े-बड़े मामलों की जांच-पड़ताल के लिए निरीक्षण निदेशालय में गुप्तचर पक्ष स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(ग) महत्वपूर्ण मामलों में सूचना देने वालों को पुरस्कार देने की प्रथा बहुत वर्षों से चली आ रही है। केवल पुरस्कार के रूप में देय राशी में अब वृद्धि की जा रही है और उसके अनुदान को नियंत्रित करने वाली कार्य-पद्धति को उदार बनाया जा रहा है।

दिल्ली के हाउस सर्जनों की मांगें

*464. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री बड़े :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों के हाउस सर्जनों तथा "इन्टर्नस" ने अपनी हड़ताल सरकार द्वारा दिए गए इस आश्वासन पर समाप्त कर दी है कि उनकी मांगों पर सहानुभूति से विचार किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों को पूरा करने के लियें क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) उनके हड़ताल करने से पूर्व उनको आश्वासन दिया गया था कि उनकी दिक्कतों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा। हड़ताल के दौरान भी इसी आश्वासन को दुहराया गया जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने हड़ताल समाप्त कर दी।

(ख) इस विषय पर विचार करने के लिये श्री द० प० करमरकर, संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई है। उनसे दिसम्बर 1964 के अन्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कह दिया गया है।

बिहार का औद्योगिक विकास

1207. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण बिहार औद्योगिक दृष्टि से उत्तर बिहार से अधिक विकसित है ; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर और दक्षिण बिहार में समान औद्योगिक विकास के लिये क्या विशेष पग उठाये जा रहे हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) औद्योगिक प्रगति के लिये इस क्षेत्र में उठाये गये पग इस प्रकार हैं। मोकामेह में एक पुल का निर्माण और बरौनी में सरकारी क्षेत्र में एक तेल शोधक कारखाने का बनाया जाना। आगामी वर्षों में, इस क्षेत्र में कई उर्वरक और पेट्रो-केमिकल उद्योगों के विकास की भी आशा है। हमारा ध्येय समानता का न हो कर, उत्तर बिहार में औद्योगीकरण की गति को तीव्र करना है ताकि इस मामले में देश भर के विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में विद्यमान असमानतायें कम की जा सकें।

विदेशों से ऋण

1208. { **श्री रामनाथ चेट्टियार :**
श्री बागड़ी :
श्री विश्राम प्रसाद : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना की अवधि के पहले तीन वर्षों में भारत को विदेशों से कितना ऋण मिला;

(ख) कितनी राशि खर्च हुई और इससे किन किन परियोजनाओं को लाभ हुआ ;

(ग) अब तक प्रत्येक ऋण पर कितना व्याज दिया गया ; और

(घ) इस ऋण में से कितना ऋण शर्तों के साथ प्राप्त किया गया और किन देशों से ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिस में ऋण की राशि, खर्च की गयी राशि, दिया गया व्याज, ऋण लेने का कारण और जिन परियोजनाओं को इस से लाभ प्राप्त हुआ उन सब का ब्योरा दिया गया है। [**पुस्तकालय मे रखा गया। कृपया देखिये सं० एल० टी० 3593/64**] क्रय ऋण देने वाले देशों से ही किया जाता है।

आय-कर

1209. { **श्री हेमराज :**
श्री शामलाल सर्राफ :
श्री विश्वनाथ पाण्डये :
श्री रामचन्द्र मलिक : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1961–62, 1962–63, 1963–64 और चालू वर्ष में हर राज्य में कितनी राशि का आय-कर निर्धारित किया गया ; और

(ख) इन वर्षों में और हर राज्य में प्रति वर्ष कितना कर इकट्ठा किया गया और अब तक अवशिष्ट कर कितना है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना राज्यवार न होकर आयुक्त के अधीन क्षत्रों के अनुसार उपलब्ध है और यह सूचना साथ लगे हुए 'क', 'ख' और 'ग' विवरणों में दी गयी है। [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये सं० एल० टी० 3594/64 ।**]

तवा परियोजना

1210. { **श्री उइके :**
श्री राधेलाल व्यास :
श्री बाबूनाथ सिंह :
श्री रा० स० तिवारी : }

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में तवा परियोजना के लिये कितनी राशि स्वीकृत हुई;

(ख) यह राशि परियोजना के कुल व्यय का कितने प्रतिशत है; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) इस परियोजना के लिये सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय द्वारा कोई निश्चित सहायता मंजूर नहीं की गयी । राज्य सरकार अपने साधनों के द्वारा और केन्द्र से प्राप्त विविध विकास ऋणों से इस योजना का खर्च चला रही है । 1964–65 में वित्त मंत्रालय ने एक करोड़ रुपये प्रकीर्ण विकास ऋण के रूप में देना स्वीकार किया है ताकि राज्य सरकार पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये विस्थापितों के पुनर्वास के लिये इस परियोजना का कार्य तीव्रता से कर सके ।

(ग) इस परियोजना का बहुत बडा भाग चौथी योजना के अंत तक पूरा हो जायेगा ।

देव नगर, नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टर

1211. **श्री जेधे :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देव नगर, करौल बाग, नई दिल्ली में "ई-टाइप" सरकारी क्वार्टर कब और कितनी देर के लिये बनाये गये थे;

(ख) क्या यह सच है कि उनकी कालावधि पूरी हो चुकी है; और

(ग) यदि हां तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (ग) ये क्वार्टर 1943 में अस्थायी मकानों के विशेष विवरणों के अनुसार बनाये गये थे। एक क्वार्टर को छोड़कर, जिसे खतरनाक घोषित किया गया है और खाली पड़ा है, शेष सभी क्वार्टर रहने योग्य हैं और लोग इन में रहते हैं।

देव नगर, नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टर

1212. **श्री जेधे :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार ने जिसे पहले दिल्ली सुधार प्रन्यास कहते थे, देवनगर और पहाड़गंज में 1956–57 में कुछ क्वार्टर बनाये थे जो बाद में बेच दिये गये;

(ख) यदि हां तो क्या वे क्वार्टर नीलामी द्वारा बेचे गये;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) जिनको ये क्वार्टर बेचे गये उनके क्या नाम हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

देव नगर, नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टर

1213. **श्री जेधे :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देव नगर, करौल बाग, नई दिल्ली के सरकारी क्वार्टरों में की जाने वाली बड़ी मरम्मतों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां तो, इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार इस प्रतिबन्ध को कब तक हटाने का विचार कर रही है; और

(घ) इन मरम्मतों के न होने से कितने क्वार्टर एक वर्ष से अधिक समय से किसी को भी नहीं दिये जा सके ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) एक क्वार्टर, जिसकी इमारत असुरक्षित है, लगभग एक वर्ष से खाली पड़ा है।

राज्यों के लिये तीसरी योजना का परिव्यय

1214. **श्री बै० तेवर :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में हर राज्य के लिये तीसरी योजना का कुल कितना परिव्यय होगा; और

(ख) उद्योगों तथा सड़कों के लिये हर राज्य के लिये पृथक पृथक कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) माननीय सदस्य का ध्यान तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रकाशित प्रतिवेदन के विवरण ख-II (पृष्ठ 740–745) की ओर दिलाया जाता है जिसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी थी ।

उत्पादन शुल्कों से प्राप्त राजस्व

1215. **श्री नरेन्द्र सिंह महोड़ा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के पहले छः महीनों में भिन्न भिन्न मदों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये गये उत्पादन शुल्कों की कितनी राशि एकत्र की गई;

(ख) इस अवधि में कितनी राशि उत्पादन शुल्क और अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के रुप में मिल के बने हुए कपड़े अथवा विद्युत करघे के कपड़ पर पृथक पृथक एकत्रित की गई; और

(ग) किसी ऐसी सरकारी प्रकाशन का नाम क्या है जिस में राजस्व संग्रह का लेखा दिया गया हो ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3595/64 ।**]

(ग) सरकारी प्रकाशनों के नाम इस प्रकार हैं :

(i) भारत में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रशासन की समीक्षा (वार्षिक) जो सीमा तथा उत्पादन शुल्क के केन्द्रीय बोर्ड के प्राधिकार के अधीन प्रकाशित होती है । अब तक 1960–61 तक की समीक्षायें निकल चुकी हैं ।

(ii) भारत के सीमा तथा उत्पादन राजस्व का विवरण (मासिक) जिसे वाणिज्य सूचना तथा सांख्यिकी विभाग, कलकत्ता प्रकाशित करता है । ऐसे विवरण अबतक जून, 1964 मास तक के निकल चुके हैं ।

केरल में सरकारी सहायता से किराये के मकान बनाने की योजना

1216. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकट्ट :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में सरकारी सहायता से किराये के मकान बनाने की योजना को कार्यान्वित करने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) 1964–65 के दौरान इस योजना के लिये कितना धन पृथक रखा गया;

(ग) अब तक कितना धन व्यय हुआ है; और

(घ) किन किन स्थानों पर यह योजना कार्यान्वित की गयी है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (घ) आर्थिक तौर पर निर्बल लोगों के लिये सरकारी सहायता से किराये के घर निर्माण का कार्य राज्य सरकारें अल्प-आय वर्गों की आवास योजना के अंतर्गत करती हैं । 1964–65 के दौरान 130 सरकारी

सहायता से किराये के मकान बनाने के लिये केरल सरकार ने 4 लाख रुपये पृथक रखे हुऐ हैं। उन स्थानों पर जहां ये घर बनाये जा रहे हैं, और उन पर व्यय होने वाली राशि की सूचना राज्य सरकार से प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है।

यमुना मध्यम सिंचाई परियोजना

1217. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम में यमुना मध्यम सिंचाई परियोजना की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है और इस पर कितना व्यय होगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां।

(ख) यमुना सिंचाई योजना में नवगांव जिले में डाबाका-डिफू रोड पर बकुलाघाट के निकट यमुना नदी पर एक बांध के निर्माण का विचार है। इस से कुल 83,600 एकड़ की क्षमता में से 63,500 एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी।' कुल वार्षिक सिंचाई 80,680 एकड़ भूमि में होगी और इस योजना पर 192.30 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

हैमोरैजिक ज्वर (रक्तस्राव ज्वर)

1218. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशाखापटनम और उसके आस पास एक नये प्रकार का रक्तस्राव ज्वर महामारी के रुप में फूट पड़ा है और इसके लिये कोई विशेष दवाईयां बचाने वाला टीका नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा प्रतीत होता है कि इस रोग के जीवाणु बाहर के किसी देश से आये हैं, और यदि हां, तो किस देश से ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जुलाई–अगस्त, 1964 में, विशाखापटनम में, पिछले सालों की इसी अवधि की अपेक्षा, यह ज्वर अधिक व्यक्तियों को हुआ है। सब से अधिक व्यक्ति अगस्त के अंत में इस से पीड़ित हुए और इस के बाद यह फिर घटता चला गया। इस ज्वर के मुख्य लक्षण ये थे : ज्वर का अकस्मात प्रहार, सिर दर्द, शरीर में पीड़ा और जोड़ो की पीड़ा और यह 4–7 दिनों तक रहता है। हैमोरैजिक लक्षण कम रोगियों में ही पाये गये। किसी विशेष उपचार के बिना ही इसी अवधि में ज्वर उतर जाता है।

इस ज्वर के उपचार में कोई औषधि लाभदायक सिद्ध नहीं हुई। विशाखापटनम के विषाणु गवेषणा केन्द्र द्वारा किसी विषाणु को पृथक नहीं किया गया। फिर भी सीरम विज्ञान परीक्षणों में एक या दो "डेनगयू ग्रुप" के विषाणुओं की क्रियाशीलता का पता चला है। इस रोग को रोकने का कोई निरोधक टीका नहीं है।

(ख) महामारी की जांच से पता चला है कि यह रोग विदेशों से नहीं आया। संचारी रोगों के राष्ट्रीय संस्थान का एक दल बाहर से (बर्मा) से आये हुए भारतियों को देखने के लिये विशाखापटनम गया था जिस से पता चल सके कि क्या उन के द्वारा तो यह रोग नहीं आया पर जांच से पता चला है कि ऐसी बात नहीं है और यह रोग विस्थापित भारतियों के बर्मा से आने के पूर्व ही फूट पड़ा था।

Spurious Coca-Cola

1219. **Shri Bagri :**
Shri Vishram Prasad :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Police has unearthed a factory where spurious Coca-Cola was being prepared ; and

(b) if so, the details thereof ?

Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) & (b) The facts are that Shri Ajaib Singh of Kishan Ganj, Delhi, purchased 240 bottles of Coca-Cola on 6-10-1964 from Amrit Soda Water Factory, Roshanara Road, Delhi, against cash payment. When he, along with a friend and other members of the family, consumed some bottles, it transpired that the same appeared to be spurious. The Production Manager of M/s Pure Drinks (New Delhi) Private Limited, the authorised bottlers of Coca-Cola, tested a bottle and confirmed that it contained spurious Coca-Cola. A case F.I.R. No. 768 dated 6-10-1964 u/s 420 I.P.C. was registered at Subzi Mandi Police Station and the premises of M/s Amrit Soda Water Factory raided. The raid resulted in the recovery of 12 crates (288 bottles) of Coca-Cola bottles and other accessories used in preparing soda water. Five persons, namely, Shivan Dass, Shiv Lal, Siri Ram, Madho Lal, Mool Chand and Topan Dass, were arrested for cheating the customers by preparing and supplying spurious Coca-Cola. Samples of the seized Coca-Cola and the allegedly spurious one have been sent to the Central Forensic Science Laboratory, Calcutta, for examination. The investigation of the case will be finalized as soon as the result of the examination is received by the Police from Calcutta.

Expansion of Delhi Hospitals

1220. **Shri Yashpal Singh :** Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether Government have constituted a committee to go into the matter of expansion and modernization of the Hindu Rao and the Infectious Diseases Hospitals, Delhi ; and

(b) if so, when the report of the Committee is expected to be received ?

Minister for Health (Dr. Sushila Nayar): (a) A committee has been set up for each of these hospitals.

(b) The recommendations of the committee for improvement on the working of the Infectious Diseases Hospitals has been received. The recommendations of the committee for the Hindu Rao Hospitals are expected shortly.

Central Government Health Scheme

1221. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether on the basis of the past experience, the Ministry of Health is of the view that Central Government Health Scheme is running satisfactorily ;

(b) the salient features of its extension programme ;

(c) whether there has been some correspondence with the States also to introduce such a scheme and the reaction of the State Governments thereto; and

(d) the steps Government are taking to make the scheme country wide ?

Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) Yes, taking into consideration that the dispensaries are mostly located in unsuitable accommodation and there is some shortage of staff.

(b) to (d) The Central Government Health Scheme has already been extended to the Central Government employees in Bombay and to the members of the public in certain areas of New Delhi. It is proposed to extend the scheme to cities like Calcutta, Madras, Nagpur etc. in the fourth Plan. The Government have also approved the extension of the Scheme to Central Government Pensioners residing in Delhi/New Delhi. The Fourth Plan proposal also envisages a pilot health scheme on a contributory basis in each State. Medical care is primarily a State subject.

"Raids in Punjab"

1222 **Shri Daljit Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether some raids were made by the Central Excise and Income Tax Authorities in Punjab ;

(b) if so, the number of offenders challaned and arrested;

(c) whether it has also been established that Government money was misappropriated with the help of Government employees ; and

(d) if so, the action taken in the matter ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) Yes, Sir, Raids have been made by the Central Excise as well as Income Tax Authorities in Punjab during the year 1964.

(b) No offender has been challaned or arrested.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

गण्डक परियोजना

1223. { **श्री विभूति मिश्र :**
श्री विश्वनाथ राय :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 नवम्बर 1964 तक गंडक परियोजना को पूरा करने की दिशा में क्या प्रगति हुई ; तथा

(ख) यह परियोजना कब तक पूरी होने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) नवम्बर 1964 के अन्त तक बांध पर मिट्टी का काम कुल 300 लाख घनफुट में से 77.40 लाख घनफुट तथा कन्क्रीट का काम कुल 77 लाख घनफूट में से 2.18 लाख घनफुट हो चुका था। कुल 2.33 लाख वर्गफुट की शीटों में से 20,800 वर्गफुट की शीटें पहुंचाई जा चुकी थीं। पूर्वी सहायक बांध का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है।

नहरों के विषय में मिट्टी का काम इस प्रकार हुआ है :–तीरहूत नहर 26.5 करोड़ घनफुट (18.4 प्रतिशत), डोन नहर 7.2 करोड़ घनफुट (42.5 प्रतिशत) सारन नहर 8.0 करोड़ घनफुट (15.3 प्रतिशत) परबिनी मुख्य नहर 6.67 करोड़ घनफुट (9.0 प्रतिशत) नेपाल बान्ध के निर्माण पर भी 2.36 करोड़ घनफुट (90.0 प्रतिशत) तक मिट्टी का काम पूरा हो चुका है।

(ख) बान्ध जून, 1967 तक तथा नहरें चतुर्थ योजना की अवधि के अन्त तक पूरी होने की आशा है।

कपड़े पर उत्पादन शुल्क

1224. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कपड़े के मूल्यों की वर्तमान वृद्धि 1963 के मूल्यों की अपेक्षा मुख्य रूप से उत्पादन शुल्क में वृद्धि होने के कारण हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कपड़े के मूल्यों में कभी करने के लिये उत्पादन शुल्क की दरों पर पुर्नविचार करेगी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 1964 के वित्त अधिनियम के परिवर्तनों के फलस्वरूप मोटे कपड़े के शुल्कों में कमी हुई है, मध्यम दर्जे के कपड़ों के शुल्कों में मामूली सी वृद्धि हुई है तथा विभिन्न प्रकार के बढ़िया कपड़ों में 5 पैसे प्रति मीटर वृद्धि हुई है। इस कारण प्रश्न के इस भाग का उत्तर नकारात्मक होना चाहिये।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

प्राकृतिक दृश्य समिति का प्रतिवेदन

1225. { **महाराजकुमार विजय आनन्द** :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** 24 सितम्बर 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 384 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक दृश्य समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस रिपोर्ट के मुख्य विषयों के बारे में कानून बनाने के संबंध में विचार कर रही है, विशषरूप से दिल्ली के सम्बन्ध में ; तथा

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) दिल्ली के प्राकृतिक दृश्य वाले स्थानों की सुन्दरता की सुरक्षा के बारे में कानून बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

पानी का जमा हो जाना

1226. **श्री श० ना० चतुर्वेदी :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले पांच वर्षों में हर साल कितनी कृषि-भूमि पर पानी जमा हो गया था, और उस कारण उत्पादन में हुई हानि का अनुमान क्या है ;

(ख) हर साल नालियों के काम के लिये कितनी धनराशि उपलब्ध की गई है ;

(ग) कितनी धनराशि वास्तव में व्यय की गई ; तथा

(घ) कितना क्षेत्र पानी निकाल कर खेती योग्य बनाया गया ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (घ) जानकारी एक की जा रही है तथा यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायगी ।

विदेशों में भारतीय पर्यटकों द्वारा विदेशी मुद्रा का व्यय

1227. **श्री प्र० च० बरुआ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962-63, 1963-64 तथा 1964-65 में सितम्बर 1964 तक क्रमशः भारत से विदेश जाने वाल पर्यटकों ने कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की तथा इस में से क्रमशः मंत्रियों, और केन्द्रीय और राज्यों विधायकों ने कितनी खर्च की ;

(ख) विदेशों के दौरों पर कम विदेशी मुद्रा खर्च हो इस के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) (1) ऐसा अनुमान है कि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि भारतीय नागरिकों की विदेश यात्राओं के लिये कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई। इस का ब्यौरा इस प्रकार हैं :—

1962-63	11.6 करोड़ रु०
1963-64	10.3 करोड़ रु०

1964-65 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं ।

(2) राज्य विधायकों, संसद सदस्यों तथा राज्य एवं केन्द्रीय मंत्रियों के लिये मंजूर की गई विदेशी मुद्रा का ब्योरा इस प्रकार है :—

वर्ग	1962-63	1963-64
विधायक	720रु०	12,320रु०
मंत्री	3,840रु०	1,640रु०
संसद सदस्य	5,345रु०	20,128रु०

इन आंकड़ों में हमारे दूतावासों द्वारा सरकारी प्रतिनिधिमंडलों पर होटलों, दैनिक भत्तों आदि पर किय गय खर्चे सम्मिलित नहीं किये गये । इस प्रकार खर्च की गई राशि के आंकड़े उपलब्ध नहीं है तथा उन को तयार करने में इतना समय लग जायगा तथा श्रम करना पड़ेगा कि उस से इतना लाभ नहीं होगा ।

(ख) विदेश यात्रा के लिये विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में सरकार की नीति पहले ही प्रतिबंध रखने की है। शिक्षा, चिकित्सा, तथा व्यापार आदि 'अनुमोदित' विषयों के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा मंजूर नहीं की जाती।

कलकत्ता में अभ्रक निर्यातकों की गिरफ्तारी

1228. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 अक्टूबर 1964 को कलकत्ता में सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने कुछ अभ्रक निर्यातकों को गिरफ्तार किया था ;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या आरोप लगाये गये हैं; तथा

(ग) क्या उन पर अभियोग चलाया गया है ?

वित्त मंत्री (ति० त० कृष्णामाचारी) : (क) तथा (ख) जी नहीं, परन्तु 17-10-1964 को एक अभ्रक निर्यातक के कर्मचारी को, नौवहन दस्तावेजों पर किये गये लाइसेंस पृष्ठांकन में हेरफर करके आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत लगाई गई पाबन्दियों का आरोपित धोख बाजी के द्वारा उल्लंघन करने के आरोप पर गिरफ्तार किया गया था ;

(ग) अग्रतर जांच हो रही है। अभी कोई अभियोग नहीं चलाया गया।

करनाटक में परियोजनाओं के लिये जल

1229. **श्री शिवमूर्ती स्वामी :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार करनाटक में भावी परियोजनाओं के लिये अकाल की स्थिति समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है जिस के बारे में गुलाटी कमीशन ने भी सिफ़ारिश की थी।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : कृष्णा नदी के पानी का मैसूर, महाराष्ट्र तथा आन्ध्र प्रदेश में संतोषजनक ढंग से वितरण करने के लिये इन राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बातचीत चल रही है।

उत्पादन शुल्क की वसूली

1230. **श्री शिवमूर्ती स्वामी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1962-63 तथा 1963-64 में निम्न लिखित वस्तुओं पर कितना उत्पादन शुल्क एकत्रित किया गया

(1) चीनी, (2) सुपारी, (3) कपड़ा, (4) मसाले, (5) सोडा तथा (6) साबुन ;

(ख) कारखानों तथा उन के उत्पादन केन्द्रों से अभी कितना शुल्क वसूल करना शेष हैं ;

(ग) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है कि जिन में शुल्क का अपवंचन किया गया हो ;

(घ) इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णामाचारी) : (क) से (ग) चीनी, कपड़ा, सोडा और साबुन के बारे में उपलब्ध जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3596/64 ।**]

सुपारी और मसालों पर कोई उत्पादन शुल्क नहीं लगता।

(घ) अधिकतर उत्पादन शुल्क निर्माण स्त्रोत पर ही "नकद दो तथा ले जाओ" के आधार पर एकत्र कर लिया जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का अपवंचन नगण्य है। कुछ मामलों में अपवंचन पकड़ा गया था परन्तु उचित कार्यवाही कर के दोषों को समाप्त कर दिया गया है। अपवंचन को समाप्त करने के लिये निरंतर प्रयत्न किये जाते हैं। केन्द्र के उत्पादन शुल्कों पर समय समय पर विचार किया जाता है और निम्न प्रकार की कार्यवाही की जाती है। प्रशुल्क मूल्यों को नियत करना, तथा मूल्यों को शुल्क के अनुसार बदलना, प्रक्रियाओं में सुधार कर के शुल्कों में निश्चितता लाना आदि। ऐसा करने से करापवंचन की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है।

मादक पदार्थ विभाग में नियुक्तियां

1231. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मादक पदार्थविभाग (अफीम तथा अल्कलायड कार्य विभाग) में तीसरी श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के लिये $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत पद अनुसूचित जाति वालों के लिये सुरक्षित कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो हर एक वर्ग में अब तक कितने व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया है ; तथा

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री० ति० त० कृष्णामाचारी) : (क) 8-11-63 को सभी विभागों को, जिन में मादक-पदार्थ विभाग भी शामिल है सामान्य आदेश जारी किये गये थे। इन के अनुसार पदों का अभ्यंश अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिये आरक्षित कर दिया गया है, जो कि प्रतियोगी परीक्षा द्वारा विभागीय अभ्यर्थियों में से ही भरा जायेगा।

(ख) कोई नहीं।

(ग) आरक्षित करने के आदेश जारी होने की तिथि से लागू हुए हैं। 1964 में होनेवाली पदोन्नतियों के लिये चयन पहले ही हो चुका था।

मादक पदार्थ विभाग में अनूसूचित जातियों के कर्मचारी

1232. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मादक पदार्थ विभाग में अनुसूचित जाति के मजदूर लोगों के लिये कोई स्थान आरक्षित नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण है; तथा

(ग) मज़दूर वर्ग में वहाँ कुल कितने मज़दूर हैं तथा उन में अनुसूचित जातियों के लोग कितने हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णामाचारी) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तीसरी योजना के लिये वित्तीय व्यवस्था करने के लिये पश्चिम जर्मनी के साथ करार

1233. **श्री प० कुन्हन** :
श्री नम्बियार :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना के चौथे वर्ष के दौरान विकास योजनाओं के वित्त-पोषण के लिय जर्मनी संघीकीय गण राज्य सरकार के साथ कोई करार किया गया है;

(ख) उस करार की शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस सहायता का कौन सी परियोजना के लिये उपयोग किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) जी हां। 15 सितम्बर, 1964 को 3,800 लाख जर्मनी मार्क (45.24 करोड़ रु०) के ऋण के लिये जर्मनी संघकीय गणराज्य के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। ऋण की शर्तें और जिन प्रयोजनों के लिये उसका उपयोग किया जायेगा, नीचे दिये गये हैं :—

	राशि (रुपये करोड़ों में)	ऋण की शर्तें	प्रयोजन
(1)	10.71	5.5 प्रतिशत ब्याज पर 16 वर्ष में लौटाया जायेगा।	रुरकेला इस्पात कारखाने के पुनः वित्त-प्रबन्धन दायित्वों के लिये।
(2)	6.55	3 प्रतिशत ब्याज पर 25 वर्ष में लौटाया जायेगा।	मशीनरी के आयात और संधारण संबंधी आवश्यकताओं के लिये।
(3)	4.76	—तदेव—	कुछ चुनी हुई जर्मन सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं अग्रतर वित्त प्रबन्धन के लिये, जो पूरी होने वाली हैं।
(4)	7.14	—तदेव—	नई परियोजनाओं के वित्त प्रबन्धन के लिये। नई परियोजनाओं को चुनने के बारे में जर्मन अधिकारियों से बातचीत चल रही है।
(5)	2.98	3 प्रतिशत ब्याज पर 25 वर्ष में लौटाया जायेगा।	आइ०सी० आई०सी० आई०, भारतीय वित्त निगम और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को मध्यम और लघु उद्योगों को ऋण देने के लिये।
(6)	9.76	ये दोनों ऋण संभरणकर्ता के प्रत्यय के रुप में ह। जर्मन संभरण कर्ताओ और भारतीय आयातकों के बीच शर्तें तय की जायेंगी।	जहाजों के क्रय के लिये।
(7)	3.34		जहाजों के अतिरिक्त पूंजी वस्तुओं के क्रय के लिये।
	45.24		

4—7 Lok Sabha/65.

देवरिया जिले में आय कर की बकाया राशि

1234. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के निवासियों से 31 अक्टूबर, 1964 को आय कर की कितनी राशि बकाया थी ; और

(ख) कर की बकाया राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से राजस्व

1235. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश से केन्द्रीय उत्पादन कर से 1962 और 1963 के दौरान कितना राजस्व प्राप्त हुआ।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

उत्तर प्रदेश

	प्राप्त राशि (रु० '000) वर्ष	
	(1962)	(1963)
सकल	54,70,60	56,48,59
लौटाई गई राशि	24,97	21,99
शुद्ध . . .	54,45,63	56,26,60

चोरी-छिपे लाई गई घड़ियां

1236. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने 27 जुलाई, 1964 को बम्बई में पत्तन क्षेत्र के बाहर एक स्कूटर में से, जो दो व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा था, 50,000 रुपये के मूल्य की घड़ियां पकड़ी थीं ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) 27 जुलाई, 1964 की रात को सीमा शुल्क अधिकारियों ने महाराष्ट्र राज्य की पुलिस की सहायता से गेटवे आफ इंडिया के समीप एक स्कूटर को रोका, जिसमें दो व्यक्ति सवार थे। दोनो व्यक्ति बच निकले, तथापि, सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक

थैला, जिसमें 434 घड़ियां थीं और जिनका मूल्य लगभग 48,120 रुपये था और स्कूटर, जो उन्होंने छोड़ दिया था, पकड़ लिया।

(ख) इस मामले में आगे जांच हो रही है।

Barauni Thermal Power Station

1237. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Kishan Pattnayak :

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that only two out of three sets of the Barauni Thermal Power Station have been commissioned so far ;

(b) if so, the reasons for not utilising the generating capacity of all these three sets ;

(c) the names of the foreign agencies from whom loan or assistance was obtained for this power Station and the amount being paid by way of interest thereon; and

(d) the total expenditure incurred on these three units and the revenue earned by this Power Station ?

Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) & (b) Only two sets of 15 MW each have been commissioned so far. As the Barauni Thermal Station is now operating as an isolated station, only one set is running at a time and the other is kept as a standby.

(c) A loan of 3·8 million dollars was secured from the Development Loan Fund of U.S.A. for covering the foreign exchange content of two sets of 15 MW each. This loan carries interest at $3\frac{1}{2}\%$ per annum. In addition, loan assistance to the extent of Rs. 131 lakhs (PL 480) carrying $3\frac{1}{2}\%$ per annum interest has been secured to meet part of the rupee expenditure for the installation of these two sets. The third set of 15 MW has been procured under the Trade Agreement with Yugoslavia and the payment of interest does not arise under this arrangement.

(d) The actual expenditure upto August, 1964, as reported by the State Government, was Rs. 638·44 lakhs. This power Station is a part of the Bihar State Electricity Board System in North Bihar and no separate account for the revenue earned by this station alone is being maintained by them.

धनुः रोग

1238. **श्री कपूर सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री सोलंकी :
श्री नूटा सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली में किये गये आप्रेशनों में धनुः रोग के कीटाणु पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस रोग के कारण क्या हैं और क्या कुछ रोगी इस रोग के शिकार हुए हैं और उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख) एक रोगी का 20 अक्टूबर, 1964 को आप्रेशन किया गया था। इसके पांचवे दिन उसको धनु: रोग हो गया। चिकित्सकों के एक दल ने, जिसमें सर्जन और जीवाणु-वैज्ञानिक भी थे, इसकी विस्तृत जांच की। कैट-गट मरहम पट्टियों, उपकरणों और फर्श की धूल के नमूनों, रोशनदानों और कमरे के अन्य उपकरणों में रोगाणु नहीं पाये गये थे, परन्तु यह रोगाणु एक चूषण उपकरण के धूल के नमूने पर पाये गये थे, जो कि संकट कालीन मामलों में अस्पताल के कक्षों में भी ले जाया जाता है। यद्यपि उस दिन बीस आप्रेशन किये गये थे, और उस दिन और जिस दिन धनु: रोग हुआ उनके बीच की अवधि में 100 आप्रशन किये गये, परन्तु किसी भी रोगी को यह रोग नहीं हुआ। भवन, विद्युत और वातानुकूल इंजिनीयरों के दल ने इस भवन की पूर्ण रुप से जांच की और आप्रेशन कक्ष में धूल को रोकने के लिये आवश्यक कार्यवाही की। इस मामले में रोगाणु के अंतर्जात स्रोत को रोकना संभव नहीं था। क्योंकि रोगी का मूलाधार पर भी आप्रेशन हुआ था।

अपमिश्रण

1239. **श्री धर्मलिंगम** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अपमिश्रण को समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि ऐसे भी कारखाने हैं जो मिलावट के लिये वस्तुओं का निर्माण करते ह, और

(ग) इस दुष्कर्म को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) खाद्य वस्तुओं के अपमिश्रण के लिये वस्तुओं का निर्माण करने वाले कारखानों के बारे में समाचार पत्रों में समाचार निकले थे, परन्तु सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई अधिकृत सूचना नहीं हैं, और ऐसी सूचना मिलने पर मुझे प्रसन्नता होगी। राज्य और संघ क्षेत्रों की सरकारें खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, 1954 के उपबन्धों और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों को लागू कर रही ह। अधिनियम द्वारा प्राधिकृत निरीक्षक खाद्य के नमूने लेकर प्रयोगशाला में भेज देते हैं और उसके उपरान्त न्यायालय में मामले अभियोजित किये जाते हैं। नियंत्रण लागू करने वाले कर्मचारीवर्ग को सुदृढ़ बनाने और विश्लेषण के लिये प्रयोगशालायें स्थापित करनेकी आवश्यकता की ओर सरकार ने राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया है। खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम को प्रभावकारी और भयोत्पादक बनाने के लिये और संशोधन करने के लिये जो विधेयक सरकार ने प्रस्तुत किया था, लोक सभा ने 26-11-1964 को पास कर दिया। जब यह विधयक अधिनियम बन जायेगा, तो राज्य और केन्द्रीय सरकारें अपमिश्रण को अधिक प्रभावकारी तरीके से रोक सकेंगी।

महात्मा गांधी के चित्र वाले सिक्के

1240. **श्री धर्मलिंगम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी के शताब्दी वर्ष में उनके चित्र वाले सिक्के बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कौन कौन से सिक्कों पर चित्र बनाये जायेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

औषधियों की चोरी

1241. **श्री. यशपाल सिंह :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है कि बम्बई की एक निर्माण कंपनी द्वारा अस्वीकृत औषधियों को चोरी करके बाजार में रख दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां।

(ख) पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। राज्य औषधि नियंत्रण अधिकारियों को कहा गया है कि वे निर्माताओं को यह आदेश दें कि वे सुरक्षा के समुचित उपाय करें और अस्वीकृत सामान को नष्ट कर दिया करें।

Consumption of Water and Electricity by Ministers

1242. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the charges for water and electricity consumed by Ministers are paid by Government;

(b) if so, whether any limit has been fixed in this regard; and

(c) if so, the limit fixed and the names of the Ministers from whom charges in excess of the prescribed limit have been realised ?

Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) to (c) In accordance with Section 4 of the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 (No. LVIII of 1952) Ministers are entitled to the free provision of electricity and water in the residences provided to them. However, with effect from the 1st April, 1963, Ministers have imposed a voluntary ceiling of Rs. 200 p. m. upon themselves in regard to the consumption of electricity and water at their residences.

मलेरिया उन्मूलन

1243. **श्री यु० सिं० चौधरी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम देश में कहाँ तक सफल हुआ है ;

(ख) किन किन राज्यों में मलेरिया का पूर्णरूपेण उन्मूलन हो गया है ; और

(ग) किन राज्यों में यह कार्यक्रम पिछड़ गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) गत छः वर्षों में देश में इस रोग की जो आश्चर्यजनक कमी हुई है वह राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की सफलता का प्रमाण है। मलेरिया के रोगियों की आनुपातिक संख्या, अर्थात् अस्पतालों और औषधालयों आदि में जाने वाले सभी रोगों के रोगियों की तुलना में चिकित्सालयों में जाने वाले रोगियों की प्रतिशत संख्या जो कि 1953 में 10.8 प्रतिशत थी, घटकर 1963-64 के अन्त में केवल 0.2 प्रतिशत रह गई है। अतः इस प्रकार मलेरिया रोग की व्यापकता में लगभग 98 प्रतिशत की कमी हो गई है।

वर्ष 1963 के दौरान, मलेरिया संनिरीक्षण कार्यवाहियों के अधीन तीन करोड़ सतासी लाख रक्त आलेपों की जांच की गई थी और सूक्ष्मदर्शक यंत्र से मलेरिया के केवल 87,306 रोगियों के होने का पता चला था जब कि 1952 में मलेरिया के रोगियों की अनुमानित संख्या सात करोड़ पचास लाख थी।

392 यूनिटों में से (जिनमें भूटान के लिये भी एक यूनिट सम्मिलित है), बिहार, केरल, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों में फैली हुई 80 यूनिटें अन्तिम अवस्था अर्थात् संधारण अवस्था में पहुंचने के लिये अपना कार्य पूरा कर चुकी हैं ; अन्तिम अवस्था में मलेरिया से मुक्ति को बनाये रखने के लिये निगरानी कार्यवाहियाँ राज्यों की सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा अपने हाथ में ले ली जाती हैं और यूनिटों को समाप्त कर दिया जाता है। शेष 312 यूनिटों में से, 208 यूनिट क्षेत्र समेकन अवस्था में हैं जिसमें कि डी० डी० टी० का छिड़कना बन्द कर दिया गया है और अवशिष्ट संक्रमण को समाप्त करने के लिये निवास स्थानीय दौरों द्वारा, ज्वर के रोगियों के रक्त स्लाइड लेकर तथा मलेरिया के उपचार द्वारा केवल संनिरीक्षण कार्यवाहियाँ की जा रही हैं। इस समय केवल 104 यूनिट ऐसे ह जो कि अभी तक आक्रमण अवस्था में हैं, जिसमें कि औषधियां छिड़कने का कार्य तथा उसके साथ ही संनिरीक्षण कार्यवाहियाँ चल रही हैं।

जहाँ तक यूनिटों के भविष्य की प्रगति का सम्बन्ध है, चालू वर्ष में समेकन अवस्था मे कार्य कर रही 208 यूनिटों में से लगभग 100 यूनिटों के संधारण अवस्था में पहुँच जाने की आशा है और आक्रमण अवस्था (प्रारम्भिक प्रक्रम) में चल रही 104 यूनिटों में से लगभग 40 यूनिट 1965-66 में समकन अवस्था में पहुँच जायेगी।

(ख) भारत में किसी भी राज्य में अभी तक रोग का पूर्णत: उन्मूलन नहीं हुआ है क्योंकि विभिन्न यूनिट क्षेत्र कायक्रम की विभिन्न अवस्थाओं में चल रही हैं। इसके अतिरिक्त, मलेरिया के पूर्णरुपण उन्मूलन का दावा तभी किया जा सकता है जब कि ऐसे क्षेत्र आवश्यक निगरानी रखकर संधारण अवस्था में कम से कम दो वर्ष रहे हों और मलेरिया उन्मूलन के सम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आवश्यक प्रमाणपत्र दिया जा चुका हो।

(ग) दुर्गम भूप्रदेश, जनसंख्या का तितर-बितर रहना, अल्प संचार व्यवस्था, चिकित्सा और चिकित्सा-सदृश कर्मचारियों की कमी, राज्यों द्वारा अपर्याप्त पर्यवेक्षण, कुछ क्षेत्रों में औषधियाँ छिड़कने के कार्य का लोगों द्वारा विरोध और कुछ क्षेत्रों में मच्छरों द्वारा कीटनाशक औषधियों की सहन कर जीने की क्षमता का विकसित कर लेना आदि जैसे अनेक कारणों से नागालैंड, गुजरात, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम की प्रगति अधिक नहीं हुई है। नागालैंड में कम प्रगति वहां की गड़बड़ी के कारण हुई है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया

1245. **श्री मानसिंह पृ० पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेट बैंक आफ इंडिया की ओर शाखायें खोलने के लिये कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो गत वित्तीय वर्ष में दस हजार से कम जनसंख्या वाले नगरों में बैंक की कितनी नई शाखायें खोली गई हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हाँ।

(ख) 1 अप्रैल, 1963 से लेकर 31 मार्च, 1964 तक की अवधि में दस हजार से कम जनसंख्या वाले नगरों में स्टट बक ऑफ इंडिया द्वारा जो शाखायें खोली गई हैं उनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

शाखा का नाम	राज्य जिसमें वह स्थान है	शाखा खोले जाने की तिथि
जमखेद .	महाराष्ट्र	29-2-1964
करमाला .	,,	30-3-1964
झगादिया . .	गुजरात	29-5-1963
पारदी .	,,	28-6-1963
बन्सदा . . .	,,	22-7-1963
देहगाम	,,	3-1-1964
वलोद . . .	,,	28-1-1964
घोसी	उत्तर प्रदेश	23-4-1963
कुन्डा	,,	23-9-1963
बागपत . . .	,,	30-3-1964
सोमपेट . . .	आँध्र प्रदेश	25-6-1963
खैरागढ़ . . .	मध्य प्रदेश	27-6-1963
दिनहाट . . .	पश्चिम बंगाल	30-9-1963
चम्बा	हिमाचल प्रदेश	23-3-1964

लेडी हेल्थ विजिटर

1246. **श्री जैन :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में अब तक विभिन्न राज्यों ने प्रतिवर्ष कितनी महिलाओं को 'लेडी हैल्थ विजिटर" के प्रशिक्षण के लिये दिल्ली भेजा है और कितनों ने वास्तव में प्रशिक्षण पूरा कर लिया है ;

(ख) तृतीय योजना की शेष अवधि में प्रत्येक राज्य की ऐसी कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण दिये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या प्रत्येक राज्य के लिये कोई कोटा निर्धारित कर दिया गया है और क्या उड़ीसा जैसे राज्यों को जिनमें कि चिकित्सा कर्मचारियों की कमी है इसके लिये कोई अधिमान दिया जाता है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3597-64।]**

(ग) किसी राज्य के लिय कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया है, परन्तु सामान्यतया दिल्ली से बाहर के सभी योग्य विद्यार्थियों को प्रवेश दे दिया जाता है क्योंकि ऐसे प्रार्थियों की कुल संख्या उपलब्ध स्थानों की संख्या से अधिक नही होती है।

सुवर्ण रेखा नदी पर बांध

1247. **श्री गोकुलानन्द महन्ती :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बालासोर जिला (उड़ीसा) में सुवर्णरेखा नदी पर एक बाँध बनाने के प्रस्ताव पर विचार इस समय किस प्रक्रम पर चल रहा है ; और

(ख) सरकार द्वारा इस मामले में कब तक अन्तिम निर्णय लिये जाने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) सुवर्णरेखा नदी के जल के विभाजन के सम्बन्ध में बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों के बीच इंजीनियरों के स्तर पर एक समझौता हो गया है। उड़ीसा सरकार को अब जाँच का कार्य करना है तथा परियोजना प्रतिवेदन तयार करना है।

Development of Ayurved

1248. **Shrimati Johraben Chauda :** Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) the amount sanctioned for the development of Ayurveda during the Third Plan period ; and

(b) the amount actually spent and the broad details of the development work done so far ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) तृतीय योजना में आयुर्वेद के विकास के लिये पृथक से कोई धनराशी निर्धारित नहीं की गई है। तीसरी योजना में स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों––आयुर्वेद, यूनानी, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा––और होम्योपैथी के विकास के लिये केन्द्रीय योजनाओं के लिये एक करोड़ रुपये और केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिये दो करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ख) अभी तक, तृतीय योजना काल में केन्द्रीय सरकार ने स्वयंसेवी संस्थाओं को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये लगभग कुल 28,32,000 रुपये के अनुदान दिये हैं :––

1. प्रशीक्षण संस्थाओं का उन्नयन और/अथवा सुधार ;
2. रोग की जाँच, औषध-प्रकृति-विज्ञान, औषध-प्रभाव-विज्ञान, भेषज मानकीकरण आदि के बारे में अनुसन्धान करना।
3. औषधीय पौधों का सर्वेक्षण ;
4. जड़ी-बूटियों के उद्यान का विकास ; और
5. साहित्यिक अनुसन्धान।

राज्यों की संस्थाओं में स्थापित अनुसन्धान यूनिटों आदि को सहायता के रूप में, राज्य सरकारों को दिये जाने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के अधीन बजट में निम्नलिखित व्यवस्था की गई थी :

	रुपये
1961-62	10,00,000
1962-63	10,00,000
1963-64	5,00,000
1964-65	5,00,000

यह व्यवस्था केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनाओं के लिये निर्धारित दो करोड़ रुपये की राशी में से की गई थी। यह धनराशी मार्गोपाय अग्रिम धन के माध्यम से दी जाती है और यह ज्ञात नहीं है कि राज्यों द्वारा वास्तव में कितना रुपया लिया गया था।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों की शिक्षण संस्थाओं की उन्नति के लिये भी राज्यों को अनुदान देती है। यह केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त एक योजना है। 1962–63 से लेकर केन्द्रीय सरकार ने इसके लिये निम्नलिखित धनराशी की व्यवस्था की थी :

	रुपये
1962–63	5,00,000
1963–64	6,00,000
1964–65	5,00,000

यह ज्ञात नहीं है कि राज्य सरकारों ने वास्तव में कितने अनुदान लिये थे।

संयुक्त अरब गण राज्य के मंत्री का दौरा

1249. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त अरब गणराज्य के आस्वान उच्च बाँध मंत्री महोदय भारत आये थे और उन्होंने संघ सरकार के सिंचाई और विद्युत मंत्री के साथ बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो किन विषयों पर बातचीत की गई थी और उसमें क्या निर्णय लिये गये ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) भारत सरकार के निमंत्रण पर संयुक्त अरब गणराज्य के उच्च बाँध मंत्री, परमश्रेष्ठ श्री मोहम्मद सिदकी सुलमान, दल के अन्य पाँच सदस्यों के साथ 25 नवम्बर से 2 दिसम्बर, 1964 तक भारत की पाँच दिन की यात्रा पर आये थे। अपनी यात्रा के दौरान, संयुक्त अरब गणराज्य के मंत्री महोदय और उनके दल ने भारत की कुछ नदी घाटी परियोजनाओं का दौरा किया था। इस दौरे की व्यवस्था मुख्यरूप से संयुक्त अरब गणराज्य के मंत्री महोदय और उनके दल को भारत में सिंचाई और विद्युत के क्षेत्र में चल रही विकास कार्यवाहियों के देखने का अवसर प्रदान करने के लिये की गई थी। दोनों देशों की नदी घाटी परियोजनाओं में कार्य कर रहे इंजीनियरों के बीच और निकट सम्पर्क स्थापित करने में भी इस यात्रा से सहायता मिली है।

इस दौरे की व्यवस्था किन्हीं विशिष्ट समस्याओं को तय करने के इरादे से नहीं की गई थी और इसलिये किन्हीं औपचारिक निर्णयों पर पहुंचने का प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली के अस्पताल

1250. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के अस्पतालों में हृदयविदारक स्थिति चल रही है और उसमें भारी सुधार किय जाने की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। योजना में किये गये उपबन्धों के अनुसार विद्यमान सुविधाओं का प्रसार तथा सुधार किया जा रहा है।

भरत पुर के लिये नहर

1251. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान के भरतपूर जिले में एक छोटी नहर बनाने के लिये एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार से कितना रुपया व्यय करने की मांग की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव की जाँच की जा रही हैं।

(ग) दो करोड़ उन्तीस लाख रुपये।

(घ) प्रविधिक सलाहकार समिति द्वारा परियोजना के मंजूर कर लिये जाने के पश्चात् ही यह प्रश्न उठगा।

केरल में जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

1252. { **श्री अ. व. राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक तथा वाणिज्यिक मल की निकासी पर नियंत्रण करने के लिये एक राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर केरल सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो यह बोर्ड कब स्थापित किया जायेगा; और

(ग) इस प्रकार के मल से नदियों के जल को दूषित होने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) चतुर्थ योजना काल के दौरान ऐसा एक बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है।

सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये ऋण

1253. **श्री रा० गि० दुबे :** क्या निर्माण तथा आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक प्रवर्ग, अर्थात् उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग, के केन्द्रीय सरकार के किसी कर्मचारी को अपने मकान का निर्माण करने के लिये उसके कितने महीने के मूल वेतन के बराबर ऋण मिल सकता है ;

(ख) मकान के निर्माण की सामग्री और श्रम की ऊंची लागत को ध्यान में रखते हुए क्या निम्न आय वर्ग की श्रेणी में आने वाले और 200 रुपये प्रति माह से कम मूल वेतन लेने वाले व्यक्ति के लिये एक उपयुक्त मकान के निर्माण के लिये इतने रुपये का ऋण पर्याप्त समझा जाता है ; और

(ग) कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास जैसे बड़े नगरों में मकानों की भारी कमी को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार अपने सारे कर्मचारियों और विशेषतया अपने निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों को क्या प्रोत्साहन और सुविधायें देने का विचार कर रही है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख) मकान-निर्माण ऋण नियमों के अधीन, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी, चाहे वे किसी भी आय वर्ग के हों, अपने मासिक मूल वतन के 36 गुने तक ऋण ले सकते हैं, परन्तु इस ऋण की राशि 25,000 से अधिक नहीं होगी। तथापि, निम्न वेतन पाने वाले जिन सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन की 36 गनी राशी उनकी आवश्यकताओं से कम होती है उन्हें 4,800 रुपये का ऋण दिया जा सकता है। किसी मुफस्सिल क्षेत्र में एक आदर्श मकान के निर्माण के लिये इतनी धनराशि पर्याप्त समझी जाती है।

(ग) कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई और मद्रास जैस बड़े नगरों में उचित मूल्यों पर मकान बनाने के लिये स्थान मिलने की समस्या ही सबसे मुख्य है। बढते हुए नगरों के चारों ओर मकान निर्माण और इससे सम्बद्ध प्रयोजनों के लिये बड़े पैमाने पर भूमि के अर्जन तथा विकास की एक योजना सरकार ने चालू की है। इस योजना का उद्देश्य मुख्यतया निम्न आय वर्ग के मकान बनाने वाले लोगों, अर्थात जिनकी मासिक आय 500 रुपये तक है, को उपयुक्त दरों पर मकान बनाने के लिये जगह का उपलब्ध कराना है। राज्य सरकारें भी मकान बनवाने वालों को अपने राज्यों के अभ्यंशो में से मकान बनाने की सामग्री दे रही हैं। केन्द्रीय सरकार के जो कर्मचारी मकान बनवाना चाहते हैं उन्हें ये सुविधायें प्राप्त हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

जम्मु तथा काश्मीर में जनमत-संग्रह मोर्चे द्वारा पाकिस्तानी झण्डे से मिलते-जुलते हरे झण्ड का फहराया जाना

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Sir, I beg to call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement thereon :—

"Reported hoisting of green flag alike Pakistani flag by the Plebiscite front at various places in Jammu and Kashmir on the 5th December, 1964"

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : At the Sopore Session of the Plebiscite Front held on November 14-16, 1964, a new party flag was adopted. The flag is mainly green with a wide orange band on the mast side. In the middle of the flag there are three motifs. At the top there is a green *Chinar* leaf, below that there is a pair of clasped hands and at the bottom a crescent. This flag is not similar to the Pakistan flag.

On 5th December 1964, which happened to be Sheikh Abdullah's birthday, the Plebiscite Front observed what it called 'Yom-e-Parcham' *i.e.* flag day. On this day, flags were hoisted at party offices all over the Valley. The main function was held at Mujahid Manzil (headquarters of the Plebiscite Front) at which Shri Afzal Beg formally unfurled the flag. Eleven crackers were fired by way of salute to Sheikh Abdullah and laudatory and congratulatory speeches were made by him and by other Plebiscite Front leaders at a function attended by about 5/7,000 people. No report of any disturbance has been received.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Mirza Afzal Baig and Sheikh Abdullah are instigating the people of Kashmir. In view of this, do Government propose to arrest them or keep them under check ? The Government has permitted them to go abroad. Will they not indulge in anti-Indian propaganda there ?

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda) : A part of this question has no relevance to this notice. Nothing has been done which may warrant any action. So far as the hoisting of flag is concerned, that does not constitute any such act.

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : सरकार अनुच्छेद 370 को कब तक बनाये रखना चाहती है क्योंकि यह काश्मीर के भारत में पूर्ण विलय के रास्ते में बाधक है ?

श्री नन्दा : अभी पीछे इस प्रश्न पर पूर्ण रूप से विचार हो चुका है।

श्री हेम बरुआ : मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर हाल की राष्ट्र-विरोधी कार्रवाइयों को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार इस प्रश्न पर पुनर्विचार करने जा रही है ?

श्री नन्दा : जी नहीं, अभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिससे ऐसा करने की आवश्यकता हो।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : This flag resembles the Pakistani flag. Moreover, it was hoisted not only at public places but on Government buildings also. This clearly shows that anti-national activities are on the increase there. I do not understand why the Government is not taking any action in spite of all this.

Shri Nanda : When the situation warrants any action, Government would surely take action. These flags were not hoisted at public places or Government buildings according to our information. They were hoisted only on their party offices.

Shri Prakash Vir Shastri : I have photos of such Government offices with me and I shall place them on the Table of the House.

Mr. Speaker : Instead of placing them on the Table, send them to the hon. Minister.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अशोक होटल्स लिमिटेड का 31 मार्च, 1964 को समाप्त होनेवाले वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उस पर सरकार द्वारा की गई समीक्षा

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : मैं श्री मेहर चन्द खन्ना की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :--

(एक) समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली, के 31 मार्च, 1964 को समाप्त होने वाले वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेख तथा उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(दो) उक्त समवाय के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०. 3584/64]

केरल लोक-सेवा आयोग (परामर्श) विनियम, 1957 में संशोधन, उसपर व्याख्यात्मक ज्ञापन तथा केरल लोक सेवा आयोग (परामर्श), विनियम, 1957

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : मैं केरल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 10 सितम्बर, 1964 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (5) के अन्तर्गत, केरल लोक-सेवा आयोग (परामर्श) विनियम, 1957 में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक 1 सितम्बर 1964 के केरल गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० एस० संख्या 430 की एक प्रति, (एक) उसके व्याख्यात्मक ज्ञापन, और (दो) केरल लोक-सेवा आयोग (परामर्श) विनियम, 1957 सहित सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3585/64]**

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में वक्तव्य

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : मैं श्रीमति चन्द्रशेखर की ओर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त द्वारा (अपने 1961-62 के वार्षिक प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में वक्तव्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3586/64]**

सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (बारहवा संशोधन) नियमों की प्रति

श्री रामेश्वर साहू : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, 1960 में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 28 नवम्बर 1964 की जी० एस० आर० 1665

(दो) दिनांक 28 नवम्बर 1964 की जी० एस० आर० 1666

(तीन) दिनांक 28 नवम्बर 1964 की जी० एस० आर० 1667

(चार) दिनांक 28 नवम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1668

(पांच) दिनांक 28 नवम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1669

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी० 3587/64]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 14 नवम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1618 में प्रकाशित सीमा शुल्क बान्डों (सामान्य) में निर्माण संशोधन नियम, 1964।

(दो) दिनांक 28 नवम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1670

[श्री रामेश्वर साहू]

(तीन) दिनांक 28 नवम्बर, 1964 की जी० एस आर० 1671

(चार) दिनांक 28 नवम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1672

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3588/64]

(3) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत, दिनांक 28 नवम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1673 में प्रकाशित, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (बारहवां संशोधन) नियम, 1964 की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी 3589/64]**

राज्य सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान्, राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है :--

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधो के अनुसरण में, मुझे लोक-सभा को यह सूचना देने का निदेश मिला है कि राज्य सभा 8 दिसम्बर, 1964 को हुई अपनी बैठक में भ्रष्टाचार विरोधी विधियां (संशोधन) विधेयक, 1964 से, जिसे लोक-सभा ने 20 नवम्बर, 1964 को हुई अपनी बैठक में पारित किया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।"

पूर्वोत्तर रेलवे पर छपरा के निकट हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE. RAILWAY ACCIDENT NEAR CHAPRA ON NORTH EASTERN RAILWAY

श्री स० मो० बनर्जी (कानपूर) : हमने इस दुर्घटना के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसे आपने अस्वीकार कर दिया है। हम इस दुर्घटना के लिये सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं क्योंकि उन्होंने रेलवे फाटकों पर चौकीदारों की व्यवस्था नहीं की हुई है। अतः यह कैसे संभव है कि स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है जबकि मंत्री महोदय इस दुर्घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य दने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया जा चुका है कि वह सभी रेले फाटकों पर चौकीदारों की व्यवस्था नहीं कर सकती। प्रत्येक देश में यही स्थिति है। इसलिये सड़क का प्रयोग करने वालों की यह जिम्मेदारी है कि वह रेलवे फाटकों के पास ध्यान से सड़क को पार करें।

श्री नाथ पाई (राजापूर) : रेलवे दुर्घटना समिति ने इस प्रश्न की जांच करने के बाद महत्वपूर्ण सफारिशें की हैं। मैंने सब पहलुओं पर विचार करके अपना स्थगन प्रस्ताव भेजा है। वह नियमों के अधीन पूर्ण रुप से ग्राह्य है। इस दुर्घटना में 24 लोक मर गये हैं और 74 घायल हुए हैं। यदि सरकार उक्त समिति की सिफारिशों का सावधानी पूर्वक पालन करती तो यह दुर्घटना न होती। इसलिये आपको सरकारके इस तर्क को स्वीकार नहीं करना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने उन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है जिन्हें वह कार्यान्वित कर सकती थी ?

अध्यक्ष महोदय : मैं एकबार जो निर्णय दे चुका हूं, उसपर यहां वाद-विवाद नहीं होना चाहिये। माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दे दिये हैं। अब मुझे सरकार के वक्तव्य को भी सुन लेने दीजिये।

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटील) : मुझे सभा को यह सूचना देते हुए खेद है कि 9 दिसम्बर, 1964 को लगभग 14.00 बजे जब 236 डाउन छपरा गोरखपुर यात्रीगाड़ी पूर्वोत्तर रेलव के छपरा-थावे

जंक्शन सेक्शन पर दिघवा दोबोली तथा सिद्धवालिया स्टेशनों के बीच जा रही थी, तो वह एक यात्री बस से बिना चौकिदार के एक फाटक पर 69/8 किलोमिटर पर टकरा गई। इसके कारण यात्रीगाड़ी का इंजन पटरी से उतर गया और बस के 24 यात्री घटनास्थल पर मर गये और 3 बाद में गम्भीर चोटों के कारण मर गये। अन्य 69 बस यात्रियों को भी चोटें आई। रेलगाड़ी के चालक तथा फायरमैन को भी चोटें आई। नवीन तम जानकारी के अनुसार मृत यात्रियों की संख्या 27 की बजाय 29 है।

सोनपुर तथा गोरखपुर से घटनास्थल को डाक्टरी सहायता गाड़ियां तुरन्त भेजी गई। घटनास्थल से यात्रियों को लाने के लिये गोरखपुर तथा गरहारा से गाड़ियां रवाना की गई।

घायल व्यक्तियों को बाद में सीवन तथा छपरा के असैनिक हस्पतालों में इलाज के लिये भेजा गया। मृतकों के सम्बन्धियों को तथा घायल व्यक्तियों को धन राशियों के भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। सड़क के दोनों ओर से रेलवे लाइन साफ दिखाई पड़ती है और "स्टॉप" चिन्ह भी लगे हुए हैं। रेल की पटरी पर सीटी बजाने संबंधी बोर्डों की व्यवस्था भी की हुई है।

प्रशासनिक अधिकारियों की एक समिति इस दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिये नियुक्त कर दी गई है।

रेलवे के 33,000 फाटकों में से लगभग 12,600 फाटकों पर चौकीदारों की व्यवस्था है। जहां तक रेल दुर्घटना समिति की सिफारिश का संबंध है, राज्य सरकारों के सहयोग से 1200 अतिरिक्त फाटकों पर चौकीदार की व्यवस्था की जानी है। इस निमित्त अपना भार पूरा करने में राज्य सरकारों की ओर से कुछ देरी की गई है। परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि उक्त फाटक इन 1200 फाटकों मे भी शामील नहीं है। रेलवे को इस दुर्घटना के लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मृतकों के परिवारों को अन्तरिम मुआवजा दे दिया गया है ?

श्री स० का० पाटील : मुझे प्रत्येक मामले में 500 रुपये की स्वीकृति देने का अधिकार है और जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उन्हें पूरा मुआवजा दे दिया जायेगा।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : The literacy percentage in India is very poor as compared to other countries. The railways collect a huge sum as railway tickets from the public. The responsibility of manning of railway crossings should not be passed on to the State Governments and the Railways themselves should undertake this responsibility.

Shri S. K. Patil : The drivers are literate persons and they should be able to read the 'Stop' Signs. So far as manning of all these crossings is concerned, it would involve an amount of Rs. 30 crores. Is the house prepared to sanction this much amount ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): To avoid such accidents in future when the situation would be remedied ? In fact, relief to the victims of this accident has not been provided as yet. When would Government make payments in this connection?.

Shri S. K. Patil : 12,600 level crossings are manned and 1200 more are going to be manned as per the recommendations of the Committee. Yet there will be 18,000 that will still remain unmanned

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Dighwa Dobawli is a big marketing centre. Such a busy level crossing should not be left unmanned. Would Government take steps to man that level crossing in order to avoid such accidents in future?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : The level crossing, the hon. Member has in view, is already manned. The level crossing under discussion is a separate one. Nevertheless, his suggestion would be given due consideration.

Shri K. D. Malaviya (Basti) **:** May I know whether one single bus carried 96 persons or there were more than one bus involved in that accident?

Dr. Ram Subhag Singh : According to our information that was a single bus and a private one.

श्री नाथ पाई : सरकार इस प्रकार अपने उत्तरदायित्व से नहीं बच सकती । क्या वह अन्य देशों की तरह सस्ते चेतावनी संकेतकों की व्यवस्था नहीं कर सकती ताकि मोटर चालक अपनी मोटर-गाड़ी धीमी करने अथवा रोकने के लिये बाध्य हो जायें ? क्योंकि लोगों का जीवन अधिक मूल्यवान है ।

श्री स० का० पाटील : 'स्टाप' संकेत से अधिक प्रभावकारी और क्या उपाय हो सकता है । ऐसे मोटरचालक के मामले में जो एक बस में 96 यात्री ले जा सकता है अन्य किसी संकेत से कोई अन्तर नहीं पड़ सकता था ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) **:** बिना चौकीदार के रेलवे फाटकों पर ये जो बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं । क्या सरकार उनमें से बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं संबंधी जांच प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री स० का० पाटील : बड़ी खुशी से ।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) **:** Do government undertake an evaluation of the increase in traffic after every three years to see which of the unmanned level crossings need manning?

Dr. Ram Subhag Singh: This is actually the practice. The last evaluation was made in 1962 and further investigations would be made on the basis of this mishap.

केरल विनियोग विधेयक, 1964
KERALA APPROPRIATION BILL, 1964

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1964-65 में सेवाओं के लिये केरल राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1964-65 की सेवाओं के लिये केरल राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

खण्ड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 1, 2, 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद संबंधी प्रश्न के उत्तर के बारे में स्पष्टीकरण
CLARIFICATION RE: ANSWER TO QUESTION RELATING TO CENTRAL COUNCIL OF HEALTH

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : प्रश्न काल के दौरान श्रीमती सावित्री निगम ने केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् संबंधी प्रश्न पर एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था और मंत्री महोदय ने कहा था कि उसका उत्तर विवरण मे दिया हुआ है जब कि माननीय सदस्या ने आपत्ति की थी कि वह उत्तर विवरण में नहीं है। मैं यह दोहराना चाहता हूं कि उत्तर विवरण में दिया हुआ है।

वर्ष 1961-62 तथा 1962-63 के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—जारी
MOTION RE: ANNUAL REPORTS OF THE UNIVERSITY GRANTS COMMISSION FOR THE YEARS 1961-62 AND 1962-63—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 9 दिसम्बर, 1964 को श्री मु० क० चागला द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी :—

"कि वर्ष 1961-62 और 1962-63 के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों पर, जो क्रमशः 21 अगस्त 1963 और 19 फरवरी, 1964, को सभा पटल पर रखे गये थे, विचार किया जाये।"

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : 1961-62 के प्रतिवेदन में विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के प्रश्न की ओर निर्देश किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह राय व्यक्त की है कि अंग्रेजी के स्थान पर प्रादेशिक भाषाएं लागू करने के बीच का काल जहां तक हो सके कम होना चाहिये और साथ साथ शिक्षा स्तर में कोई गिरावट नहीं आने देनी चाहिये। मुझे प्रसन्नता है कि शिक्षा मंत्री राजनीतिक दबावों के बावजूद राष्ट्रीय एकता तथा शिक्षा की उन्नति के हित में विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के मामले में बुद्धिमता से काम लेने पर जोर देते रहे हैं। कुंजरू समिति, उपकुलपति सम्मेलन, राष्ट्रीय एकता परिषद् तथा मुख्य मंत्री सम्मेलन—सभी ने इस बारे में सावधानी से काम लेने तथा एक उपयुक्त सम्पर्क भाषा की आवश्यकता पर जोर दिया है। एक विकसित सम्पर्क भाषा के अभाव में शिक्षा के माध्यम में परिवर्तन करने से देश छिन्न भिन्न हो जायेगा।

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

अंग्रेजी इस देश में शिक्षा प्रणाली का, विशेषकर विश्वविद्यालय स्तर पर, एक महत्वपूर्ण अंग बन गई है। इसकी विशेष स्थिति के कारण सभी प्रदेशों को इससे समान लाभ प्राप्त हुआ है। अधिकाधिक लोग अंग्रेजी को अपना रहे हैं और भविष्य में भी अपनायेंगे क्योंकि यह विश्व की एक प्रमुख भाषा है और इसके द्वारा विश्व के सभी विषयों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जो हमारी किसी भी प्रादेशिक भाषा के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। गुजरात विश्वविद्यालय काण्ड में उच्चतम न्यायालय में मैंने एक तर्क यह दिया था कि किसी भी विश्वविद्यालय को अंग्रेजी को समाप्त करने की अनुमति देने से देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का एक मात्र साधन ही खत्म हो जायेगा। देश के विभिन्न राज्यों, विश्वविद्यालयों, अध्यापकों तथा छात्रों में इसी भाषा द्वारा पारस्परिक सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। यही एकमात्र भाषा है जिसके द्वारा हम शिक्षा का उच्च स्तर बनाए रख सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री शाह ने 1962 में उक्त मामले में उच्चतम न्यायालय की ओर से फैसला सुनाते हुए कहा था कि यदि विश्वविद्यालयों से अंग्रेजी को समाप्त करने के लिये कोई कानून लाया जायेगा तो शिक्षा का स्तर गिर जायेगा क्योंकि विज्ञान, तकनीकी विषयों, आदि संबंधी पाठय पुस्तकों तथा इन विषयों को पढ़ाने वाले अध्यापकों के अभाव में हिन्दी अथवा अन्य प्रादेशिक भाषाएं अंग्रेजी का स्थान ग्रहण करने की स्थिति में नहीं हैं। इसी तर्क को आधार मान कर उन्होंने यह निर्णय दिया था कि राज्य विधान मण्डल को ऐसे मामले में कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है जिसमें शिक्षा के स्तर का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो और वह अधिकार केवल संसद् को ही प्राप्त है। मैंने उस निर्णय की ओर निर्देश इसलिये किया है कि मैंने भी अंग्रेजी के समर्थन में उस मामले में पैरवी की थी और वह निर्णय वास्तविक स्थिति को दृष्टि में रखते हुए दिया गया है।

यह कहना सरल है कि शिक्षा केवल मातृ-भाषा के माध्यम से दी जानी चाहिये परन्तु सर्वप्रथम आवश्यकता यह है कि मातृ-भाषा काफी विकसित होनी चाहिये और उसे पढ़ाने के लिये योग्य अध्यापक होने चाहियें। जिन विश्वविद्यालयों ने प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बना लिया है, उनमें केवल अव्यवस्था ही नहीं फैली हुई है अपितु शिक्षा का स्तर भी बहुत अधिक तेजी से गिरता जा रहा है। हाई स्कूलों का तो कहना ही क्या है यहां तक कि विश्वविद्यालयों से जहां प्रादेशिक भाषा में शिक्षा दी जाती है जो छात्र निकलते हैं वे नाकारा हैं और अध्यापक पद संभालने योग्य नहीं हैं। मैं यह अपने निजी अनुभव के आधार पर कह रहा हूं क्योंकि मेरा दो बड़ी शिक्षा संस्थाओं से बहुत निकट का सम्पर्क है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वे लोग हिन्दी समर्थकों के दबाव के कारण विश्वविद्यालयों अथवा सरकारी नौकरियों में ले लिये जायेंगे। परन्तु गैर-सरकारी उद्योगों अथवा स्कूलों में,—जहां योग्यता ही एक मात्र कसौटी है——उन लोगों को नौकरी नहीं मिल सकती है।

मुझे यह भी जानकारी है कि विज्ञान तथा मानव शास्त्र संबंधी कुछ पुस्तकों का किसी हिन्दी प्रोफेसर द्वारा हिन्दी में अनुवाद किया गया है जो बिल्कुल ऊटपटांग है और जिसके अध्ययन से विद्यार्थी उन विषयों के बारे में सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। यह सब जल्दबाजी का नतीजा है।

हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने के परिणाम स्वरूप गणित और विज्ञान का स्तर गिर गया है क्योंकि हिन्दी अथवा प्रादेशिक भाषाओं में अभी तक इन विषयों की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं।

हाल में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार भारत में अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों में से 99 प्रतिशत विद्यार्थियों की मातृभाषा अंग्रेजी नहीं होती है। किन्तु अंग्रेजी की शिक्षा अच्छे ढंग से दी जाने के कारण ये विद्यार्थी काफी योग्य साबित होते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये सर्वेक्षण से भी यह साबित हो गया है कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा पाने वाले विद्यार्थी अधिक योग्य साबित होते हैं। अत: मैं कहना चाहता हूं कि यदि अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया तो शिक्षा का एकीकरण समाप्त हो जायेगा।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को चाहिए कि वह शिक्षा के मार्ग में आने वाली विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिये निदेश दे। आयोग ने इन समस्याओं के बारे में कुछ

प्रारम्भिक उल्लेख करने के अतिरिक्त महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में सर्वथा मूक एवं उदासीन रवैया अपनाया है। यह ठीक है कि आयोग के पास वित्त की कमी है किन्तु उसे समस्याओं को सुलझाने के लिये व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। प्रतिवेदनों को पढ़ने के बाद यह धारणा बनती है कि आयोग का अपना कोई निश्चित मत नहीं है और यह प्रायः अपना काम अनियमित ढंग से चला रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1962-63 के प्रतिवेदन को देखने से ज्ञात होता है कि विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। भारत जैसे एक विकासशील देश में इस प्रकार की वृद्धि होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त हमें यह नही भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के फलस्वरूप हम सबकी महत्वाकांक्षायें बहुत बढ़ गई हैं। अतः सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करे। भारत जैसे विशाल देश में इस समय केवल 55 विश्वविद्यालय हैं जो विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए सर्वथा अपर्याप्त हैं। देश में विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए कम से कम 250 विश्वविद्यालय होने चाहिएं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर गिर गया है। इसके दो कारण बताये गये हैं। पहला कारण विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला संबंधी सुविधाओं का अभाव है। दूसरा अभी अच्छे शिक्षक तथा अच्छी पाठ्यपुस्तकों की कमी है। इस प्रश्न पर बहुत सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

आयोग ने सिफारिश की है कि विश्वविद्यालयों में वर्तमान सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। प्रतिबन्धित प्रवेश का सुझाव निस्संदेह सिद्धान्त रूप में अच्छा है। किन्तु विश्वविद्यालयों में पहले से ही बहुत भीड़ होती है। प्रतिबन्ध लगाने से बड़ी संख्या में जिन विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिलेगा उन्हें अन्य किन कामों पर लगाया जायेगा। निश्चय ही, हमें इतनी बड़ी संख्या में युवकों को समाज में आवारा घूमने के लिये नहीं छोड़ना चाहिए। इस समस्या को हल करने के लिये देश में कम से कम 250 छोटे छोटे विश्वविद्यायल खोले जाने चाहिएं ताकि सभी इच्छुक विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सके। इससे वर्तमान विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की भीड़ कम हो जायेगी, विश्वविद्यालयों को अपना शिक्षा स्तर ऊंचा करने में सहायता मिलेगी। और विद्यार्थियों में अनुशासन भी बढ़ेगा। हमें देश के नवयुवकों की शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा को पूरा करने के लिये, अन्य देशों की भांति, अपनी पंचवर्षीय योजनाओं की आवश्यकताओं के अनुसार मैट्रिक के बाद के स्तर पर ऐसी व्यावसायिक संस्थाय स्थापित करनी चाहिएं जिनमें विविध प्रकार की व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। इससे देश में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की कमी नहीं रहेगी।

आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि आयोग देश में विश्वविद्यालयों में शिक्षा के लिये एक समान पाठ्यक्रम बनाने के लिये कुछ नहीं कर सका है। मैं समझता हूं कि शिक्षा का स्तर गिरने का यह भी एक कारण हैं। अतः आयोग को देश में एक समान पाठ्यक्रम बनाने के लिये भरसक प्रयत्न करना चाहिए। चाहिए।

आयोग को विश्वविद्यालय की शिक्षा का स्तर ऊंचा बनाये रखने के लिये सतत् प्रयास करना चाहिए क्योंकि यह भी इसके उत्तरदायित्वों में से एक है। यह दुख की बात है कि विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा के अन्य केन्द्रों में भाई भतीजावाद, बलनीति अथवा ज्यादतीपूर्ण रवैया अपनाया जाता है जिससे इनका वातावरण गन्दा हो जाता है और शिक्षा का स्तर गिर जाता है। आयोग को इस प्रकार की बुराइयों को दूर करने के लिये कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने का सरकार का निर्णय सराहनीय है क्यों कि मातृभाषा के द्वारा ही विद्यार्थी अच्छी तरह शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश की मूलभूत एकता को किसी प्रकार की आंच न आये। भाषाओं की खिचड़ी हमारी एकता के बन्धन को नष्ट कर सकती

[श्री हेम बरुआ]

है। अतः मेरा अनुरोध है कि भावात्मक तथा राष्ट्रीय एकता बनाये रखने की दृष्टि से अंग्रेजी जारी रहनी चाहिए किन्तु उसके रहने से हिन्दी अथवा प्रादेशिक भाषाओं को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए।

यह खेद की बात है कि विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों में अनुशासन हीनता है। इसका मुख्य कारण सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक है। मंत्री महोदय को इस समस्या पर व्यापक दृष्टिकोण से गंभीरता पूर्वक विचार करके इसका हल निकालना चाहिए।

श्रीमति लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्री जवाहर लाल नेहरू, ने सदैव ही शिक्षा को, विशेषतः महिला शिक्षा को, प्राथमिकता देने पर बल दिया था। वह इस बात को अच्छी तरह अनुभव करते थे कि जब तक महिलायें शिक्षित नहीं होंगी तब तक वे देश के विकास के कार्यों में पुरुषों का हाथ नही बटा सकती हैं। मुझे यह जानकर आज अत्यन्त प्रसन्नता हुई है कि वर्तमान शिक्षा मंत्री ने महिला शिक्षा का महत्व समझकर उसकी ओर ध्यान दे रहे हैं। वह इसके लिये बधाई के पात्र हैं।

सरकार ने महिला शिक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान दिया है। सरकार ने 1959 में योजना आयोग की सिफारिश पर महिला शिक्षा संबंधी समिति नियुक्त की थी। यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने समिति की अधिकांश सिफारिशों को काफी धन व्यय करके क्रियान्वित किया है। प्रायः सभी राज्यों में शिक्षा समितियां स्थापित की गई हैं। आन्ध्र प्रदेश की महिला शिक्षा संबंधी समिति की सिफारिश पर सरकार ने उस राज्य में माध्यमिक कक्षाओं तक लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क कर दी है। मुझे विश्वास है कि इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी माध्यमिक कक्षाओं तक लड़किओं की शिक्षा निःशुल्क को जायेगी।

यद्यपि प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क दी जाती है किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम मां-बाप अपनी लड़कियों को स्कूल भेजते हैं। ग्राम पंचायत आदि जैसे संबंधित स्थानीय निकायों से कहा जाये कि वे लड़कियों के मां बाप को अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने के लिये राजी करें। यद्यपि अनेक कानून बनाकर स्त्रियों को व्यापक अधिकार दिये गये हैं। किन्तु जब तक स्त्रियां शिक्षा का महत्व नहीं समझतो तथा शिक्षित और ज्ञानवान नहीं होंगी तब तक वे संविधान द्वारा प्राप्त अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकेंगी।

प्रत्येक महिला को विवाह से पहले व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिये ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह अपना उत्तरदायित्व संभाल सके। आज स्थिति यह है कि कोई भी पुरुष अपनी आय से अपना और अपने परिवार का पोषण अच्छी तरह नहीं कर सकता है अतः यह आवश्यक है कि पत्नी को कोई कार्य करके अपने परिवार की आय में सहयोग देना चाहिये, यह तभी संभव हो सकता है जब महिलायें पूरी तरह शिक्षित हों।

यद्यपि हमने राजनीतिक दासता पर विजय प्राप्त कर ली है किन्तु महिलाओं में अभी मानसिक दासता बनीं हुई है। वे अपने को दुर्बल तथा हीन समझती हैं। इस दुर्बलता को दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये।

मंत्री महोदय ने परीक्षाओं के संबंध में सुधार करने की बात कही है। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहती हूं कि हम प्राचीन शिक्षा प्रणाली से बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्राचीन काल में विद्यार्थी और अध्यापक में आपस में निकट का संबंध रहता था तथा विद्यार्थी एवं विद्यार्थी प्रायः साथ साथ रहते थे। हमें भी विद्यार्थी और अध्यापक के संबंधों में सुधार करने का प्रयत्न करना चाहिये तथा लड़के और लड़कियों के अधिक संख्या में छात्रावास खोलने चाहिये।

श्री कृ० चं० पंत (नैनिताल) : अध्यक्ष महोदय, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अनुसार आयोग का मुख्य उद्देश देश में उंची शिक्षा के स्तर में सुधार करना है। किन्तु अनुभव से यह

बात सिद्ध होती है कि शिक्षा संबंधी वर्तमान नीति से संतोषजनक कार्य नहीं हुआ है और पर्याप्त व्यवस्था का अभाव है तथा अपेक्षित संवैधानिक उपबन्धों की कमी है। राधा कृष्णन आयोग, सप्रू समिति तथा सम्पुर्णानन्द समति जैसी समितियों तथा आयोग ने सिफ़ारिश की है कि ऊंची शिक्षा को समवर्ती विषय बनाया जाना चाहिये। सरकार को उनकी सिफ़ारिशों को ध्यान में रख कर शिक्षा संबंधी नीति निर्धारित करनी चाहिये।

इस समय शिक्षा संस्थाओं में समन्वय का भारी अभाव है। अत: यह महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिये एक ओर विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में और दूसरी ओर अनुसन्धान संस्थाओं में आपस में समन्वय होना चाहिये। इसके अतिरिक्त केन्द्र तथा राज्यों में भी समन्वय होना अत्यन्त आवश्यक है।

राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लेखक, पत्रकार, औद्योगिक प्रबन्धक, प्रौद्योगिकीवेत्ता, प्रशासक, सार्वजनिक कार्यकर्ता, न्यायशास्त्री आदि बुद्धिजीवी कर्मचारियों की गतिशीलता का प्रश्न महत्वपूर्ण है। यदि इन सब व्यक्तियों को उच्च शिक्षा से सम्बद्ध किया जाय तो न केवल विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को ही लाभ होगा अपितु वे राष्ट्र के पुनर्निर्माण के कार्य में बहुत अधिक सहयोग देंगे। आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा समाज की आवश्यकता को पूरी करने के योग्य होनी चाहिये। केवल डिग्री मात्र प्राप्त करने से काम नहीं चलता है क्योंकि उन्हें बड़ी कठिनाई से रोजगार मिल पाता है। यह स्पष्ट है कि विद्यार्थियों तथा सरकार दोनों के द्वारा उच्च शिक्षा के लिये बड़ी मात्रा में दुर्लभ साधनों की व्यवस्था किये जाने के बावजूद भी शिक्षा पूरी करने के बाद छात्र स्वत: उपयुक्त तथा लाभप्रद रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति सर्वथा असफल रही है।

आयोग के प्रतिवेदन को देखने से ज्ञात होता कि हमारी शिक्षा पद्धति में विषमता है। अत: हमारी समूची उच्च शिक्षा, चाहे वह व्यावसायिक हो या दूसरी, विश्वविद्यालय जैसे एकही निकाय के अन्दर होनी चाहिये ताकि ऊंची शिक्षा में किसी प्रकार की विषमता न रहे।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि विश्वविद्यालयों में यदि छात्रों की बढ़ती हुई संख्या के अनुसार सुविधाओं का विस्तार नहीं किया गया तो ऊंची शिक्षा का स्तर गिर जायेगा। अत: यह आवश्यक है कि शिक्षा का विशाल ढांचा इस प्रकार का बनाया जाये जिसमें केवल चुने हुये अत्यन्त प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही विश्वविद्यालय की उत्तम शिक्षा प्राप्त कर सकें। बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय की शिक्षा पाने से रह जायेंगे उन्हें विभिन्न स्तरों पर देश में प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता को देखत हुए तथा उनकी रुचि के अनुसार विशेषीकृत व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिये।

आज प्राय: यह देखा जाता है कि छोटी कक्षाओं की अपेक्षा ऊंची कक्षाओं में अधिक विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं। यह राष्ट्रीय धन और जन शक्ति की बर्बादी है। हमें इसके लिये शिक्षा पद्धति तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहिये। यह सराहनीय बात है कि मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर गया है। मैं उनसे यह बतलाने का अनुरोध करता हूं कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है।

आज हमारे सामने एक बड़ी समस्या यह है कि जिन विद्यार्थियों के नाम कालेजों और विश्वविद्यालयों में दर्ज हैं उनमें से 85 प्रतिशत विद्यार्थी सम्बद्ध कालेजों में शिक्षा पाते हैं जहां उन्हें तथा उनके अध्यापकों को वैसी सुविधायें प्राप्त नहीं होती हैं जैसी कि विश्वविद्यालयों में प्राप्त होती हैं। क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सीमित वित्तीय साधन होने के कारण उन्हें अपेक्षित सुविधायें देने में असमर्थ है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि जो कालेज सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं तथा चोटी के कालेजों में गिने जाते हैं उन्हें वही सुविधायें दी जानी चाहिये जो विश्वविद्यालयों को दी जाती है। इससे शिक्षा का ऊंचा स्तर बना रहेगा।

पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा संस्थाओं में, विशेषरूप से उच्च शिक्षा संस्थाओं में, अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन में से एक कठिनाई यह है कि पहाड़ी क्षेत्रों मे स्थित कालेज शीत काल में बन्द रहते हैं और उन में साल भर साढ़े पांच महीने से अधिक पढाई नहीं

[श्री कृ० चं० पंत]

हो सकती है जब कि मैदानी क्षेत्रों में साल में आठ महीने कालेज खुले रहते हैं और उनमें पढ़ाई चलती रहती है। इसका परिणाम यह होता है कि इन क्षेत्रों में स्थिति कालेज सम्बन्ध विश्वविद्यालय के अन्तर्गत अन्य कालेजों की तुलना में पिछड़ जाते हैं। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि पहाड़ी क्षेत्रों में विश्वविद्यालय खोले जायें जिनके क्षेत्राधिकार में उन क्षेत्रों के डिग्री कालेज हो ताकि उन सब में एक समान व्यवस्था हो सके। यदि राज्य सरकार यह करने में असमर्थ होता वहां केन्द्र सरकार को विश्व-विद्यालय खोलना चाहिए ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी हो सके।

अन्त में मै यह कहना चाहता हूं कि समाज में अध्यापकों को जो स्तर दिया जाता है उसका सीधा सम्बन्ध शिक्षा के स्तर से होता है। इसलिये अध्यापको के वेतन बढ़ाने के साथ, जिसके लिये हम प्रयास कर है, हमें उनको समाज में आदर, मान एवं सम्मान का स्थान देना चाहिये।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसोर) : अध्यक्ष महोदय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि हिन्दी अथवा भारतीय भाषाओं को यथाशीघ्र शिक्षा का माध्यम बनाया जाये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

आज की चर्चा से ऐसा लगता है कि सरकार अपने इस वचन से विमुख हो रही है कि हिन्दी अथवा किसी प्रादेशिक भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जायें यद्यपि हम बहुत जोरदार शब्दों में कहते हैं कि शिक्षा केवल शिक्षा प्राप्ति के लिये होती है किन्तु इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि अधिकांश विद्यार्थी रोजगार प्राप्त करने के लिये शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज स्थिति यह है कि भारतीय सेवाओं में हिन्दी अथवा अन्य प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों की तुलना में उन उम्मीदवारों को लिये जाता है जो अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं। सरकार को अपने वचन से विमुख नहीं होना चाहिये। हिंदी तथा अन्य माध्यम से शिक्षा प्राप्त लोगों को भी सेवा में आने के लिये वही अवसर मिलना चाहिये जो अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त लोगों को मिलता है।

हमने संविधान में उपबंध किया है कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा होगी। इसके लिये एक तिथि भी निश्चित की गई है। वह तिथि, अर्थात, 25 जनवरी, 1965 अब बहुत निकट आ गई है। यदि हम वास्तव में संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं तो इस तिथि के पश्चात अंग्रेजी का प्रयोग किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

शिक्षा के मामले में हम अपना वांछित लक्ष्य पूरा नहीं कर पाये है। हमारी आज भी वही स्थिति है जो आज से कई वर्ष पहले थी। आज भी लोग क्लर्क बनने के लिये ही शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं।

जहा तक विश्वविद्यालय में अनुशासन का प्रश्न है इसके लिये किसी सीमा तक विश्वविद्यालयों के कर्मचारी वर्ग भी उत्तरदायी है। अनुशासन के नाम पर कालेजों के बेईमान प्रोफेसरों और प्रिंसपलों ने उन विद्यार्थियों से बदला लिया है और उनके भविष्य को नष्ट किया है जिन्होंने उनकी प्रत्येक आज्ञा का, चाहे वह उचित हो अथवा अनुचित को स्वीकार नहीं किया और उच्च न्यायालय ने बड़ी कठिनाई से उन विद्यार्थियों को बचाया है। ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार के नियंत्रण की मांग करना कि किन विद्यार्थियों को आगे अध्ययन करने की अनुमति दी जाये और किन को न दी जाये, सर्वथा अनुचित है।

यह दुःख की बात है कि एक विश्वविद्यालय के स्नातक को दूसरे विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में बड़ी कठिनाई होती है। अतः मैं अनुरोध करता हूं प्रवेश के मामले में दो विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्नातकों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव पूर्ण बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए।

इस समय कालेजों में राजनीति काफी सीमा तक प्रवेश कर गई है। मंत्रियों के कृपापात्र प्रिंसपल कालेजों में अपनी मनमानी करते हैं। शिक्षा पर करोड़ों रुपया व्यय किये जाने के बावजूद भी कालेजों में उपकरण नहीं हैं। इसको कोई पुछने वाला नहीं है क्योंकि कालेजों के अधिकारियों की मंत्री स्तर तक पहुंच है। अतः मेरा अनुरोध है कि यदि वास्तव में शिक्षा के तर को ऊंचा उठाना है तो हमारे कालेजों में राजनीति का इतना समावेश नहीं होना चाहिये जितना कि इस समय है।

राजनितिक वातावरण का भी प्रश्न है। सामाजिक समारोहो का काल आता है तो एकत्रितो में केवल वहीं लोग निमन्त्रित होते है जो कि एक विशेष प्रकार की राजनीतिक विचारधारा से सम्बन्धित होते है। दूसरे लोगों को तो विशेष क्या साधारण निमन्त्रण भी प्राप्त नहीं होता। कालिजों को एक राजनीतिक क्षेत्र के रुप में प्रयोग किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को मामले की जांच करनी चहिये। जो अध्यापक, प्राध्यापक अथवा कालिजों के प्रिंसीपल इस प्रकार की गतिविधियों में आ जाते है, उनका जनता में किसी प्रकार का आदर सत्कार नहीं रहता।

बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, परंतु देखना यह है कि इनका देश पर प्रभाव क्या हो रहा है। एक ओर तो आप कहते हैं कि शिक्षा में साम्प्रदायिकता नहीं होनी चाहिये। किसी प्रकार की राजनिति भी शिक्षा में नहीं आनी चाहिये। अतः मामलो की जांच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को करनी चाहिये। वैसे अनुदान उसे देने चाहिये, इसमें हम कोई रूकावट नहीं डालते। परंतु अनुदान देते समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये।

शिक्षा प्रचार के लिये विक्रम विश्वविद्यालय को 15000 रुपये का विशेष अनुदान दिया गया है। यह विश्वविद्यालय छः वर्ष पुराना है। अभी इसकी इमारत भी बन नहीं पाई। 20 लाख रुपया की सालाना अनुदान इसलिए दी गयी है कि विश्वविद्यालय अपनी इमारत बना सके। परन्तु सब कुछ समाप्त करके इन्दौर में विश्वविद्यालय आरम्भ करने का फैसला कर दिया गया। लगभग 30 मील की दूरी पर एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने का क्या लाभ है, उसकी क्या आवश्यकता है?

1961-62 और 1962-63 के वर्षों के आयोग के प्रतिवेदन कोई बहुत अच्छे नहीं है, यद्यपि बाह्य रूप से उन्हें बहुत ही चमकीले प्रकट करने का प्रयास किया गया है। दस, पंद्रह मिनिट में इसका क्या विश्लेषण किया जा सकता। मंत्रालय करोड़ो खर्च कर रहा है, परन्तु विक्रम तथा जबलपुर विश्वविद्यालयों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। करोड़ों का व्यय करने पर भी हमारा शिक्षा स्तर गिर रहा है और शिक्षा संस्थाओं में अपेक्षित सामान भी उपलब्ध नहीं है। जब तक शिक्षा का यही हाल रहेगा तब तक भावात्मक एकता, अथवा राष्ट्रीय एकता सम्भव नहीं है। परिवार पोषण शिक्षा में भी बढ़ रहा है जिसे रोका जाना चाहिये।

मैं दो चार शब्द पाठ्य पुस्तको के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। पाठ्य पुस्तकें केवल इस आधार पर निर्धारित नहीं की जानी चाहिये कि कुछ प्रोफेसर को उनके प्रकाशन के फलस्वरूप धन प्राप्त हो जायेगा। एक दोष यह भी है कि पुस्तकें हर बार बदल दी जाती है और कई कई महीनों तक लोगों को पुस्तकें नहीं मिलती। शिक्षा के माध्यम के बारे में भी अन्तिम रूप में निर्णय हो ही जाना चाहिये।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरुदासपुर) : देश में शिक्षा की स्थिति बहुत ही खराब है। जहां तक विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है इन्हें तीन श्रेणियों में विभाजन किया जा सकता है। वे इस प्रकार हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रिहायशी विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धक विश्वविद्यालय इत्यादि। मेरा निवेदन यह है यदि हमारे देश में तीन श्रेणियों के विश्वविद्यालय रहेंगे तो शिक्षा का लक्ष्य पनप नही सकता। अतः मेरा आग्रह यह है कि पुराना अधिनियम समाप्त होना चाहिए और देश में जो तीनों प्रकार के विश्वविद्यालय चल रहे हैं उन सब के साथ एक जसा व्यवहार ही होना चाहिये। और इस दिशा में उपबन्ध किया जाना चाहिये।

दिल्ली में प्राध्यापकों को जो वेतन मिलता है, वह अन्य स्थानों पर उपलब्ध नहीं है। सम्बध्द कालिजों के लगभग सभी अध्यापक परेशान है कि क्या किया जाय। उनके वेतन में कमी कर दी गई

[श्री दी० चं० शर्मा]

है। रिहायशी विश्वविद्यालयों, तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में मिलनेवाली सभी सुविधाएं सम्बद्ध विश्वविद्यालयों को प्राप्त होनी चाहियें। इस प्रकार के भेद भाव का कोई कारण दिखाई नहीं देता। और यह देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हमारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहा है।

छात्रवृत्तियां का प्रश्न भी इसी तरह का है। और इसे भी ठीक ढंग से नहीं लिया जा रहा। हमारे देश की जनसंख्या 47 करोड़ है और बहुसंख्य निर्धन ही है। परन्तु निर्धन योग्य छात्रों के लिए केवल 100 छात्रवृत्तियां निर्धारित की गयी है। यह तो बहुत ही कम है। । मेरा अनुरोध यह है कि छात्रवृत्तियां बढ़ाई जानी चाहिये। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जो भी धन दिया जाता है उसका मुख्य भाग छात्रों को मिलना चाहिये। यदि हमारे छात्र भूखे मरते रहे और आप इमारते बनाते रहे तो राष्ट्र को क्या लाभ होने वाला है। छात्रों की सहायता की जानी चाहिए।

श्री मलाइछामी (पेरियाकुलम) : कालिजों में छात्रों की संख्या तो बढ़ रही है, परन्तु वैसे शिक्षा का स्तर गिर रहा है। मेरा मत यह है कि व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का प्रायः अभाव होने के कारण ही विद्यार्थी शिक्षा के लिये कालिजों में चले जाते हैं। इस कारण कालिजों में काफी भीड़ हो जाती है। और इससे शिक्षा का स्तर कुछ बढ़ा नहीं।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों में उद्देश्यहीनता और अनुशासनहीनता का बड़ा भयंकर वातावरण पाया जाता है। चूंकि हमारे देश में मुख्य व्यवसाय कृषि है, अतः ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थीयों के हित में यह बात उत्तम है कि शिक्षा संस्थाओं में छुट्टियों उन दिनों में की जाएं जब खेती का मौसम होता है ताकि विद्यार्थियों को अपने मां बाप का हाथ बंटाने के साथ साथ उन बातों को कार्य रूप में लाने का भी अवसर मिले जिनको वे कालेजों में सीखते हैं। कालेजों में भीड़ कम करने के लिये पत्र व्यवहार पाठ्यक्रम तथा सायंकालिन कालेज चालू करने चाहिये। शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिये कि पढ़ लिख कर विद्यार्थी देश की अर्थ व्यवस्था को मजबूत बना सकें।

देश भर में प्रत्येक तालुक में एक तकनीकी स्कूल होना चाहिए। विश्वविद्यालयों में योग्य अध्यापकों की भर्ती तथा उनका नौकरी पर बनाये रखना तभी तभी संभव हो सकता है जब उन्हें पर्याप्त वेतन दिया जाये। कालेजों को संबंधित राज्य सरकार से वेतन क्रमों का स्थायी आधार पर पुनरीक्षण करने के लिये कहना चाहिये। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये विशेषकर स्नातकोतर स्तर पर, सहकारी अध्यापन प्रणाली अपनाई जाये। विश्वविद्यालय खोले जाय और योग्य शिक्षक लगाये जाय। मद्रास राज्य में प्रयोग के तौर पर विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में प्राप्त किये गये अंको के अतिरिक्त कक्षा में उसके कार्य के मूल्यांकन की प्रणाली आरम्भ की गई है। इसी प्रकार अन्य सभी राज्यों में भी परीक्षा प्रणाली में इसी प्रकार का सुधार किया जा सकता है।

विश्वविद्यालय शिक्षा देश के भावात्मक एकीकरण में सहायक होनी चाहिए। यह तभी संभव हो सकता है जब विभिन्न विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी तथा अध्यापक आते जाते रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब सबकी शिक्षा का माध्यम एक हो। त्रिभाषीय सूत्र प्रभावी रूप से लागू किया जाये और हिन्दी को देश की राष्ट्रभाषा बनाया जाये। मुझे इस बात का खेद है कि कई एक विश्वविद्यालयों में इन प्रश्नों पर गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं किया जाता। इस दिशा में सभी राज्यों को को प्रयास करना चाहिये।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्ली) : माननीय शिक्षा मंत्री के भाषण से मुझ में यह आशा बनी थी कि इस देश की शिक्षा का स्तर अब कुछ ऊंचा जायेगा। जिस गति से हम चल रहे हैं उससे यह आशा बनती दिखाई नहीं देती। यह भी खेद की बात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी हमने अपनी शिक्षा के लिये कोई नया रास्ता तलाश नहीं किया। वहीं अंग्रेजों के समय की परम्परायें लिए हुए हम चल

रहे हैं। हमारा गरीब देश है और हम सब लोगों के लिए अपने बच्चों को स्कूलों में भेजना सम्भव नहीं। यह काफी खर्चीला मामला होता है। प्राथमिक स्कूलों में, जब वर्ष का प्रारम्भ होता है तो बच्चों के लिए पुस्तकें इत्यादि खरीदने के लिए ही 25 अथवा 30 रुपये का खर्चा हो जाता है। जैसा कि मैंने पहिले भी कहा है कि शिक्षा देने का ढंग अभी तक पुराना ही है। सर्वत्र यह अनुभव किया जा रहा है कि आज की शिक्षा से छात्रों की प्रतिभा का विकास नहीं हो पाता। मेरा निवेदन यह है कि हमें अपनी शिक्षा का कुछ उद्देश्य निर्धारित करना चाहिये। ताकि विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त के बाद अपने उद्देश्य की प्राप्ति में लग जाय।

यह भी बात बड़े खेद की है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार घुस आया है। मद्रास में ऐसे उदाहरण सामने आये हैं जब कि विद्यार्थियों को दाखिल करवाने के लिये अभिभावकों को 300 से 400 रुपये तक घूस देनी पड़ी। कई बार इस तरह की राशि दान के रूप में ली जाती है, यद्यपि राशि का प्रयोग उस मतलब के लिये नहीं किया जाता जिसके लिए कि वह ली जाती है। 3000 विद्यार्थी होते हैं और दाखिल किया जाता है केवल 260 को। ऐसा लगता है कि नीलामी हो रही है। इसके अतिरिक्त यह भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो रुपया होस्टेलों और इमारतों को बनाने के लिए खर्च होता है उसमें से 50 प्रतिशत अंश गलत लोगों की जेबों में चला जाता है। ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं।

इस स्थिति में मेरा अनुरोध यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राशि का गलत प्रयोग न हो। शिक्षा का माध्यम बनाने के बारे में मेरा निवेदन यह है कि हिंदी अथवा प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के मामले पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। यदि नयी प्रणाली को कृत्रिम ढंग से अपेक्षित पाठ्य पुस्तकों इत्यादि के तैयार किये जाने के बिना चलाया गया तो परिणाम ठीक नहीं निकलेंगे। हम तो भावात्मक एकता की बात करते हैं, परन्तु एकता के स्थान पर दुःखदायक फूट के आधार न दिखाई देने लगे।

डा० सरोजिनी महिषी (धारवाड-उत्तर) : मैं आयोग के कार्य और माननीय मंत्री महोदय के प्रयासों की सराहना करती हूं। विश्वविद्यालयों से सम्बन्ध कालिजों की संख्या काफी बढ़ गयी है। इस पर भी देश की जनसंख्या का केवल 2.5 प्रतिशत भाग ही विश्वविद्यालय की शिक्षा का लाभ उठा सकता है। आयोग ने काफी सराहनीय कार्य किये हैं। टैगोर चेयरज़ का निर्माण किया है, गांधी भवन बनाये हैं और गोष्टियों की व्यवस्था की। 1961-62 के प्रतिवेदन में व्यावसायिक कालिजों का उल्लेख है। इन कालिजों में प्रवेश के लिये आवेदन पत्र बहुत संख्या में है। व्यावसायिक कालिजों की संख्या 589 हैं। मेरा निवेदन यह है कि व्यावसायिक कालेजों के शिक्षा स्तर, अध्यापकों के वेतनों आदि में जो विषमता है वह दूर की जानी चाहिये। किसी इंजीनियरी कालेज में काम करनेवाले उच्च योग्यता वाले अध्यापक को उतना वेतन नहीं मिलता जितना कि उतनी ही योग्यता वाले तकनीकी सलाहाकार को दूसरी जगह मिलता है। जब तक उनके वेतन एक समान नहीं किये जायेंगे तब तक व्यावसायिक संस्थाओं के लिये योग्य अध्यापकों का मिलना कठिन है। इस समय उच्च योग्यता प्राप्त व्यक्ति अध्यापक का कार्य तभी करता जब उसे कोई दूसरा रोजगार नहीं मिलता। ऐसा नहीं होना चाहिए।

विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कुछ गैर सरकारी संस्थायें बहुत अधिक प्रति व्यक्ति शुल्क लेती है। इसके परिणामस्वरूप केवल धनी लोग ही अपने बच्चों को इन संस्थाओं में शिक्षा दिला सकते हैं। जितनी शीघ्र इसका कोई हल हो सके उतना ही देश की व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले नवयुवकों के लिये हितकारी होगा। विविधीकरण अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि सभी विद्यार्थी कला अथवा वाणिज्य की शिक्षा नहीं लेंगे चाहे उनकी उन विषयों में रूचि हो या न हो।

[डा० सरोजिनी महिषी]

पाठ्यक्रमों में समानता होनी चाहिये। एक ही राज्य के अन्दर न तो पाठ्यक्रमों में एकरूपता है और न ही राज्य के दूसरे विश्वविद्यालयों में प्रवेश की उचित व्यवस्था है। कभी कभी एक राज्य का एक विश्वविद्यालय दूसरे विश्वविद्यालय की परीक्षा को मान्यता नहीं देता। आयोग इस बात का प्रयत्न करे कि समान परीक्षाओं को मान्यता दी जाये और कुछ भागों में एक ही पाठ्क्रमों के अपनाये जाने की और पर्याप्त ध्यान दिया जाये। यदि एक विश्वविद्यालय के छात्र को दूसरे विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल सकता तो भावात्मक एकता का क्या अर्थ रह जायेगा। मेरा आयोग से निवेदन है कि समान स्तरों की परीक्षाओं को मान्यता दे देनी चाहिए।

मुझे खेद है कि राज्य शिक्षा बोर्ड हमारी शिक्षा प्रणाली से पाश्चात्य झुकाव दूर करने में असफल रहा हैं। आजकल भी पूराना पश्चिमी तर्क-शास्त्र पढ़ाया जा रहा है जैसे कि हमारे देश में कोई अपना तर्क-शास्त्र न हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस बारे में विचार करना चाहिये। आजकल विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बहुत हो गई है। उड़ीसा का ही उदाहरण लीजीये। मैसूर में तो विद्यार्थियोंने राष्ट्रीय सम्पती को भी हानि पहुंचाई है। सामाजिक और आर्थिक समस्याएं विद्यार्थियों पर भी अपनी प्रतिक्रिया कर रही हैं। प्रशासनीय विषयों पर भी विचार किया जाना चाहिये। उच्च शिक्षा प्रणाली और शुल्क आदि में एक समानता होनी चाहिये। कुछ बार कई अवांछनीय तत्व इन विद्यार्थियों को भड़काते हैं। इसलिये केवल विद्यार्थियों को ही इस अनुशासनहीनता के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश और विदेश में यात्रा के लिये अनुदान देता है। एक अध्यापक को स्विटजरलैंड में एक विचार गोष्टी में भाग लेने के लिये कुछ सहायता दी गई परन्तु उसके लिये सरकार ने यह शर्त्त लगाई कि उसे स्विट्जरलैंड से इस बारे में प्राप्त अनुदान को भारत सरकार को लौटाना पड़ेगा। इस प्रकार की अनावश्यकता कठिनाईयां पैदा की जाती हैं। इन कठिनाईयों को दूर किया जाना चाहिये। अन्त में मैं इस आयोग और मंत्री महोदय को विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा सुविधायें देने के लिये बधाई देती हूं।

श्री महेष दत्त मिश्र (खंडवा) : शिक्षा के बारे में जो विचार देश में चल रहा है मैं उस पर कुछ बोलूंगा। मैं शिक्षाविशारद पहले हूं और राजनितिज्ञ बाद में। राजनीति के क्षेत्र में हमने उन ऊंचे आदर्शों को तिलांजली दे दी है जो हमें राष्ट्रपिता से मिले थे। इसलिये मैं राजनैतिक विषय के बारे में नहीं बोलूंगा। मैं यह चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिज्ञों द्वारा कोई भी हस्तक्षेप न हो। अध्यापकों और विद्यार्थियों में नैराश्य और अरुचि तथा अनुशासन हीनता का यही एक कारण है। और इसी कारण ही विद्यालयों का प्रशासन भली प्रकार नहीं चलाया जा सकता है। सत्तारूढ दल अपनी इच्छा के अनुसार विश्वविद्यालयों में अध्यापकों, उपकुलपतियों और प्रधानाचार्यों की नियुक्ति करता है। इस प्रकार का हस्तक्षेप बन्द होना चाहिये। विरोधी दल के जो राजनीतिज्ञ हैं वे विद्यालयों आदि को ठीक तरह से चलाने में इस प्रकार हस्तक्षेप करते हैं कि वे विद्यार्थियों के विचारों को विकृत करते हैं। विद्यार्थियों को विद्यालय या पाठशाला की सीमा में राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिये। यदि ऐसा किया जाये पो पाठशाला या विद्यालय के प्रशासन में कोई भी कठिनाई उत्पन्न नहीं हो सकती। पाठशाला से बाहर विद्यार्थि भले ही राजनीति में भाग लें। जबलपुर में विद्यार्थियों द्वारा हड़ताल और दंगों का कारण उन्हें राजनीतिज्ञो द्वारा भडकाया जाना है। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वे शिक्षा के विषय में काफी सावधान रहें। यदि ऐसा नही किया गया और विद्यार्थीयों को भड़काया गया तो इसका कोई उपाय नहीं रह जायेगा और हमारी संस्कृति को हानि पहुंचेगी तथा हम अपने आदर्श का पालन नहीं कर सकेंगे। और हम अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में असफल रहेंगे। इस देश में कोई भी गुरु नहीं रह जायेगा। यदि कोई गुरू आप को मिल भी गया तो उसे आप नियुक्त नहीं करेंगे क्योंकि आप उस के स्थान में किसी अन्य व्यक्ति को, जिसमें आपका हित हो, नियुक्त करना चाहेंगे। ऐसी दशा में हमें ऐसे कुशल और योग्य व्यक्ति नहीं मिलेंगे जो इस देश में ज्ञान की वृद्धि में योग दे सकें।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Mr. Deputy Speaker, I am in full agreement with the observation made by Shri Chagla that the language question is a delicate one and it should be kept away from politics. But I also want that any person holding the portfolio of education should not thrust his personnel opinion on the Ministry of Education and the country in disregard of the Government decisions. On his return from Russia, Shri Chagla observed that like our country they also have many languages and education is imparted through the medium of those very languages but it is compulsory to learn Russian in the university Stage. I thought that the country would benefit from this experience of our Education Minister but his speeches in Gujarat belied my hopes. He did not agree with the language policy of that State. The Prime Minister had also paid a visit to Ahmedabad and congratulated the Government of Gujarat on its language policy. Another minister of Cabinet rank, Shrimati Indira Gandhi also went there and gave a different statement in this connection. How can the language question be kept above politics when three Ministers of the same Government give three different Statements.

Shri Chagla observed in Lok Sabha sometime back that the Ministry of Education was not at all going away from the Governments education policy. The former Education Minister, Dr. Shrimali announced the Governments education policy in the course of his speech on the Report of the University Grants Commission on 20th June, 1962. He told that it had been decided to adopt regional languages as the medium of instruction in the Universities and that this point had been made clear by the Radhakrishnan Commission in 1950. He further added that the Government of India had accepted that recommendation, and the suggestion to retain English until Hindi and other regional languages developed upto the required standard was not psychologically correct. He supplemented his statement by saying that National Integration Conference had also expressed its desire to adopt regional languages as the medium of instruction. This is the policy announced by the former Education Minister, Dr. Shrimali. When this education policy has already been announced why should a responsible Minister of the Government now show his disapproval of the education policy being followed by a State Government. Our Education Minister, Shri Chagla is one of the leading jurists of the Country but I am afraid I cannot pay him compliments as an educationist. In the field of education we can admire the vice-chancellors and those educationists who have dedicated their lives for the cause of education. Dr. Sampurnanand who is a distinguished educationist said in a speech in Udaipur that it was against national unity and prestige to continue English in the country in spite of the fact that we have many rich languages of our own. The Madhya Pradesh Education Minister, Dr. Shambhu Dayal Sharma said during a seminar on Kalidasa that English as a medium of instruction after independence has retarded the progress in the country and foreign language is a gulf between the common man and the educated one. This is what Pandit Nehru also observed very often. We have to do away with this gulf. The Vice-Chancellor of Bhagalpur University has also maintained that the Standard of English in the country is fast deteriorating and causing hinderance in the sphere of education. He has quoted figures in support of his contention. I am not advocating the cause of one particular language here. I am only emphasising that the decision to adopt regional languages as medium of instruction in the universities should be implemented.

Shri Chagla has not included regional languages experts in the Education Commission set up by the Government. He has preferred only such persons who

[Shri Prakash Vir Shastri]

have revived high education through the medium of English. I am not a prophet but I can say this with confidence that his Education Commission will recommend the continuance of English as a medium of higher education for an indefinite period.

Ministry of Education should lay more emphasis on original writing than on translation work. Some steps may also be taken against the universities which have become teaching shops. It is well-known how these teaching shops exploit the students. Our Constitution has provided that Hindi should be written in Devnagri script. But in Aligarh Muslim University, Hindi is being taught through the the medium of Roman script. It is sad that Education Minister has not looked into this matter. I am sure that the hon. Minister will consider these suggestions and take some decisions in this respect.

Shri Sidheshwar Prasad (Nalanda) : Mr. Deputy Speaker, in the very beginning I would draw the attention of the hon. Minister to the fact that we are considering two Reports of the University Grants Commission at the same time. This is very sad. The Reports should be considered separately. For building a nation it is necessary to have a national education policy. There is no doubt that for building a nation articles such as farm products and industrial products are also necessary but what is most necessary is mental development, and obviously this development takes place in educational institutions. Until the Government change its basic policy and attitude, and attach priority to education we may not be able to succeed in our efforts. Education should not suffer by any cuts in the State or the Central Budgets.

The University Grants Commission Report should also give the State-wise figures regarding failure and success of the students who appear in the examinations conducted by the universities of those States. The figures showing the students studying in the colleges per one million people should also be there in the report. These figures should be compared with those of other countries. In U.S.A. there are 16,670 university students per one million people but in India there are only 2,790. Unless we expand education, we cannot get the number of educated people required for the development of this country. The figures showing university-wise expenditure per student should also be given in this report. At present different conditions prevail in central Universities, State Universities and the other affiliated colleges. Although 85 per cent of the students study in the affiliated colleges yet their plight is appalling. Efforts should be made to improve the conditions in these colleges. It has been provided in the Constitution that the Central Government would be the coordinator in the field of education with a view to raise its standard. But the University Grants Commission has not achieved any success in this field. If we look at the figures of failures in examination as compared to those of last ten years we can conclude that the standard has deteriorated in every field of education—Engineering, Science, Art and Medicine. One of the reasons for this deterioration is less grant given to University Grants Commission. The grant should be increased. The Commission should be reorganised. At present there is only one whole-time member in university Grants Commission and this number should be raised to five. The Minister of Education should strive to include education in the concurrent list. Three years degree course has not so far been adopted by all the Universities. This should be looked into. We should pay more respect to the teachers. If pay is the yardstick of social prestige then the pay scales of the teachers should be increased. There should be the same pay scale for

the university teachers as well as for the teachers of the affiliated colleges. The other important point I would like to touch is the students-teacher ratio. This ratio has gone from bad to worse during the last four years and it appears that the University Grants Commission has been divested of any right to suggest improvement in this field. Unless some measures are adopted in this respect life-long relations between students and teachers cannot be established. Finally I would draw the attention of the Education Minister to the medium of instruction. It is acknowledged by the educationists all over the world that the mother tongue of the students should be adopted as medium of instruction. The Minister of Education is of the opinion that so far Hindi is not a sufficiently developed language as such it cannot be accepted as medium of instruction. He is afraid that if higher education is imparted through the medium of regional languages the students from one region will not be able to understand the students of the other region. In this connection I would like to submit that it was the task of the Ministry of Education to develop some Indian language which could have been conducive in our inter-State relations. But they have not done anything during the last seventeen years. When Hindi was going to be adopted as an official language from 1965, why did the Government not take the necessary steps in this respect. Democracy can be stable in our country only when we understand and adopt the language of the people. To create this feeling we will have to adopt one language as the medium of higher education. This will culminate in national unity and will create such atmosphere as is found in other developed and civilised countries.

श्री रवीन्द्र वर्मा (तिरुवल्ला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इसके कार्य के लिये बधाई देता हूं, शिक्षा संस्थाओं तथा शिक्षा प्राप्त करने को सुविधाओं में जो वृद्धि हुई है उसको देखकर इस बात का निसंदेह दावा किया जा सकता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सामने आने वाली समस्यों के महत्व तथा विभिन्नता को समझने तथा कुछ सीमा तक हल करने में भी सफल हुआ है।

उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर हर इच्छुक व्यक्ति को प्रदान करने का लक्ष्य संस्थाओं की विभिन्नता, भवनो, प्रयोगशालाओं पुस्तकालयों आदि की संख्या में भारी वृद्धि तथा सुयोग्य एवं निष्ठावान अध्यापकों के बिना प्राप्त करना सम्भव नहीं हो सकता। उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिये अवसर प्रदान करने तथा स्तर को बनाये रखने व उन्नत करने की समस्या को पृथक नही किया जा सकता है। विश्वविद्यालय स्तर पर भारी दबाव को रोकने के लिये प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों से शैक्षणिक अवसरों को शिल्पी व्यापारिक, औद्योगिक, तथा बहु-शिल्पी विद्यालयों तथा विश्वविद्यालय स्तर पर व्यावसायिक महाविद्यालयों की शाखाओं मे बांट देना चाहिये। इससे हमारे आदर्शों को बनाये रखना सम्भव होगा तथा विद्यार्थियों को अपने अध्ययन के क्षेत्र में सीधी प्रगति कर सकें।

[Dr. Sarojini Mahishi in chair]

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन]

इस प्रकार विश्वविद्यालयों में वे ही पहुंच सकेंगे जिनकी अध्ययन व अनुसंधान के लिये विशेष योग्यता हो और उसके लिये इच्छा भी हो। हम अपने अल्पसाधनों का सही उपयोग कर सकेंगे तथा साथ ही अध्यापक व विद्यार्थियों के परस्पर सम्बन्धो में सुधार होगा तथा अध्यापकों के सम्मान में भी वृद्धि होगी।

सभापति महोदया, हमारे देश में कालेजों की कमी है इस लिये बहुतसी गैरे-सरकारी संस्थाओं ने नये कालेज खोलने आरम्भ कर दीया हैं। हम इस का स्वागत करते हैं परन्तु हमें भय इस बात का है कि कहीं उन में साम्प्रदायिका न आ जाये। इस के अतिरिक्त बहुतसी संस्थायें प्रवेश तब देती हैं जब उनको पर्याप्त राशि का दान मिल जाता है। वे अपने अध्यापकों को उतना बेतन नहीं देती जितना वे अपने हिसाब में दिखाती हैं। इस लिये यह एक गम्भीर विषय बन जाता है। उन्हीं

[श्री रवीन्द्र वर्मा]

कारणों को देखते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार उन संस्थाओं को किसी प्रकार की सहायता नहीं देनी चाहिये। मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूं जब हमारे गृह मंत्री अपनी सदाचार नीति से प्रेरित हो कर इन संस्थाओं को यह चेतावनी दे देंगे कि वे इन शिक्षा के मन्दिरों को लाभ अर्जन करने की संस्थायें नहीं बना सकते।

माननीय मंत्री कल ही बता रहे थे कि उच्चतर शिक्षा के स्तर में बहुत कमी आ गई है। मेरे विचार से इस के कारण हैं–विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि, पूर्व-विश्वविद्यालय स्तर पर ठीक प्रकार से पढाई का न होना तथा योग्य व्यक्तियों का असैनिक सेवाओं में अधिक वेतन के आकर्षण के कारण चले जाने से शिक्षा व्यवसाय में न रहना इत्यादि। इस लिये मैं यह जानना चाहता हूं कि इस में सुधार करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने तथा मंत्री महोदय ने क्या सुझाव निकाले हैं। जिन लगभग 17 समितियों की नियुक्ति का निर्देश कई बार आया है उन्होंने शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिये क्या सुझाव दिये हैं या कि वे केवल नाम मात्र की ही समितियां बनाई गई हैं।

सभापति महोदया, अब मैं उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में जो अनुशासनहीनता है उस पर कुछ कहुंगा। इस का कुप्रभाव हमारी भावी सन्तान पर पड़ेगा, इस लिये इस पर बहुत ध्यान दिया जाना चाहिये था परन्तु आयोग ने इस समस्या को हल करने के लिये कोई तरीका नहीं निकाला है। इसलिये वह बधाई की पात्र नहीं है। जब विश्वविद्यालय में बड़े बड़े पद योग्यता के आधारपर नही भरे जाते हैं, जब चरित्रहीन अध्यापकों को नियुक्ति कर दिया जाता है, जब विद्यार्थियों और अध्यापको में इतना अनुपात होता है कि अध्यापक ठीक प्रकार से विद्यार्थियों को पढ़ा नहीं सकते, जब विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालायों की सुविधायें अपर्याप्त होती हैं, तो यह आश्चर्य की बात नहीं कि विद्यार्थी अपने रोष को निकालने के लिये अनुशासनहीनता पर तुट जाते हैं।

अब मैं शिक्षा के माध्यम के प्रश्न को लेता हूं। इस में कोई सन्देह नहीं कि माध्यम में परिवर्तन करने से उच्च शिक्षा के स्तर पर प्रभाव पड़ेगा परन्तु इसका हल क्या होगा? क्या विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी में या प्रादेशिक भाषा में शिक्षा दी जायेगी? इस लिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री, जो उन्होंने गुजरात में वक्तव्य दिया था तथा उस पर जो आलोचना की गई थी, उस पर प्रकाश डालेंगे। हमें कहा जाता है कि विश्वविद्यालय स्तर पर प्रादेशिक या हिन्दी का माध्यम होना चाहिये परन्तु मुझे सन्देह है कि ऐसा करने से शिक्षा के स्तर में कोई सुधार होगा। सभापति महोदया मैं उन में से हूं जो प्रादेशिक या हिन्दी भाषाका अत्यधिक समर्थन करते हैं परन्तु कोई भी शिक्षा के स्तर में पतन नहीं देख सकता। ऐसे युग में जब उन्नति के सभी क्षेत्र शिक्षा पर निर्भर करते हैं सभी यहीं चाहेंगे कि शिक्षा का उच्च स्तर स्थापित किया जाये। जो इस बात के समर्थक हैं कि माध्यम में शीघ्र ही परिवर्तन आना चाहिये वे शायद यह सोचते हैं कि परिवर्तन के बिना उन्नति नही हो सकती तथा जो यह कहते हैं कि धीरे धीरे परवर्तन होना चाहिये वे इस लिये नहीं कहते कि उन में देश भक्ति नहीं है परन्तु इस लिये कि धीरे धीरे परिवर्तन होने से अधिक उन्नति होगी। इस लिये किसी पर यह आरोप लगाना कि उसमें देश भक्ति की भावना नहीं है उचित नही है।

अन्त में मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सम्बन्धित प्रशासनिक प्रश्नों पर आता हूं। लोक-लेखा समिति ने कई बार अपने प्रतिवेदन में आयोग को प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने के लिये कहा है। अधिनियम में दी गई शक्ति से अधिक दान देने के कई मामले आयोग के ध्यान में लाये गये हैं। 1962 के अन्त तक 40 करोड़ में से 31 करोड़ रुपयों की सहायक अनुदाने जो आयोग ने विभिन्न विश्व-विद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को दी थी उन के उपयोग के प्रमाणपत्र-लेखापरीक्षकों को नहीं मिले है। इस तथ्य की ओर सभा का ध्यान पहले ही आकर्षित किया जा चुका है। लोक-लेखा समिति के प्रतिवेदनों से यह भी पता चलता है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आयोग को उन परियोजनाओं का अनुमोदन करने के लिये कह रहें हैं जिन को वे पहले स्वयं अस्वीकार कर चुकें हैं। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय तथा आयोग इन मामलों पर विचार करेंगे।

Shrimati Jayaben Shah (Amreli) : Madam, I am grateful that I have been given an opportunity to express my views on the University Grants Commission's report. I am happy to read from the report that much has been done in the field of education. New schemes have been chalked out, there has been development of education and the number of students has increased to a large extent.

In this connection I would like to draw the attention of the hon. Minister to the fact that the future of the students is not very bright. Though their number has increased but there will not be many opportunities for them. Most of the students go in for the arts side because there is no alternative programme for them. I don't think there is any use of higher education in any subject apart from technological ones. Therefore higher education in any other subject means wastage of time and money of the students. Then there are subjects like sociology but students do not take interest in them. Therefore it is a matter which requires serious consideration of the Government.

As I come from Gujarat, I would like to express the view points of the people of that State. As far as the recommendations regarding national policy of education of Kher Commission and the Parliamentary Committee appointed under the Chairmanship of late Pandit Govind Ballabh Pant are concerned I think they were best translated into practice in Gujarat alone.

English was the official language of the country so far. But there was historical background behind it. Now when we have achieved independence we should not keep English for long. When I say this, that does not mean that I am against English language or that language is not good. What I mean to say is this that it should be learnt only by those who are interested in it.

I fail to understand why the question of medium of instruction has come up again when a final decision has already been taken on it.. It is a basic principle that the student grasp easily if education is imparted to them in their own language. That is why in Russia and in many other countries the medium of instruction is always their own language. We have not been able to produce people of high intellectual calibre in large numbers because our medium of instruction has been English so far. In order to get genious, therefore, we should declare a clear cut policy regarding the medium of instruction. I would therefore ask the hon. Minister not to revise the policy in this connection and stick to the decision already taken.

There has not been shortage of text books in Gujarat as about two thousands of them have already been published there. They can also help the Central Government in this connection.

The standard of education has gone down because large number of teaching institutions have come up which have not been planned properly. Moreover, the standard of education of the students of rural areas cannot be very high because they don't have any background. While the standard of education of the children of urban areas is bound to be higher because of environments. It is for the Government to consider as to who should be educated and with what object he is to be given education.

Our primary teachers should also get civil education in training.

The question of link language should not arise in our country. It is only the Hindi language which can serve as the link language. No other language can replace Hindi howsoever important it may be.

Shri B. P. Maurya : The fact that the Reports of the University Grants Commission for the years 1961-62 and 1962-63 have been brought forward together for consideration, after so much lapse of time betrays on attitude of indifference adopted by Government towards education. I am surprised that the Government have totally ignored Art. 45 of the Directive Principles of State Policy which says that the State shall endeavour to provide, within ten years for free and compulsory education to all children. This article has been neglected due to political considerations by the Government. The Commission in its Report for the year 1962-63 at page 3, says :

> "The efforts of the Commission to maintain and improve the standards of higher education have been partly circumscribed by the financial resources available. The actual needs of universities and colleges for improvement and development in the Third Plan period happen to be of much larger magnitude than the provision of Rs. 82 crores in the Plan of which Rs. 37 crores have been allocated to the University Grants Commission. This is because of the increasing needs for development of science education, provision of adequate salary scales to teachers, scholarships, fellowships etc."

In the words of our late Prime Minister the strength of a nation is not to be measured in terms of its material welfare but it should be measured in terms of the character of its students who are the builders of the nation.

The standard of our education is slowly going down and our Education Minister has himself admitted this when he said, "If we are honest with ourselves, we must admit that the standards of higher education have been going down. The Education Minister has attributed the deterioration in our education standards to the extremely low pay-scales given to our teachers. He says, "I am horrified at the salaries that our Primary teachers are getting." We want to have eminent educationists as teachers, professors, readers etc. and at the same time we are paying them so poorly. It is painful to note that we are giving Rs. 400 per month to a professor of Law whereas the clerk of a lawyer gets better emoluments than this. The salary of the Dean of the faculty of Law is not a fraction of the income of an outstanding lawyer. This is a sorry state of affairs. The second point founded by the Minister is the mode of examinations which he does not approve of. I differ with him here. The real fact is that the number of teachers is not increasing in the same proportion as the number of students. While speaking about the following standards of our education the Minister said something very strange. He seeks to improve the standards of our education by introducing correspondence courses and evening and morning classes. These innovations are not going to establish contacts between the teachers and the taught. The ratio between the teachers and the taught should in no case be more than 1:10.

In this connection I would also like to suggest that Government Servants should not be appointed as vice Chancellors. It is a sheer chance that a good Government servant proves to be a good teacher. This tendency should be curbed and the salaries of teachers should be enhanced.

There should be no discrimination in the matter of grant of funds to the Universities. The Aligarh and Banaras Universities are being given block grants amounting to Rs. 12 lakhs and 72 lakhs respectively.

No awards should be made on the basis of Caste. We have to do away with the evil of education based on casteism.

Agriculture should now be given a prominent place in the system of our education. Agricultural Centres should be opened in the villages.

In the end I would read out a quotation about the reservation of Seats:

'The Commission has considered the question of reservation of seats for scheduled castes and tribes and backward classes. We are of the view that it would be academically undesirable to have any kind of reservation of seats for the purpose of admission to institutions of higher learning. We, however, realise that in terms of the principles enunciated in our Constitution and with the reference to the particular requirements of the Country, special arrangements may have to be made to ensure admissions to institutions of higher learning of persons who suffer from social and economic handicaps. All Universities and colleges have necessarily to adopt some principles of selection in admitting the number of students for whom they can provide facilities for higher education and research. Universities are the best judges in determining the number of admissions. We have no doubt that this ultimate right of selection should vest in the universities themselves, but it would, of course, be necessary for the universities to take note of any special principle laid down by the Constitution of India, and consistently with the maintenance of standards to allow special consideration to the members of scheduled castes etc. The provision of seats in universities and colleges for particular courses of study, and the determination of places in the humanities and social sciences and in professional course, will have to be mde by universities themselves with reference to the needs of our developing economy. We believe that it would be a violation of the essential character of university education to determine admission to universities and colleges only on the basis of religion, caste, community or regional consideration''.

With all earnestness at my Command I would request that more and more seats should be reserved, for the students belonging to scheduled castes and backward classes, in our Colleges and Unversities. Out of every six students there should be one Harijan student on roll. I want no political concession. Reservation in services should be abolished but in the sphere of education maximum seats should be reserved for them.

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करुंगा कि वह पिछले 17 वर्षों से हुए शिक्षा के विकास, विशेषकर उच्चतर शिक्षा के विकास की ओर ध्यान दें। इस प्रकार देश के विभिन्न भागों में तुलना करने से उन को पता चलेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में केवल अराजकता ही अराजकता है जिस के कारण बालकों और बलिकाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

तीन-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पिछले प्रतिवेदन के बादसे चालू हुआ था। दो आयोग बनाये गये थे। एक था मुदालियार आयोग और दूसरा था राधाकृष्णन् आयोग। दोनों आयोगों ने दो भिन्न सुझाव दिये थे। एक ग्यारह वर्ष के पाठ्यक्रम का था और दूसरा बारा वर्ष के पाठ्यक्रम का। अन्ततोगत्वा हमने ग्यारह वर्ष के पाठ्यक्रम वाला सुझाव स्वीकार कर लिया।

परन्तु यह सुझाव सभी राज्यों में लागू नहीं हो पाया। उदाहरणत: उत्तर प्रदेश ने, मुझे जहां तक ज्ञान है, इसे स्वीकार नही किया। इसका परिणाम क्या होता है। हानि विद्यार्थियों को उठानी पड़ती है। वे एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा सकते। इसके अतिरिक्त जिन राज्यों ने यह ग्यारह वर्ष वाला स्कूल तथा तीन वर्ष वाला कालेज का पाठ्यक्रम अपना भी लिया है वहां पर स्कूल और कालेज में समायोजन ठीक नहीं है तया विश्वविद्यालयों के प्रशासकों द्वारा लागू किये गये विनियमों का विद्यार्थियों को पालन करना पड़ता है जिन का वास्तव में प्रयोग करना असम्भव होता है। मेरे सम्मुख विद्यार्थियों का जो चित्र है उससे उनकी मानसिक और परिक्षा, पाठ्य-पुस्तक, वृत्ती आदि सम्बन्धी अनेक कठिनाइयां

[श्री च० का० भट्टाचार्य]

दृष्टिगत होती है । समझ में नहीं आता कि एक आयोग के शीघ्र बाद में दूसरे आयोग की नियुक्ति के परिणाम-स्वरुप शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न क्रिया-प्रतिक्रिया हमें किस ओर ले जायेगी ।

विश्वविद्यालय ऐसा पौधा है जो धीरे धीरे बढ़ता है । जबकि कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम में पहिले लगभग पचास पचास वर्षों के अन्तर पर दो संशोधन किये गये अब एक ओर संशोधन करने का विचार है यद्यपि कुछ वर्ष पूर्व पारित संशोधनों को क्रियासिक-रुप नहीं दिया जा सका है ।

शिक्षा के क्षेत्र में अराजकता फैली हुई है । एक ओर तो संसद में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की कार्य-परिषद् को सम्पूर्ण अधिकार देने के लिये एक संशोधन रखा गया है तो दूसरी ओर कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करके विश्वविद्यालय को प्राप्त सम्पूर्ण अधिकारों को कम किया जा रहा है । इस प्रकार केन्द्र तथा राज्य एक दूसरे से विमुख हैं । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हुं कि वे संशोधन करने के प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार करें ।

मैं आशा करता हूं कि शिक्षा आयोग दो वर्ष की निश्चित अवधि में अपना प्रतिवेदन दे देगा । इसलिये मेरे विचार से वर्तमान अधिनियमो में इस समय कोई संशोधन नहीं करने चाहिये क्योंकि आयोग की सिफारिशो के अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयों की शिक्षा-पद्धति में फिर दोबारा संशोधन करना पड़ेगा ।

जैसा कि मंत्री महोदय जानतें हैं कि विश्वविद्यालयों में न केवल शिक्षा पाठ्य-क्रमों के मामले में बल्कि शैक्षिक प्रशासन में भी अनिश्चितता है । इस अवस्था को प्राप्त विद्यार्थी यह नहीं समझ पाते कि जिस उदाहरण का अनूसरण करें और क्षुब्ध हो जातें है ।

मैं दूसरा उदाहरण आयु सीमा-बन्धन का दूंगा । मैं नहीं समझ पाता कि शिक्षा अधिकारी क्यों तो बारबार आयु पर रोक लगाते है और फिर उसमें छूट देते हैं । कलकत्ता विश्वविद्यालय का मुझे अनुभव है । वहां पहिले आयु पर दो उप-कुलपतियों के कार्यकाल में कोई रोक नहीं थी । इसके बाद रोक लगा दी गई थी लेकिन फिर हटा ली गई । हर स्थिति में बंगाल में देदीप्यमान विद्वान् तथा नेता उत्पन्न हुए । हमें इस प्रश्न पर निर्णय कर लेना चाहिये कि आयु सीमा-बन्धन होगा या नहीं और भारत के सभी विश्वविद्यालय में एक सिद्धांत को लागू करना चाहिए ।

पाठ्य-क्रमों और शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में मैं शिक्षा मंत्री से सावधानी व सतर्कता से कार्य करने के लिये कहूंगा और वे ऐसे कदम न उठाये जिससे विभिन्न राज्यों में भाषात्मक पृथक्करण हो । जहां अंग्रेजी शासन की बुराईयों को छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिये वहां उनकी दी हुई एकीकृत न्यायपालिका प्रशासनीक सेवा तथा वैसे ही नागरिक व अपराधी कानूनी इन तीन अच्छी बातों को अपना लेना चाहिए ।

हमें अध्यापकों के वेतन तथा अन्य बातों पर अधिक चिन्तित नहीं होना चाहिए । हमे फ्रांस के प्रसिद्ध नोबल पुरस्कार-विजेता क्यूरी दम्पति तथा सर सी० वी० रमन से शिक्षा लेनी चाहिये जिन्होने अभावग्रस्त स्थिति व अकिंचन सुविधायें होने पर भी नोबेल पुरस्कार जीता । इस विषय में हमें उद्विग्न नहीं होना चाहिये ।

श्री बासप्पा (तिपतुर) : जब हम विश्वविद्याल अनुदान आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा कर रहें है तो इस ओर भी ध्यान देना होगा कि शिक्षा मंत्रालय आयोग के उचित रुप से क्या कार्य कर रहा है । मंत्री महोदय को शिक्षा की वर्तमान अराजकता की स्थिति से, जिसका उल्लेख पूर्व वक्ता ने किया, एक नये क्षितिज की ओर ले जाना हैं जहां लोग प्रसन्न रहें ।

हमें बड़ी समस्याओं के हल करने पर विचार करना है । यह प्रसन्नता की बात है कि उन्नत अध्ययन के लिये केन्द्रों की स्थापना की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है और आयोग विज्ञान-शिक्षा,

योगशालाओं के सामान आदि मामलों शत-प्रतिशत अनुदान देने को तैयार है। शिक्षा का गुणात्मक तथा परिमाणात्मक प्रसार एक साथ होना चाहिए।

[उपाध्यक्ष-महोदय पीठासीन हुए]

Mr. Deputy speaker in the Chair.

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का कारण यह है कि वे विश्व-विद्यालय के कैम्पस से बाहर रहते हैं। आक्सफर्ड तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों की तरह कैम्पस से बाहर रहने वाले विद्यार्थियों को नियंत्रण में रखने के लिये कड़ी निगरानी रखनी चाहिये तथा अन्य उपाय करने चाहिये।

हिन्दी को देश में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करना है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं 2,000 वर्ष पुरानी बहुमूल्य साहित्य-पूर्ण प्रादेशिक भाषाओं की अवहेलना की जाये। श्री एन्थनी की तरह अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं की भर्त्सना की चरम सीमा को भी पहुंचना उचित नहीं। मैं अनुरोध करूंगा कि अहिन्दी भाषी राज्यों को ध्यान में रखकर हिन्दी का धीरे धीरे प्रसार करना चाहिये और ऐसे प्रदेशों में हिन्दी के विकास और विस्तार के लिये अधिक धन देना चाहिये।

विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा में अपव्यय को रोकना चाहिए तथा विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा अनुसंधान संस्थाओं के बीच अधिक सहयोग होना चाहिये।

कृषि-विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में मैं इतना ही कहूंगा कि कृषि-स्नातकों पर प्रशासनिक अधि-कारियों को प्रभुत्व नहीं जमाना चाहिये और उन्हें सम्मानित स्थान मिलना चाहिये।

मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय प्रतिव्यक्ति-कर तथा उपहार प्रणाली पर उचित नियंत्रण रखेंगे जिससे कि निर्धन विद्यार्थियों को भी उच्च शिक्षा का अवसर प्राप्त हो।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : माननीय मंत्री महोदय ने जिस ढंग से अपने कर्तव्य को निभाना व उत्तरदायित्व को सम्भालना प्रारम्भ किया है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। दिखाऊ समि-तियों को समाप्त करके मंत्री महोदय ने अपनी कुशलता तथा कार्य में दत्तचित होने का परिचय दिया है। अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भी उन्होंने भारत के पक्ष की वकालत कर यह प्रमाणित कर लिया कि वे उच्च श्रेणी के राजनियिक हैं। मुझे आशा है और विश्वास है कि उनके सेवा निवृत्ति होने तक भारत शिक्षा का आभार अपने ध्येय की ओर असन्दिग्ध तथा निरापद प्रगति के सिद्धांतो पर स्थापित हो जायेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक ही ऐसी केन्द्रीय संस्था है जो विश्वविद्यायलयों के विद्या-र्थियों में राष्ट्रीय एकीकरण करके मानवता लाभदायक तथा सच्ची सेवा कर सकती है। विश्व-विद्यालयों से निकलने वाले नवयुवकों में प्रथम तथा अन्तिम भावना भारतीय होने की होनी चाहिये। आयोग की कार्यशीलता का लक्ष्य विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकीकरण लाना होना चाहिये।

शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिये आयोग ने जो कदम उठाये हैं मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन हमें पुराने काल के शिक्षा शास्त्रियों के निर्देश की ओर भी ध्यान देना चाहिए जिसका उल्लेख संस्कृत ग्रन्थों में है।

हमें भारत में महात्मा गांधी की महान् आत्मा वाले भारतीय बनाने चाहिये। हमारे युवकों और युवतियों के चित्र में संस्कृत के महान लेखक, कवि व संत भर्तृहरि द्वारा परिभाषित विशेषतायें बैठानी चाहिये। हमें पुराना वैभव पुनः प्राप्त करना चाहिए जिससे कि भारत में फिर से स्नातक शिक्षा ग्रहण करने आये और भारतीयों को उच्च शिक्षा के लिये विदेश न जाना पड़े तथा भारत फिर से महात्माओं का राष्ट्र बन जाय।

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I would like to invite the attention of this House to the Maritime Law which has not so far been framed in our Country. We follow the course of the British Maritime Law whenever anything relating to this Law comes up in Bombay, Calcutta and Madras. The Hindu University propose to introduce a course in the Maritime Law and I hope the Education Minister will accord necessary permission to this effect.

The other point for consideration is the establishment of a Maritime Engineering College in India. The Shipping Capacity in our Country, at present, is 13 laks of tonnes which would be raised to 40 laks of tonnes during the Forth Plan. But we have no Marine Engineering College in our Country to impart training or education on this subject to our personnels with the exception of two very small institutes having a limited syllabus, at Dufferin and Calcutta which award Diploma only for this course.

In view of our developing Shipping Capacity, it absolutely necessary to start two Degree Colleges of Marine Engineering in India, for we have to requisition the Services of Foreign Engineers, Masters and Technicians.

Cochine and Vishakhapatnam are the most suitable venues for starting these Engineering Colleges where there are shipyards also. I hope the Education Minister will accord necessary permission to the Andhra University which is prepared to open such Colleges.

So far as Maritime Law is concerned, it may be introduced as an optional subject in the Universities of Bombay, Calcutta and Madras where shipping trade facilities are available.

Shri J. P. Jyotishi (Sagar) : Mr. Deputy Speaker, Sir, we see that there is lack of discipline, interest and industriousness among students receiving education in the Universities today. It is often pleaded that the pay scales of College teachers should be raised. But I fail to understand as to who may be held responsible for producing such University or College students as are often found guitly of sabotages in various parts of our Country. I doubt whether the University Grants Commission deserves any commendable remarks. The education given to a University Student should be so good, sound, standardised and disciplined that he may automatically realise a sense of responsibility as a good citizen to dedicate himself to the cause of the nation and for such other purposes as development and regeneration of the Country. The UGC should give full consideration to this problem of modern education and take steps so as to devise and implement new educational system and schemes.

Apart from this there is deficiency in our basic education also. I regret to say that we have not yet been able to introduce the pattern of educational system suggested and emphasized by Mahatma Gandhi and Rabindra Nath Tagore. It is often seen that even the recommendations and suggestions made by eminent educationaists are neglected. Lastly. I would like to suggest, Sir, that we should have a commission, comprising of eminent scholars of our own Country who are well conversant with our Country's problems rather than a Commission of Foreigners which is likely to be constituted for the purpose.

श्री मुथिया (तिरुनेलवेली) : उपाध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों तथा कालेजों का विकास और अध्यापकों तथा छात्रों के कल्याण के बारे में जो सेवाऐं की

हैं, वे प्रशंसनिय हैं। तीसरी योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को केवल 37 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है जो कि बहुत कम है, अतः चौथी योजना में अधिक धनराशि दी जानी चाहिए। मद्रास में केवल दो विश्वविद्यालय है जबकि देश में उनकी कुल संख्या 61 है। मैं शिक्षा मंत्री जी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे मद्रास सरकार को अधिक वित्तीय सहायता दें ताकि वह मदुराई में विश्वविद्यालय खोल सके।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई कालेज-अध्यापकों के वेतन-क्रम मद्रास राज्य में सभी कालेजों में लागू नही किये गये हैं। मैं शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह सहायता प्राप्त कालेजों को 50 प्रतिशत के बदले शतप्रतिशत सहायता दें जिससे कि निर्धारित वेतन क्रम सभी कालेजों में लागू किया जा सके। मेरा यह भी निवेदन है कि उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में लागू की गई भविष्यनिधि, बीमा तथा पेंशन सम्बन्धी योजना कालेज-अध्यापकों के लिए भी उपलब्ध कर दी जाय।

जहां तक शिक्षा के माध्यम का प्रश्न है, क्षेत्रीय भाषायें अभी तक इतनी विकसित नहीं हुई हैं कि उनके माध्यम से विज्ञान और टेकनोलौजी की शिक्षा दी जा सके। अतः मैं शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञान और टकनोलौजी सम्बन्धी पुस्तकें तैयार करने के लिए वह विशेषज्ञों की एक पाठ्य पुस्तक सम्बन्धी समिति नियुक्त करें जिससे कि कालेज स्तर पर क्षेत्रीय भाषायें शिक्षा का माध्यम बनायी जा सकें।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त भावनात्मक एकता सम्बन्धी समिती ने अपनी सिफारिश में कहा है :

"कि विश्वविद्यालयों का एक दूसरे से सम्पर्क बनाये रखने के लिये अंग्रेजी को शिक्षा के सम्बद्ध माध्यम के रूप में रखने की व्यवस्था की जाय।"

अधिकांश छात्र कालेजों में निम्न कारणों से यथा-शिक्षा का माध्यम बदल जाने, अध्यापन स्तर में त्रुटि, वर्क-अध्यापन सम्बन्धी मार्ग प्रदर्शन की कमी, अनुशासन एवं परिश्रम की कमी आदि के कारण असफल हो जाते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त "परिक्षा सुधार समिति" की सिफारिशों में, जो कि उक्त आयोग द्वारा स्वीकृत भी की जा चुकी है कहा गया है कि विश्वविद्यालय की अन्तिम परिक्षा में छात्र द्वारा प्राप्तांकों पर विचार करते समय उनके साप्ताहिक, मासिक एवं त्रैमासिक परिक्षाओं में प्राप्त किये गये अंकों पर भी विचार किया जाय। इससे छात्रों के अनुशासन तथा उत्साह में वृद्धि होगी।

शिक्षा मंत्री महोदय को राष्ट्रीय एकता के महत्व पर भी गम्भीर रुप से विचार करना चाहिए। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1958 में एक गोष्टी आयोजित की थी जिसमें कई महत्वपूर्ण सिफारिशें तथा सुझाव दिये गये थे।

अन्त में, मैं यह भी कहूंगा कि त्रिभाषीय सूत्र को ईमानदारी तथा सत्यनिष्टा से क्रियान्वित कर दिया जाय। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि उत्तर भारत में हिन्दी भाषी राज्यों में दक्षिण भारत की भाषाओं को और दक्षिण भारत में उत्तर भारत की भाषाओं को सिखाया जाना चाहिये।

कार्य यंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

तेतीसवां प्रतिवेदन

श्री राने (बुलडाना) : मैं कार्य यंत्रणा समिति का तेतीसवा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

वर्ष 1961-62 तथा 1962-63 के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION REGARDING ANNUAL REPORTS OF UNIVERSITY GRANTS COMMISSION FOR THE YEARS AND 1962-63—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय अब वाद-विवाद का उत्तर देंगे ।

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का कृतघ्न हुं जिन्होंने इस रुचिपूर्ण वाद-विवाद में भाग लिया है। कई प्रश्नों पर विचार करने के लिये कहा गया है। मैं कल उनका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपना भाषण अगले दिन के लिए जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 11 दिसम्बर 1964 अग्रहायण 20, 1886 (शक) क ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, The 11th December, 1964/Agrahayana 20, 1886, (Saka).

GIPN—S2—7 Lok Sabha/65—15-7-65—600.